PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

सितम्बर-2019 | अंक-5

ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान एवं तकनीक

संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

- सरकार द्वारा वित्तपोषित एनजीओ अब आरटीआई के दायरे में
- अफगान शांति वार्ता की विफलता और उसके भावी परिणाम
- गिग कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता
- राजद्रोह बनाम वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज 1990-2017 : एक विश्लेषण
- कृषि ऋण साख पर आरबीआई की रिपोर्ट : एक अवलोकन

ध्येय IAS
most trusted since 2003

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

एक व्यापक एवं सारगर्भित अध्ययन सामग्री होती है जो कक्षा में पढ़ाये जाने वाले विषय के सम्पूरक के रूप में कार्य करती है। इसे तैयारी की शुरूआत करने वाले छात्रों से लेकर तैयारी में निपुणता हासिल कर लिये छात्रों तक, सभी की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है।

1/53, 1st FLOOR, OLD NO. 14, LALITA PARK, LAXMI NAGAR, DELHI-92
A-12, 13, 2nd FLOOR, 204 ANSAL BUILDING, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-09
ORDER NOW +91 9205969002
TRUEWORD PUBLICATION
Quest for Wisdom
rankerssite.com

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से अब तक हम लगभग 100 अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित कर चुके हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण

Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

सितम्बर-2019 | अंक-5

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, अवनीश पाण्डेय, ओमवीर सिंह चौधरी, रजत झिंगन, शशिधर मिश्रा

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार, बाघेन्द्र प्रताप सिंह

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली, धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव, गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी, सौम्या उपाध्याय

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम, जीवन ज्योति

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार, कृष्णा कुमार, निखिल कुमार, सचिन कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल, तरून कनौजिया

लेख सहयोग
रजनी तिवारी, मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह, लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव, आयुषी जैन, प्रीति मिश्रा, आदेश, अंकित मिश्रा, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार, राजू यादव, शुभम, अरूण त्रिपाठी, चंदन

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान एवं तकनीक: संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ
- सरकार द्वारा वित्त पोषित एनजीओ अब आरटीआई के दायरे में
- अफगान शांति वार्ता की विफलता और उसके भावी परिणाम
- गिग कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता
- राजद्रोह बनाम वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज 1990-2017 : एक विश्लेषण
- कृषि ऋण साख पर आरबीआई की रिपोर्ट : एक अवलोकन

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

सात महत्वपूर्ण तथ्य 32

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

सात महत्वपूर्ण खबरें 34-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और तकनीक : संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

संदर्भ

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समावेश सभी नागरिकों की मेधा व सामर्थ्य का उपयोग कर सामाजिक विकास को तेजी से आगे बढ़ाता है। साथ ही, देश की आर्थिक उन्नति भी सुनिश्चित होती है। आज विकसित देशों का चहुमुखी विकास इसलिए ज्यादा हुआ है क्योंकि उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग किया है। इस संदर्भ में भारत धीमी गति से अर्थव्यवस्था के इंजन कहे जाने वाले 'विज्ञान और तकनीक' का उपयोग कर जीवन के हर क्षेत्र में विकास की ओर सतत् अग्रसर है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र भी अब विज्ञान और तकनीक से अछूता नहीं रहा है।

परिचय

भारत में विकास का मार्ग और सफर दोनों चुनौतियों से भरे हैं। यहां जलवायु, भौगोलिक स्थिति, खानपान, संस्कृति जैसी अनेक स्तरों पर विविधता देखने को मिलती हैं जो कई बार विकास में बाधक होती है। ग्रामीण, अर्द्ध-शहरी और शहरी परिवेशों का अंतर भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के अलावा, शिक्षा और सुशासन भी विकास के जरूरी पहलू होते हैं।

शहरों में शिक्षा और शासन प्रणाली सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित होने से प्रौद्योगिकी का सदुपयोग भली-भांति होता है। साथ ही, शिक्षित नागरिक प्रौद्योगिकी का महत्त्व समझते हैं तथा उसकी सराहना करते हैं। वहीं जब ग्रामीण समाज में किसी नई प्रौद्योगिकी का समावेश करने जाते हैं तो ग्रामीण जन को उस प्रौद्योगिकी के उपयोग और फायदों के बारे में समझाना एक विकट चुनौती के रूप में सामने आता है। यहाँ पर शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव आड़े आता है। इसलिए ग्रामीण और अर्द्धशहरी समाज में शिक्षा व जागरूकता के प्रसार के साथ-साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास की भी विशेष जरूरत होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की आवश्यकता

ग्रामीण भारत के कायाकल्प के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता बहुत पहले से महसूस की जाती रही है। इस आवश्यकता की अनुभूति महात्मा गांधी को भी हुई थी। 1935 में अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ के मंच से उन्होंने 'आम जन के लिए विज्ञान' नामक एक आंदोलन का आगाज किया था। इस आंदोलन के सलाहकार मंडल में जे.सी. बोस, पी. सी. रे और सी. वी. रमन जैसी वैज्ञानिक शख्सियतों को रखा गया था। इसके अलावा, देश के कई हिस्सों में वैज्ञानिक संस्थाओं और विचारधारा का उद्‌गम भारत की आजादी से पहले हो गया था।

1947 में देश को आजादी मिलने के बाद एक बदहाल देश की गरीबी और अभाव को दूर करने में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का सदुपयोग किया गया। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की स्थापना और देश के विभिन्न प्रांतों में इसकी अनेक प्रयोगशालाओं की नींव रखना इसी दिशा में बढ़ाया गया एक ठोस तथा सुनियोजित कदम था। 1958 में राष्ट्रीय विज्ञान नीति (साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन) भारतीय संसद में पारित की गई। इसके बाद विज्ञान व प्रौद्योगिकी की सराहना और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। तत्पश्चात परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आदि की स्थापना की गई। आगे चलकर साल 2003 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति तथा 2013 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) नीति को लागू किया गया।

ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार की विभिन्न तकनीक

ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार की विभिन्न तकनीकों को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

अस्त्र (ASTRA): 1970 के दशक में ग्रामीण भारत की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रयत्न देखने को मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विज्ञान एवं तकनीकी अनुप्रयोग के अंग्रेजी में संक्षिप्ताक्षर 'अस्त्र' का इस हेतु प्रयोग किया गया था। 'अस्त्र' की अवधारणा भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु के वैज्ञानिकों ने तैयार की थी जोकि देश में शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आरंभिक संस्थानों में से एक है। 'अस्त्र' कार्यक्रम का मुख्य फोकस ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन पर केन्द्रित था। इसके अंतर्गत ऊर्जा (विशेषत: बायोमास), किफायती मकान निर्माण तकनीकी, पेयजल के लिए असंख्य महत्त्वपूर्ण तकनीकी विकल्पों की पहचान की गई थी। वैज्ञानिक और इंजीनियर समुदाय ने इस दिशा में अहम योगदान दिए थे तथा यह दूरदर्शी कार्यक्रम सामाजिक सरोकार से पोषित एक बौद्धिक गतिविधि के रूप में सामने आया था।

महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना

डीएसटी की यह योजना पर्वतीय, समुद्र-तटीय और मरुस्थल क्षेत्रों की प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु उन्हें विज्ञान व तकनीकी अनुप्रयोगों से जोड़ती है। इस योजना का लक्ष्य विज्ञान और तकनीक का समावेश कर महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता तथा उनकी कार्यदशाओं में सुधार लाना है। इसके माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने लगे हैं। खेती के दौरान कठिन श्रम के कारण किसानों खासकर महिला किसानों व श्रमिकों को थकान हो जाती है। डीएसटी और कृषि मंत्रालय ने साथ मिलकर ऐसी तकनीक तथा उपकरणों का विकास किया है जिनके उपयोग से खेती से संबद्ध थकान में कमी आई है। ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने के लिए भी तकनीकी हस्तक्षेप व रणनीतियों का विकास किया गया है।

स्टेम और सीएसआर: साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पर फोकस रखते हुए शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना 'स्टेम' कार्यक्रम

का मूलमंत्र है। इस कार्यक्रम को प्रभावशाली तरीके से भारतीय परिवेश में क्रियान्वित किया गया है। इसे भारतीय शिक्षा जगत के आधुनिक स्वरूप की संज्ञा दी जा सकती है। इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से विचारक, समस्या निवारक और भावी पीढ़ी के नवोन्मेषी तैयार किए जा सकते हैं। यह एक तथ्य है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में अपना स्थान रखता है जहां सर्वाधिक संख्या में वैज्ञानिक और इंजीनियर तैयार होते हैं। 'स्टेम' शिक्षा पर भारत में दी जा रही तरजीह से उम्मीद जताई जा रही है कि अगले दशक में 80 प्रतिशत नौकरियां गणित और विज्ञान में कुशल युवाओं को मिलने वाली हैं।

मौजूदा शिक्षा प्रणाली में हैंडस ऑन ट्रेनिंग, आईसीटी और स्मार्ट क्लास फ्लेटफार्म के साथ-साथ स्टेम कार्यक्रम से विद्यार्थियों को जोड़ने पर बल दिया जा रहा है। आभासी वास्तविकता (Virtual Reality) और संवर्धित वास्तविकता (Augmented Reality) जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर विश्व के कई देशों में अनेक 'स्टेम' अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत स्कूलों में स्टेम केन्द्र और विचार केन्द्र (Thinking Centre) खोले जा रहे हैं। नए एंट्री लेवल कोडिंग डिवाइस बाजार में आने लगे हैं जिनमें साधारण कोडिंग प्रणाली के शिक्षण की क्षमता है साथ ही ये क्लासरूम में स्टेम शिक्षा के लिए भी उपयोगी हैं। सरकार भी शैक्षिक संस्थानों में उनके पुस्तकालय ढांचे को अपग्रेड करने के लिए सहायता प्रदान कर रही है। इसके अंतर्गत उन्हें मैनेजमेंट टूल्स, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एसेसमेंट सिस्टम, लैंग्वेज लैब, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, गेमिफिकेशन आदि जैसे नवीनतम सॉफ्टवेयर से लैस किया जा रहा है।

भारत में स्टेम शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन अभी प्रायोगिक चरण में है और इसके क्रियान्वयन में कई बड़ी चुनौतियाँ हैं इन चुनौतियों में शामिल हैं- इसका बुनियादी ढांचा, पाठ्यक्रम तथा इसके कुशल मार्गदर्शक तैयार करना। फंड भी एक चुनौती है जिसकी पूर्ति निजी स्कूल प्रशासन और सरकारी शिक्षा विभाग तथा संस्थानों को स्वयं करनी होगी।

भारत में युवाओं की बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए स्टेम शिक्षा को सुदृढ़ करने और विद्यार्थियों तक इसके लाभ पहुंचाने के लिए सरकार तथा शिक्षा जगत की संयुक्त पहल की आवश्यकता है। वर्तमान केन्द्र सरकार 'मेक इन इंडिया' और 'इनोवेशन मिशन' जैसी महत्त्वाकांक्षी योजनाएं संचालित कर रही हैं जिनके अंतर्गत स्टेम शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी अपने नवोन्मेषी विचारों या उत्पादों का सृजन कर उनके निर्माण का अधिकार अपने पास रख सकते हैं। विद्यार्थियों की सृजनशीलता और नवाचार प्रवृत्ति को उजागर करने, उन्हें पोषण प्रदान करने तथा शिक्षण संस्थान व समाज में नवोन्मेष संस्कृति विकसित करने का यही सबसे उपयुक्त समय है। इसमें सरकार के साथ-साथ शिक्षकों की भूमिका अहम है।

भारत में विज्ञान व प्रौद्योगिकी संबंधी अनुसंधान और इसमें संबद्ध मानवशक्ति में लैंगिक भेद का मुद्दा प्रायः मुखर होता है। महिलाओं की संतुलित भागीदारी का न होना यहां एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या महिलाओं को वैज्ञानिक शोध की दिशा में पुरुषों की अपेक्षा कम अवसर दिया जाता है? लेकिन सरकार की योजनाओं पर नजर डालें तो समझ में आता है कि अनेक योजनाओं और फैलोशिप के द्वारा महिलाओं को विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान से जोड़ने के लगातार प्रयास हो रहे हैं ग्रामीण महिलाओं को भी इसमें समान भागीदारी का अवसर दिया जाता है।

गाँव और शहर की विषमता को दूर करने तथा प्रौद्योगिकियों के द्वारा ग्रामीण समुदाय का जीवन-स्तर उठाने के लिए वर्तमान सरकार के डिजिटल इंडिया, डीजी गांव और अन्य डिजिटल साक्षरता अभियान बेहद कारगर साबित हुए हैं।

विद्यार्थियों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में अनेक अग्रणी उद्योग समूह और बहुराष्ट्रीय कंपनियां सक्रिय योगदान कर रहे हैं। यह समुदाय नवाचार प्रौद्योगिकी आधारित संस्थानों के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन आदि जैसे सामाजिक महत्त्व के क्षेत्रों में भारत सरकार की सहायता करता है। इस प्रकार के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) निर्वहन संबंधी प्रयास ग्रामीण समाज और ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों के लिए लाभकारी साबित हुए हैं।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना: ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी दूर करने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े कौशलों का विकास करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। इस योजना का लाभ 5.5 करोड़ ऐसे युवाओं को मिलने की उम्मीद है जो कुशल हैं। यह योजना 'मेक इन इंडिया' की मुख्य भागीदार है। इसका लाभ हाशिए पर खड़े ग्रामीण युवाओं को मिलेगा। समाज के वंचित समुदायों के साथ-साथ दिव्यांग जन और महिलाओं को भी कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें इस योजना से आच्छादित किया जाएगा। इस योजना को तीन स्तरों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है- नीति निर्माण, तकनीकी सहायता और सरलीकरण। योजना की क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा युवाओं में कौशल विकास और प्लेसमेंट के माध्यम से इस कार्यक्रम को लागू किया जाता है।

तारा योजना: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार के सीड अनुभाग के अंतर्गत एक योजना 'तारा' (TARA- टेक्नोलॉजीकल एडवांसमेंट फार रुरल एरियाज) को संचालित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण जीविकोपार्जन में सहायता और सामाजिक लाभ के लिए ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को सहायता पहुंचाना है जो विज्ञान व प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रस्तुत करते हैं। इस योजना में नवाचार (Innovation) और प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुकूलन पर बल दिया जाता है। इसमें स्थान विशेष की आवश्यकताओं या समस्याओं के निराकरण हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को आजमाने से पूर्व इसका क्षेत्र परीक्षण किया जाता है। इस योजना में देश के भीतर तकनीकी कुशलता का वातावरण सृजित होता है साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का विकास करने वाले संगठनों का एक नेटवर्क तैयार किया जाता है, जो संगठन न्यूनतम 10 वर्षों से ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए अहम माने जाते हैं इन्हें पंचायत व राज्य सरकार के साथ मिलकर काम को अंजाम देना होता है।

सीड योजना: डीएसटी की सीड (साइंस फॉर इक्विटी एम्पॉवरमेंट एंड डेवलपमेंट) योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्तर पर तकनीकी सशक्तिकरण तथा सतत् जीविकोपार्जन को सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत अभिप्रेरित वैज्ञानिकों और शोधार्थियों को समाज उत्थान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त विज्ञान व तकनीकी हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया जाता है।

इसमें देश की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं या अन्य वैज्ञानिक संस्थानों को साझीदार बनाया गया है ताकि वहां से विशेषज्ञ सलाह मिल सके तथा बुनियादी तकनीकी सुविधाएं प्राप्त हो जाएं।

इस योजना में ऊर्जा, पर्यावरण, खाद्य एवं पोषण, पानी, स्वच्छता, प्राकृतिक आवास, स्वास्थ्य और कौशल विकास हेतु तकनीकी सहायता दी जाती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 और विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (एसटीआई) नीति 2013 इस योजना के आधारभूत प्रेरक हैं।

टीआईटीई उपयोजना: भारत सरकार की टीआईटीई (टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस फॉर ट्राइबल एम्पॉवरमेंट) उपयोजना का उद्देश्य विज्ञान और तकनीक के दीर्घकालिक अनुप्रयोग के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की जीवन दशा में सुधार लाकर उन्हें सशक्त बनाना है। इसके तहत जनजातीय समुदाय में वैज्ञानिक और तकनीकी शोध तथा विकास का समावेश कराया जाता है ताकि वे इसे अपनाने के लिए तत्पर हों। इसमें देश के प्रमुख सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में स्थान-केन्द्रित विज्ञान व प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रमों को विशेष महत्त्व दिया जाता है। परंपरागत दस्तकारी, शिल्प कौशल और स्थानीय ज्ञान प्रणालियों में नवाचार को बढ़ावा देकर ग्रामीण समुदाय को रोजगार से जोड़ना इस योजना का अहम लक्ष्य होता है।

चुनौतियाँ

ग्रामीण भारत का विकास निरन्तर हो रहा है परन्तु इसकी गति अत्यंत मध्यम रही है। दुनिया भर में, यह स्वीकार किया गया है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी गरीब और अमीर के बीच के अंतर को पाटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किन्तु भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के साथ-साथ जागरूकता का अभाव पाया जाता है जिससे गाँवों का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। गौरतलब है कि शहर के साथ-साथ गांवों में भी इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल फोन के प्रयोग में तेजी आई है परंतु उनमें तकनीकी सृजन या नवाचार की प्रवृत्ति के विकास की दर बहुत धीमी या नगण्य है। ग्रामीण इलाकों में छात्राएं ही नहीं छात्र भी विज्ञान शिक्षा में कमजोर रहते हैं। विज्ञान में अरुचि की एक मुख्य वजह बच्चों को रुचिकर ढ़ंग से समझा पाने में विज्ञान शिक्षकों का विफल रहना है।

निष्कर्ष

भारत के संदर्भ में यह बात तो तय है कि ग्रामीण विकास से होकर ही राष्ट्रीय विकास का लक्ष्य पूरा हो सकता है। वहीं विज्ञान और तकनीक के समावेश के द्वारा ग्रामीण समुदाय, युवाओं, महिलाओं, किसानों, वंचितों तथा दिव्यांग-जनों को साथ लेकर ग्रामीण विकास का सपना पूरा किया जाना संभव है। इस सपने को पूरा करने में सरकार की इच्छा-शक्ति, वैज्ञानिकों, स्थानीय आबादी और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी आवश्यक है।

आज भारत महान अवसरों की दहलीज पर खड़ा है। मजबूती के साथ आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था और ग्रामीण एवं शहरी साक्षर युवाओं की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और प्रौद्योगिकी का व्यापक आधार इसे एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराते हैं, जिसकी बदौलत यह एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा है। इस संदर्भ में आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में रचनात्मक योगदान के लिये युवा वर्ग उचित शिक्षा, कौशल और समर्पण की भावना से युक्त हों। इसके लिये विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की युवाशक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु पूरे देश को प्रतिबद्धता दिखानी होगी तभी वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।

■

2. सरकार द्वारा वित्तपोषित एनजीओ अब आरटीआई के दायरे में

चर्चा का करण

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि सरकार से पैसे लेने वाले गैर सरकारी संगठन (Non Governmental Organisation) सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी देने के लिए बाध्य हैं। शीर्ष अदालत ने माना है कि सरकार से प्रत्यक्ष या रियायती दर पर जमीन के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त सहायता पाने वाले स्कूल, कॉलेज या अस्पताल जैसे संस्थान भी आरटीआई कानून के तहत नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हैं। इसके अलावा पीठ ने कहा कि एनजीओ सूचना के अधिकार कानून की धारा-2H के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority) की श्रेणी में आते हैं।

परिचय

करीब चौदह साल पहले जब सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ था, तब इसका मकसद यही था कि सरकार और उसकी मदद से चलने वाले संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता लाई जाए, ताकि जनता का हित सुनिश्चित हो सके। शुरूआती दिनों से ही इस कानून ने समूचे सरकारी तंत्र की कार्यशैली पर खासा असर डाला और आम लोग भी किसी कार्यालय से वैसी सूचनाएं प्राप्त करने लगे, जिनके बारे में जानकारी के अभाव में उनके जरूरी काम रूके रहते थे। इस कानून ने आम नागरिकों को बेहद सशक्त बनाया और सरकारी महकमों के काम में पारदर्शिता लाने का यह एक कारगर हथियार बना। इसके असर का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कई संस्थान इस कानून को अपनी सुविधा में एक बड़ी बाधा मानने लगे थे। खासतौर से देश में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन खुद को इसके दायरे से मुक्त रखना चाहते थे, जबकि उनके कामकाज में सरकारी अनुदानों की एक बड़ी भूमिका होती है और आखिर उन्हें जनता के हित में काम करने का हवाला देकर ही अपनी गतिविधि संचालित करनी होती है। हालांकि गैर-सरकारी संगठनों को भी सूचनाधिकार कानून के दायरे में लाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी।

पृष्ठभूमि

विश्व बैंक के 'वर्किंग विद एनजीओज' दस्तावेज के अनुसार पिछली सदी के आठवें दशक के मध्य में एनजीओ सेक्टर ने विकासशील और विकसित देशों में समान रूप से अप्रत्याशित वृद्धि हासिल की है जिसके निम्न कारण रहे थे। इन कारणों को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- शीत युद्ध के खात्मे के बाद गैर सरकारी संगठन चलाना अपेक्षाकृत आसान हुआ। बेहतर होती संचार सुविधाएं खासकर इंटरनेट जिसने एक नए वैश्विक समुदाय के सृजन में मदद की और देशों की सीमाओं से परे समान विचार वाले लोगों के बीच एक जुड़ाव पैदा किया।
- संसाधनों में बढ़ोतरी, बढ़ती पेशेवर प्रवृत्ति और गैर सरकारी संगठनों में रोजगार के अधिक और अच्छे मौके।
- अपनी विशेष क्षमता के चलते एनजीओ एवं मीडिया ने वैश्विक समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक किया। इसके चलते लोगों की सरकारों या उस समस्या से निजात दिलाने वालों से अपेक्षाओं में इजाफा हुआ।

गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) क्या हैं

विश्व बैंक ने एनजीओ यानी गैर-सरकारी संगठनों को कुछ इस तरह से परिभाषित किया है। ऐसे

निजी संगठन जो लोगों का दुख-दर्द दूर करने, निर्धनों के हितों का संवर्द्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने अथवा सामुदायिक विकास के लिये गतिविधियाँ चलाता हो एनजीओ कहलाते हैं। ऐसी संस्थाओं को अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है जैसे- सिविल सोसायटी आर्गेनाइजेशन, निजी स्वैच्छिक संगठन, चैरिटी, नॉन प्रॉफिट चैरिटीज, चौरिटेबल आर्गेनाइजेशन थर्ड सेक्टर आर्गेनाइजेशन इत्यादि।

स्मरणीय हो कि जमीनी स्तर पर जो संस्थाएं फिलहाल काम कर रही हैं उन्हें तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला ऐसे एनजीओ जो नागिरक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, दूसरे जो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए काम करते हैं, और तीसरे वे जो सरकारी योजनाओं को लागू करवाने में मदद करते हैं।

यह संगठन गैर लाभकारी होते हैं, अर्थात् वे लाभ का वितरण अपने मालिकों और निदेशकों के बीच नहीं करते बल्कि प्राप्त लाभ को संगठन में ही लगा देते हैं। मूलत: नैतिक मूल्यों पर आधारित ऐसी संस्थाएं पूर्ण या आंशिक रूप से दान या चंदे और स्वैच्छिक सेवाओं पर आश्रित होती हैं। लेकिन इन्हें विदेशी धन प्राप्त करने के लिये एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत पंजीकृत होना पड़ता है या सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होती है।

भारत में एनजीओ की वर्तमान स्थिति

वर्तमान में एनजीओ का निर्बंधन देश में कई कानूनों के तहत होता है, जैसे कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट (1982), पब्लिक ट्रस्ट एक्ट (1950), इंडियन कंपनीज एक्ट (1956-धारा- 25), रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट (1863), चेरीटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट (1920), मुस्लिम वक्फ एक्ट (1923), वक्फ एक्ट (1954), पब्लिक वक्फ- एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट (1959) आदि। इसके आलावा बिना लाभ-हानि के काम करने वाले एनजीओ कंपनी एक्ट धारा-25 के तहत ट्रस्ट, संस्था, सोसायटी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत कराए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एनजीओ हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्रप्रदेश है। इसी तरह अन्य राज्यों में भी बड़ी तादाद में गैर-सरकारी संगठन काम कर रहे हैं।

आरटीआई एक्ट के दायरे में एनजीओ को लाने की आवश्यकता क्यों

देश भर में ऐसे गैर सरकारी संगठनों की संख्या काफी बढ़ी है जिन्हें सरकारी महकमों से अनुदान लेने में कोई हिचक नहीं होती, लेकिन उसके ब्यौरे में पारदर्शिता बरतना उन्हें जरूरी नहीं लगता। बल्कि इस कानून से मुक्त होने की उम्मीद में ही शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने वाले कुछ एनजीओ, कई स्कूल-कॉलेज और संगठनों ने शीर्ष अदालत में दावा किया था कि एनजीओ आरटीआई कानून के दायरे में नहीं आते हैं। हालांकि सूचना का अधिकार कानून में यह प्रावधान मौजूद है कि सरकार से सहायता लेने वाले एनजीओ और अन्य संस्थानों को अपनी आय से संबंधित सारी जानकारी अपनी वेबसाइटों पर सार्वजनिक करनी होंगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद यह साफ हो जाना चाहिए कि अगर कोई एनजीओ सरकार से भारी पैमाने पर अनुदान लेता है या स्कूल-अस्पताल जैसे संस्थानों का संचालन करता है तो आम लोगों को उसके समूचे तंत्र के स्वरूप, खर्च से लेकर संचालन या नियमावली आदि के बारे में जानने का हक है। यों भी, देश में गैर-सरकारी संगठनों का जिस कदर विस्तार हो चुका है और उनके लिए सरकारी अनुदान जारी किए जाते हैं, उसके ढांचे और कामकाज में पारदर्शिता की मांग एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। देश में ऐसे तमाम एनजीओ हैं, जिनके संचालकों के तार सरकारी महकमों में ऊँचे स्तर पर जुड़े होते हैं। ये संगठन भारी पैमाने पर सरकारी अनुदानों का लाभ उठाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका लाभ अपेक्षाकृत लोगों को नहीं मिल पाता है। इसलिए अगर कोई नागरिक या समूह इस कानून का सहारा लेकर किसी एनजीओ की गतिविधि या खर्च आदि का ब्यौरा जानना चाहता है तो यह पारदर्शिता का तकाजा है, और इससे संबंधित संगठन की विश्वसनीयता में ही इजाफा होगा।

सरकारी विभागों के तमाम कार्यो की जिम्मेदारी गैर-सरकारी संगठनों को दी गई है। इन कार्यो में समाज कल्याण, शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य का क्षेत्र प्रमुख है। सरकार ने यह जिम्मेदारी गैर-सरकारी संगठनों पर भरोसा करके सौंपी है लेकिन सच यह है कि इस भरोसे का हाल बेहद खराब है।

सरकार शायद बेहतर कार्य के लिए इनकी मदद लेती है लेकिन तमाम ऐसे गैर-सरकारी संगठन अर्थात एनजीओ हैं जिनका अस्तित्व महज कागजों तक ही सीमित है।

एनजीओ का महत्त्व

गैर सरकारी संगठनों के कार्यो से नागरिकों की आवाज को अभिव्यक्ति मिलती है। साथ ही लोकतंत्र और मजबूत है। इसके साथ ही जनता और सरकार के बीच प्रभावी गैर-राजनीतिक कड़ी प्रदान करता है।

एनजीओ जागरूकता फैलाने, सामाजिक एकजुटता, सेवा वितरण, प्रशिक्षण, अध्ययन व अनुसंधान एवं सार्वजनिक अपेक्षा को स्वर देने में सहयोग करते हैं। सरकार के प्रदर्शन पर संवाद व निगरानी द्वारा वे राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित कराते हैं। विदित हो कि भारत में भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या मनरेगा और सबसे महत्त्वपूर्ण सूचना का अधिकार जैसे कई प्रमुख विधेयक गैर सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप से ही पारित हुए।

सरकारी प्रयास

भारत सरकार ने अनेक परियोजना कार्य चलाकर स्वैच्छिक कार्यों को बहुत प्रोत्साहित किया है। सरकार ने इन सभी संगठनों व संस्थाओं के प्रति अभार व्यक्त करते हुए गैर-सरकारी संगठनों को और अधिक विकसित करने के लिये सार्थक प्रयास किये। जिसका जिक्र निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

सरकार के गैर-सरकारी संगठनों तक पहुँचने के प्रयास प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही परिलक्षित होते हैं। विदित हो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) में स्वैच्छिक संगठनों हेतु 40 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। इसी अवधि के दौरान भारत सेवक समाज संगठन की स्थापना हुई जो लोगों को अपना समय श्रम के लिये तथा

स्वेच्छा से राष्ट्र के विकास में योगदान के लिये प्रोत्साहित करता था।

इसके अतिरिक्त गैर सरकारी संगठन को सशक्त करने के लिए सरकार ने हाल ही में कई योजनाएँ भी चलाई है जैसे-

- साहित्यिक, दृश्य एवं प्रदर्शन कलाओं जैसे सांस्कृतिक क्रियाकलापों में संलग्न स्वयंसेवी संगठनों को शोध सहायता हेतु वित्तीय अनुदान की योजना।
- अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े जिलों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान सहायता।
- महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार हेतु सहायता स्टेप (STEP)
- वृद्धों के लिए समेकित कार्यक्रम
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
- सेवा एनजीओ योजना
- मानव मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने हेतु एजेंसियों को सहायता

इन प्रयासों के साथ सरकार ने गैर सरकारी संगठनों को पारदर्शिता को भी ध्यान में रखते हुए कुछ कदम उठाए हैं जैसे-

- गैर सरकारी संगठनों द्वारा उनके वार्षिक और व्यय लेखा जोखा लगातार पाँच वर्ष देने में विफल रहेन पर कारण बताओ नोटिस जारी किये गये।
- एफसीआरए कानून के तहत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों को सालाना रिटर्न देने को कहा गया।
- सरकार के नये नियमों के मुताबिक सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों के अधिकारियों को लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवक माना गया हैं, उन्हें अपनी परिसंपत्तियों व देनदारियों का ब्यौरा देना होगा जिससे अनुदान के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
- सरकार द्वारा उन गैर सरकारी संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है जो विदेशी धन का उपयोग धर्मान्तरण और अनधिकृत गतिविधियों में कर रहे थे।
- हाल ही में विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत प्रावधानों के उल्लंघन पर गैर-सरकारी संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया था तथा कुछ का पंजीकरण रद्द कर दिया गया जैसे-ग्रीनपीस इंडिया, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन इत्यादि।
- गौरतलब है कि गैर-सरकारी संगठनों को विदेशों से मिलने वाले चंदों में सरकार की सख्ती से पिछले चार साल में 40% की कमी आयी है। गौरतलब है कि सिर्फ 2017 में ही करीब 4,800 एनजीओं के लाइसेंस रद्द हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया, विदेशी चंदे में करीब 40 प्रतिशत कमी आई है। विदेशी चंदे को अधिनियमित करने वाले कानून एफसीआरए अधिनियम के उल्लंघन को लेकर सरकार की ओर से एनजीओ इकाईयों के विरुद्ध कार्रवाई के बीच विदेशी चंदे में यह गिरावट दिखी है।

चुनौतियाँ

- सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठन को सशक्त व पारदर्शी करने के लिए जो कार्य किए गए हैं वह सराहनीय हैं, बावजूद इसके अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं जिसका जिक्र निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-
- भारत में गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिये कोई एक विशेष कानून अथवा कोई शीर्ष संगठन नहीं है।
- गैर-सरकारी संगठन राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होना बहुत दुर्लभ होता है। इसके कई कारण होते हैं। सरकारों, अन्य संस्थानों, कारोबारी और औद्योगिक घरानों के अलावा अन्य स्रोतों से लिया जाने वाला चंदा इसकी प्रमुख वजह माना जाती है।
- विदित हो कि हाल ही में आइबी (IB) ने अपनी रिपोर्ट में कई एनजीओ पर विदेशी ताकतों के इशारे पर देश के विकास में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक गैर सरकारी संगठन ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जो राष्ट्रीय हितों के लिये नुकसानदेह हैं, सार्वजनिक हितों को प्रभावित कर सकते हैं या देश की सुरक्षा, वैज्ञानिक, सामरिक या आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार विदेशी सहायता प्राप्त बहुत सारे एनजीओ देश में अलगाववाद और माओवाद को हवा दे रहे हैं। बहुत सारा पैसा धर्मांतरण, विशेषकर आदिवासियों को ईसाई बनाने के काम में जा रहा है। उन पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि विदेशी शक्तियाँ उनका उपयोग एक प्रॉक्सी के रूप में भारत के विकास पथ को अस्थिर करने के लिये करती हैं, जैसे- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और खनन कार्य के खिलाफ गैर सरकारी संगठनों का विरोध प्रदर्शन।
- रिपोर्ट में इन संगठनों को सरकार के विकास लक्ष्य के मार्ग की प्रमुख बाधा बताया गया है और आरोप लगाया गया है कि वे जीडीपी विकास पर प्रतिवर्ष 2-3 प्रतिशत का नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं।
- राष्ट्रहित से जुड़ी परियोजनाओं का विरोध करने वाले इन एनजीओ को अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड के अलावा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क जैसे देशों या उनसे जुड़ी संस्थाओं से अनुदान मिलता रहा है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में गैर सरकारी संगठनों को वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान विदेशों से चंदे के तौर पर 17803.21 करोड़ रुपए मिले थे, वित्त वर्ष 2016-17 में यह राशि घटकर 15343. 15 करोड़ रुपए रह गई थी लेकिन वित्त वर्ष 2017-18 में यह फिर से बढ़कर 16894.37 करोड़ रुपए हो गई है।
- जमीन पर काम करने वाले एनजीओ की संख्या के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है
- इसके आलावा एक एनी अन्य यह भी है कि जब सरकारी नीतियों के विरोध में सामाजिक संगठन खड़े होते हैं तो सरकार के साथ इनकी तकरार बढ़ जाती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, न्यूक्लियर प्लांट, बांध निर्माण, किसानों की समस्याएं कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं जिन पर इन संगठनों ने सीधे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
- पिछले दस सालों में भारत में अधिकारों के लिए आवाज मुखर करने वाले गैर सरकारी संगठनों में बढ़ोतरी हुई है। एनजीओ का मुद्दा यही रहता था कि सरकार के पास संसाधन है, पैसा है, लेकिन जरुरतमंद लोगों तक, पहुंच नहीं है, जिसके बाद सामुदायिक विकास की बात हुई और यहीं से सरकारी नीतियां कटघरे में आ गई।

आगे की राह

गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं व स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय हैं लेकिन जरूरत व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास की है इस संदर्भ में यहा कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- गैर सरकारी संगठन समुदायों को सबल बनाते हैं, इसलिये उनके दमन की नहीं बल्कि उन्हें समर्थन देने की आवश्यकता है। अगर किसी के पास एक असहमत दृष्टिकोण है तो इसका आशय यह नहीं है कि वह देश का शत्रु है।
- ऐसे में सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं को भागीदार के रूप में कार्य करना चाहिये और साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये पूरक की भूमिका निभानी चाहिये जो परस्पर विश्वास व सम्मान के मूल सिद्धांत पर आधारित हो और साझा उत्तरदायित्व व अधिकार रखता हो।
- सरकार या विदेश से अनुदान लेने वाली एनजीओ की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें समाज के प्रतिष्ठित व ईमानदार लोग, एक प्रशासनिक अधिकारी व न्यायिक अधिकारी को रखा जाए।
- कमेटी के सदस्यों को छह-छह माह में बदला जाना चाहिए ताकि कमेटी द्वारा किये गये कार्य, रुपये के उपभोग का ब्यौरा तथा लाभ लेने वालों का वैरीफिकेशन किया जा सके।
- सही काम नहीं करने वाली संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जहाँ भ्रष्टाचार पर अंकुशलगाया जा सकता है वहीं कागजात की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। इसके अलावा एनजीओ का भौतिक सत्यापन कराया जा सकेगा।
- बेहतर मानव संसाधन विकास और संगठन के भीतर प्रबंधकों, प्रशासकों, परियोजना कर्मियों, बोर्ड सदस्यों, लाभार्थियों, सदस्यों व स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण किया जाए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।
- विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग- गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका।

■

3. अफगान शांतिवार्ता की विफलता और उसके भावी परिणाम

चर्चा का कारण

हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान नेताओं के साथ 'कैंप डेविड' में होने वाली गोपनीय बैठक को रद्द कर शांति वार्ता के फिर से शुरू होने की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अंतरा-अफगान (Intra-Afgan) शांति वार्ता की बैठक को रद्द करने का ऐलान करते हुए ट्रंप ने 5 सितंबर, 2019 को काबुल में हुए हमले का हवाला दिया जिसमें एक अमेरिकी सैनिक समेत 12 लोग मारे गए थे। इस बीच तालिबान ने वार्ता रद्द होने के बाद हिंसा की धमकी दी है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में सुलह के लिये अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जालमे खलीलजाद और तालिबान के बीच दोहा में पिछले 15 माह से वार्ता हो रही थी।

परिचय

जर्मनी और कतर के साझा प्रयास से 7 से 8 जुलाई 2019 को दोहा में दो दिवसीय अंतरा-अफगान संवाद का आयोजन किया गया था। इस संवाद ने अफगानिस्तान में पिछले 18 वर्षों से चले आ रहे रोजाना के खून-खराबे के अब खत्म हो जाने की उम्मीदों को बढ़ा दिया था। अमेरिका, रूस, जर्मनी जैसी बड़ी शक्तियों; और इनके साथ ही अफगानिस्तान के लोग एवं अशरफ गनी सरकार तक ने संवाद को बहुत बड़ी कामयाबी मानते हुए संतोष व्यक्त किया था। इसे व्यापक अर्थ में, तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच भविष्य में अधिक से अधिक औपचारिक संवाद कायम होने के एक प्रारम्भिक प्रयास के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि इस अंतरा-अफगान संवाद पर करीब से नजर डालने पर अफगानिस्तान में अमन का रास्ता अभी भी बहुत लम्बा और बेहद कठिन मालूम पड़ता है।

शांति-वार्ता में, अंततोगत्वा, जो एक नुकसानदायक कदम हुआ है, वह यह कि अंतरा-अफगान वार्ता का कुछ अहम मसलों पर चर्चा करने में विफल रहना। मसलन, आगामी राष्ट्रपति चुनाव और देश में आतंकवादी समूहों की मौजूदगी जैसे मुद्दे पर बात तक नहीं की गई थी। इसके अलावा, देश में संघर्ष विराम लागू करने की अफगानिस्तानी लोगों, खुद अशरफ गनी सरकार और यहां तक कि वैश्विक बिरादरी की चिर लम्बित मांगों को कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। गौरतलब है कि दोहा में आयोजित अंतर-संवाद में तालिबान के 17 और अफगानिस्तान के 50 प्रतिनिधियों ने शिरकत की थी।

वार्ता से पीछे क्यों हटा अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इस वार्ता को स्थगित करने का तात्कालिक कारण वार्ता से कुछ ही दिन पहले मध्य काबुल में हुए आत्मघाती कार बम विस्फोट को बताया गया। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। लेकिन अधिकांश विश्लेषकों का मानना है कि वार्ता भंग करने की असली वजह यह नहीं है जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा बताई गई है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन में ही सहमति नहीं थी कि समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएं या नहीं। अमेरिका द्वारा तालिबान से शांति वार्ता को समाप्त करने के कारणों को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- अमरीका ने तालिबान की यह शर्त मान ली थी कि वार्ता में अफगान सरकार को शामिल नहीं करना है। ऐसे में 15 महीने की वार्ता में अमरीका वह हासिल नहीं कर सका, जिसकी उसे उम्मीद थी।
- अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कुछ और भी कारण बताते हैं। उनका मानना है कि समझौते पर दस्तखत के लिए चुना गया समय भी राजनीतिक दृष्टि से ट्रंप प्रशासन को मुश्किल में डाल सकता था। विश्लेषकों का मानना है कि समझौते की तारीख उसी दिन के आसपास पड़ती जब अमरीका पर 2001 में हुए 9/11 हमलों की बरसी थी। ऐसे में इसी मौके पर तालिबान से बात करना अमेरिका के लिए मुफीद समय नहीं था।
- अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों के अनुसार युद्धविराम अथवा 'अंतरा-अफगान वार्ता' में भागीदारी के लिये तालिबान की ओर से कोई गारंटी प्राप्त नहीं हुई थी। ऐसे में संभावना जतायी जा रही थी कि राष्ट्रपति ट्रंप इस समझौते को समाप्त करने के लिये एक विकल्प की तलाश कर रहे हों और इसी क्रम में 5 सितंबर को काबुल में हुए आतंकी

हमले से उन्हें समझौता रद्द करने का एक कारण मिल गया हो।

अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है सैन्य वापसी

अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मानते हैं कि अमेरिका के लिए अफगानिस्तान से अपनी सेना की वापसी बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ अमेरिका आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के सैन्य अभियान पर उसे काफी रकम खर्च करनी पड़ रही है। अमेरिका में इसे लेकर लोगों में काफी रोष है। ऐसे में आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी बड़ा मुद्दा बन सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान में शांति स्थापित कर, सैनिकों की वापसी कराने में सफल होते तो ये उनके चुनावी अभियान के लिए बड़ा एजेंड़ा हो सकता था।

अंतरा-अफगान संवाद और पेंच

नागरिकों के हताहत होने की मौजूदा दर को घटा कर किस तरह शून्य स्तर पर लाया जाए, यह अंतरा-अफगान संवाद के साझा प्रस्ताव का सबसे अहम मसला था। इसके साथ, ''सार्वजनिक संस्थानों, जैसे स्कूलों, मदरसों, अस्पतालों, बाजारों, जलाशयों के बांध और कार्यस्थलों'' की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। साझा घोषणा पत्र ने निश्चित ही अफगान समाज के सभी वर्गों, सरकार और विश्व बिरादरी की उम्मीदों को बढ़ा दिया था। यद्यपि यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि पिछले साल 2018 से शुरू हुई शांति-वार्ता के बाद से तालिबान ने इस दौरान अपने हिंसक हमले तेज करने की रणनीति पर अमल करता रहा है ताकि शांति वार्ता में समझौते की सूरत बनने पर वह अपने पक्ष में ज्यादा मोल-जोल करने की स्थिति में रह सके। दरअसल, दोहा का अंतरा-अफगान संवाद काबुल और गजनी में तालिबान के दो नृशंस हमलों की पृष्ठभूमि में हुआ था। इसमें कई नागरिक मारे गए थे और कई स्कूली बच्चे भी इसका शिकार हुए थे।

अमेरिका चाहता है कि तालिबान इसकी गारंटी दे कि वह किसी भी आतंकवादी समूहों को बाहरी देश पर हमले में अफगानिस्तान की जमीन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगा क्योंकि इसी तालिबान का अफगानिस्तानी भू भाग में अल कायदा से हुए गठजोड़ के बाद अमेरिका को 2001 में यहां जमे रहने पर विवश कर दिया था। यह समस्या अमेरिका की ही नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान के राजनीतिक दलों, दक्षिण एशिया के देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी सबसे बड़ी चिंता का विषय है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अमेरिका से सात बार की बातचीत के बाद यह राय है कि तालिबान अफगानिस्तान में सक्रिय सभी विदेशी आतंकवादी समूहों को अफगानिस्तान के भीतर नहीं आने देगा। हालांकि इसके विपरीत तालिबान, अफगानिस्तान-पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में लश्कर-ए-तैय्यबा और हक्कानी नेटवर्क के साथ सघन सम्बन्ध बना रहा है। इसके अलावा तालिबान के कर्मियों और उनके परिजनों के लिए अल-कायदा के सदस्य निर्देशक और उपदेशक की भूमिका निभाते रहे हैं।

गौरतलब है कि अमेरिका के साथ सात दौरों की शांति वार्ता के बावजूद तालिबान अगर अल-कायदा जैसे आतंकवादी समूहों के साथ अपनी सांठगांठ बरकरार रखे हुए है तो अमेरिका की अगुवाई में अफगानिस्तान में शांति स्थापना की उसकी पहल और वास्तविक लक्ष्यों को लेकर कुछ गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ठीक इसी तरह, तालिबान का स्वयं को एक राष्ट्रवादी ताकत के रूप में प्रस्तुत करने के उसके दावे के दोहरेपन उजागर करता है।

अफगानिस्तान में आगामी राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा

अफगानिस्तान के अगले राष्ट्रपति के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसे अंतरा-अफगान संवाद के दौरान दोनों ही पक्षों ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने हाल ही में कहा है कि पहले दो बार स्थगित होने के बाद अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव 28 सितम्बर 2019 को होंगे और इसमें कोई विलम्ब नहीं किया जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने जून 2019 में अफगानिस्तान के अपने दौरे के दौरान यह संकेत दिया था कि उनका देश चाहता है कि राष्ट्रपति चुनाव के पहले ही तालिबान से कोई समझौता हो जाए। हालांकि तालिबान आगामी राष्ट्रपति के निर्वाचन समेत देश की सभी चुनावी प्रक्रियाओं को लगातार खारिज करता आया है। इसके साथ ही, उसने अफगानिस्तान के संविधान को पश्चिमी ताकतों का देश में बोलबाला बढ़ाने वाला करार देते हुए उसे मानने से इनकार कर दिया है। दोहा में हुआ अंतरा-अफगान संवाद अफगानिस्तान में भविष्य की सरकारों का स्वरूप तय करने में विफल रहा है। तालिबान देश की मौजूदा गणतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर इस्लामिक अमीरात की हुकूमत लाने पर जोर देता है। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव के पहले शांति समझौता टूटने का मतलब इन सभी विवादित मसलों को और बढ़ावा देना है।

कौन है तालिबान

तालिबान का उदय 90 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ जब अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेना वापस जा रही थी। पश्तूनों के नेतृत्व में उभरा तालिबान अफगानिस्तान में 1994 में सामने आया। माना जाता है कि तालिबान सबसे पहले धार्मिक आयोजनों या मदरसों के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जिसमें इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर पैसा सऊदी अरब से आता था। 80 के दशक के अंत में सोवियत संघ के अफगानिस्तान से जाने के बाद वहां कई गुटों में आपसी संघर्ष शुरु हो गया था जिसके बाद तालिबान का जन्म हुआ। उस समय अफगानिस्तान की परिस्थिति ऐसी थी कि स्थानीय लोगों ने तालिबान का स्वागत किया।

शुरूआत में तालिबान की लोकप्रियता इसलिए ज्यादा थी क्योंकि उसने बंदुक की नोक पर देश में फैले भ्रष्टाचार और अव्यवस्था पर अंकुश लगाया। तालिबान ने अपने नियंत्रण में आने वाले इलाकों को सुरक्षित बनाया ताकि लोग स्वतंत्र रूप से व्यवसाय कर सकें। दक्षिण-पश्चिम अफगानिस्तान से तालिबान ने बहुत तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाया। सितंबर 1995 में तालिबान ने ईरान सीमा से लगे अफगानिस्तान के हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया। इसके एक साल बाद तालिबान ने बुरहानुद्दीन रब्बानी सरकार को सत्ता से हटाकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। 1998 आते-आते अफगानिस्तान के लगभग 90 फीसदी इलाकों पर तालिबान का नियंत्रण हो गया था। 90 के दशक से लेकर 2001 तक जब तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में था तो केवल तीन देशों ने उसे मान्यता दी थी- पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब।

राष्ट्रपति चुनाव और शांति समझौतों से सम्बन्धित किसी स्पष्ट रोड मैप के अभाव में देश अराजकता के भंवर में फंस सकता है। मौजूदा समय में जबकि अमेरिका तालिबान के साथ बातचीत का आयोजन कर रहा था, तो यह बेहद अहम था कि किसी भी बहाने अफगानिस्तान में राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित और निलम्बित न हों क्योंकि केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष राष्ट्रपति चुनाव ही देश में वांछित लोकतांत्रिक राजनीतिक ढांचे की वैधानिकता को स्थापित कर सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों के अनुसार अफगानिस्तान सरकार और खासकर, वहां के नागरिकों को शामिल किये बगैर कोई समझौता सफल नहीं होगा और इससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा, बल्कि दीर्घावधि में विफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए किसी भी आखिरी निष्कर्ष तक पहुंचने के पहले अफगानिस्तान के लोगों के सरोकारों और चिंताओं को बातचीत में शामिल करना अहम है। इस प्रसंग में,राष्ट्रपति अशरफ

गनी ने अपने देशवासियों को भरोसा दिया है कि अमन कायम करने के नाम पर उनके अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मुल्क की सम्प्रभुता को बरकरार रखा जाएगा। हालांकि यह अभी देखना महत्त्वपूर्ण है कि धुर-कट्टरपंथी तालिबान अपने देश में लोकतंत्र, मानवाधिकारों, समाज में महिलाओं की भूमिका और अल्पसंख्यकों के अधिकार आदि मुद्दों पर अपने पुराने रवैये में कैसे और कहां तक बदलाव ला पाएगा।

रूस की भूमिका

रूस पहले भी तालिबान प्रतिनिधियों की मेजबानी कर चुका है और अफगानिस्तान में शांति को लेकर कुछ कार्यक्रमों का आयोजन भी करवाता रहा है। अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार लोगों का मानना है कि तालिबान एक रणनीति के तहत ऐसा कर रहा है ताकि अमरीका पर वार्ता का दबाव बनाया जाए। हालांकि रूस ने इस मामले पर यही कहा है कि वार्ता फिर से शुरू होनी चाहिए। किन्तु न तो उसने कोई विकल्प सुझाया है और न कोई कदम उठाने की बात कही है। गौरतलब है कि अमेरिका के साथ शांति वार्ता रद्द होने के बाद तालिबान ने रूस और ईरान जैसे देशों से संपर्क साधा था।

पाकिस्तान के हित

- तालिबान के साथ अमेरिका की शांति वार्ता पाकिस्तान के लिए एक फायदे का सौदा है। इसलिए इन पक्षों के बीच पाकिस्तानी सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई मध्यस्थता (मिडिलमैन) का काम कर रही है। इसके अलावा अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों के वापस जाते ही पाकिस्तान तालिबान की मदद से कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देना चाहता है।
- तालिबान को अमेरिका के साथ बातचीत की मेज पर पाकिस्तान ही लेकर आया क्योंकि वह अपने पड़ोस से अमेरिकी फौजों की जल्द वापसी चाहता है। कतर की राजधानी दोहा में हुई अमेरिका-तालिबान वार्ता में शामिल होने के लिए पाकिस्तान ने कुछ महीने पहले ही तालिबान के उप-संस्थापक मुल्ला बारादर को जेल से रिहा किया था। अगर अफगानिस्तान में तालिबान की जड़ें मजबूत होती हैं तो वहां की सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान तालिबान को सैन्य साजो-सामान मुहैया करा सकता है। विदित हो कि, अफगानिस्तान की वर्तमान सरकार के साथ पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं।

भारत के हित

अफगानिस्तान में तेजी से बदलता परिदृश्य क्षेत्रीय ताकतों पर अपना गणित बदलने का लगातार दबाव बढ़ा रहा है। भारत भी इसमें कोई अपवाद नहीं है। अमेरिका पहले ही यह राग अलाप चुका है कि केवल वही आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ने का बोझ उठा रहा है। ऐसे में वाशिंगटन यही चाहेगा कि आतंकवाद को खत्म करने के इच्छुक भारत, ईरान, रूस और तुर्की जैसे देश भी देर-सबेर इस मुहिम से जुड़ें। अफगान वार्ता के विफल होने पर भले ही भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी हो लेकिन इस वार्ता प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका व संलग्नता और तालिबान की सत्ता में पुनर्वापसी की संभावना को लेकर उसमें असंतोष है। इसका कारण यह भी है कि भारत का तालिबान के साथ कोई आधिकारिक संपर्क नहीं रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि ऐसे में भारत के लिये तालिबान के कम-से-कम उन लोगों के साथ संपर्क बनाने का एक अवसर हो सकता है जो पाकिस्तान के प्रभाव में नहीं हैं।

गौरतलब है कि विकास के मोर्चे पर भारत ने अफगानिस्तान में बहुत सराहनीय काम किया है। अफगानिस्तान में भारत को लेकर वास्तविक रूप से अच्छी भावनाएं हैं। पाकिस्तान के तमाम प्रयासों के बावजूद अफगानिस्तान के भविष्य को निर्धारित करने में भारत की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत की अफगानिस्तान नीति को तेजी से बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालना चाहिए ताकि वह विस्तृत दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपने कद के अनुसार भूमिका निभा सके।

इसके अलावा अफगानिस्तान में भारत के हितों को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- भारत पहले ही अफगानिस्तान में अरबों डॉलर के लागत वाले कई मेगा प्रोजेक्ट्स को पूरा कर चुका है और कुछ पर अभी भी काम चल रहा है। भारत ने अब तक अफगानिस्तान को लगभग तीन अरब डॉलर की सहायता दी है जिसके तहत वहाँ संसद भवन, सड़कों और बांध आदि का निर्माण हुआ है। वहां कई मानवीय व विकासशील परियोजनाओं पर वह अभी भी काम कर रहा है।
- भारत 116 सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है जिन्हें अफगानिस्तान के 31 प्रांतों में क्रियान्वित किया जाएगा। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पेयजल, नवीकरणीय ऊर्जा, खेल अवसंरचना और प्रशासनिक अवसंरचना के क्षेत्र भी शामिल हैं। भारत काबुल के लिये शहतूत बांध और पेयजल परियोजना पर भी काम कर रहा है।
- इसके अलावा अफगान शरणार्थियों के पुनर्वास को प्रोत्साहित करने के लिये नानगरहर प्रांत में कम लागत पर घरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। बायान प्रांत में बंद-ए-अमीर तक सड़क संपर्क, परवान प्रांत में चारिकार शहर के लिये जलापूर्ति नेटवर्क और मजार-ए-शरीफ में पॉलीटेक्नीक के निर्माण में भी भारत सहयोग दे रहा है। कंधार में अफगान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ANASTU) की स्थापना के लिये भी भारत सहयोग कर रहा है।
- अफगानिस्तान के साथ संबंधो को और मजबूत बनाने के लिए भारत ने मार्च 2002 में अफगानिस्तान में अपने दूतावास का विस्तार किया और इसके बाद मजार-ए-शरीफ, हेरात, कंधार और जलालाबाद में भी वाणिज्य दूतावास खोले थे।
- भारत ने अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप के देशों से व्यापार और संबंधों को मजबूती देने के लिए ईरान के चाबहार पोर्ट के विकास में भारी निवेश किया है। इससे चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना के काट के रूप में भी देखा जा रहा है। यदि अफगानिस्तान में तालिबान सत्तासीन होता है तो भारत की यह परियोजना भी खतरे में पड़ सकती है क्योंकि इससे अफगानिस्तान के रास्ते अन्य देशों में भारत की पहुंच बाधित होगी।
- अमेरिकी सेना का अफगानिस्तान में रहना वहां की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। अगर अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से चली जाती है तो वहां तालिबान का कब्जा हो जाने की आशंका है। ऐसे में भारत द्वारा वित्तपोषित विकास परियोजनाएं रूक सकती हैं।
- गौरतलब है कि यदि एक स्थिर एवं आर्थिक रूप से संपन्नता की ओर उन्मुख अफगानिस्तान अतीत में भारत के लिए हितकारी था तो यह भविष्य में भी एक प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए।

आगे की राह

अफगानिस्तान का मामला बहुत पुराना और पेचीदा है। समय की मांग है कि शांति के लिए चर्चा होनी चाहिए। तीन बड़े पक्षकार- अमरीका, तालिबान और अफगान सरकार के लिए जरूरी है कि आपसी विश्वास को बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो अन्य देशों जैसे- चीन, रूस, पाकिस्तान, भारत, तुर्की और सऊदी अरब, को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता अफगान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होनी चाहिए। यह काम अफगानिस्तान की सरकार, तालिबान और अमेरिका को ही करना है। इसके लिए जरूरी है कि तीनों अपना हठ छोड़ें और खासतौर से अमेरिका अफगानिस्तान में अपने हितों को छोड़े। शांति वार्ता रद्द होने से अफगानिस्तान की सरकार खुश है। दूसरी ओर तालिबान अब अमेरिका को सबक सिखाने पर तुला है। इसीलिए उसने शांति वार्ता टूटने के बाद और ज्यादा अमेरिकियों पर हमले की धमकी दी है। जाहिर है, आने वाले दिन अफगानिस्तान के लिए और संकट भरे हो सकते हैं। इस संदर्भ में विश्व समुदाय से उम्मीद की जानी चाहिए कि वे अंतरा-अफगान संवाद को पुनः शुरू करवाने के लिए संबंधित पक्षों को एक मेज पर ले आएँ।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

4. गिग कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता

चर्चा का कारण

हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गिग कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया है जिससे कि उनकी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके।

गिग इकोनॉमी का परिचय

गिग का अर्थ है प्रत्येक असाइनमेंट के लिए पहले से निर्धारित भुगतान राशि। गिग इकोनॉमी में प्रति असाइनमेंट के आधार पर पैसा मिलता है। यहां व्यक्ति अपनी सहूलियत के अनुसार काम कर सकते हैं। गिग इकोनॉमी एक कर्मचारी को वे सभी सुविधाएं देती हैं, जो वह चाहता है, जैसे कि लचीलापन, पसंदीदा काम, वर्क-लाइफ संतुलन और अच्छी कमाई। इस प्रकार गिग इकोनॉमी अन्य प्रोफेशनल तनावपूर्ण नौकरी का एक पर्याय बनकर उभर रहा है। दरअसल, अमेरिका, जर्मनी, यूरोप में गिग अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक, भारत में भी लगभग एक तिहाई श्रमिक स्वतंत्र उद्यमी बनने की दिशा में स्थानांतरित हो रहे हैं। गिग इकोनॉमी प्रोफेशन भारत और दुनियाभर में करियर या व्यापार के रूप में लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। इसके तहत दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग सूक्ष्म उद्यमी बन रहे हैं। गिग कार्यों को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

- **श्रम प्रदाता :** गौरतलब है कि ड्राइवर, अप्रेंटिस, डिलीवरी मैन, निम्न-आय और कम-शिक्षित श्रमिक, जो गिग अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, अपनी संपूर्ण आजीविका के लिए इसमें काम करते हैं, क्योंकि उन्हें अन्य नौकरी के विकल्प खोजने में परेशानी होती है।
- **माल प्रदाता :** कलाकार, शिल्पकार, कपड़े के खुदरा विक्रेता, शिक्षित लोग जो अपने गिग कार्य आय पर निर्भर नहीं होते हैं, वे एक और पूर्णकालिक नौकरी करते हैं। उनके लिए गिग काम आम तौर पर पूरक आय प्रदान करता है।

वर्तमान स्थिति

आज विश्वभर में भी बड़ी तादाद में फ्लेक्सीऑर्ग तथा गेट मी एक्सपर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म से न सिर्फ युवा बल्कि प्रोफेशनल लोग भी तेजी से जुड़ रहे हैं। उभरता फील्ड टेक्नोलॉजी के विकास के साथ लोगों को गिग अर्थव्यवस्था में अनेक तरह के रोजगार मिल रहे हैं। यह लोगों को उनकी कार्यकुशलता के अनुसार कार्य के अनेक विकल्प देता है। उदाहरण के लिए फ्लेक्सिऑर्ग डॉट कॉम, फ्रीलांसर डॉट कॉम जैसे पोर्टल लोगों को उनकी कार्यक्षमता के अनुसार कंपनियों के साथ कनेक्ट कर उनके कौशल से संबंधित सेवाओं वाले काम का अवसर प्रदान करते हैं। कम शिक्षित कार्यबल के लिए ग्रैब, उबर, ओला जैसी कंपनियां बड़ी संख्या में लोगों को मौका दे रही हैं। स्विगी, फूडपांडा में डिलीवरी ब्वॉय जैसे कार्य के मौके सामने आ रहे हैं। इसी तरह, अमेजन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लू, ईबे और अलीबाबा जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स किसी को भी व्यापारी बनने में सक्षम बनाती हैं।

एक अनुमान के मुताबिक, गिग इकोनॉमी प्रतिवर्ष 25-30 फीसद की दर से बढ़ रही है। एचआर प्रोफेशनल भी अपनी मैनपावर प्लानिंग अब आने वाले दिनों में इसी आधार पर तैयार करने पर जोर दे रहे हैं, जिसमें न केवल जूनियर स्तर पर नौकरियों के लिए गिग प्रोफेशनल शामिल होंगे, बल्कि मध्य-स्तर पर असाइनमेंट के लिए भी गिग प्रोफेशनल को ही हायर किया जाएगा। अनुमान है कि 2025 तक गिग इकोनॉमी में 75 प्रतिशत तक इजाफा हो जाएगा। इस क्षेत्र में बढ़ती जॉब संभावनाओं को देखते हुए सरकार भी सभी क्षेत्रों में नियत अवधि के रोजगार पर श्रमिकों को भर्ती करने की सुविधा बढ़ा रही है। जाहिर है, आने वाले समय में गिग इकोनॉमी प्रोफेशनल के लिए अधिक से अधिक पूर्णकालिक अवसर बढ़ेंगे।

एक अध्ययन के अनुसार, इस समय सबसे अधिक भुगतान करने वाले गिग जॉब्स में ब्लॉकचेन, एथिकल हैकिंग, एडब्ल्यूएस, डाटा एनालिटिक्स तथा रोबोटिक्स आदि शामिल हैं। जहाँ प्रति घंटे की दर से 80-120 डॉलर तक मिलते हैं। हालांकि भारत में लेखन, अनुवाद, रचनात्मक कार्य, भर्ती, बिक्री, डिजिटल डिस्ट्रिब्यूशन, ब्रांडिंग, वास्तुकला, बीआइएम, लेखा, डाटा एनालिसिस, कंसल्टिंग सर्विसेज के विकल्प अधिक प्रचलित हैं। सबसे अच्छी बात है कि गिग प्रोफेशन में आप एक साथ कई संगठनों के साथ काम कर सकते हैं।

वैश्विक स्थिति

मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की करीब 20% श्रमिक अभी भी गिग इकोनॉमी के जरिये ही अपना आजीविका चलाते हैं। साल 2023 तक विश्व के हर तीन में से एक कर्मचारी गिग इकोनॉमी का हिस्सा होगा। वर्ष 2035 तक यह आँकड़ा 50% तक पहुँच जाएगा।

उल्लेखनीय है कि गिग इकोनॉमी ने सबसे तेज विकास अमेरिका में किया है। गैलप के एक सर्वे के मुताबिक वहां की 36% श्रमिक इसका हिस्सा है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 साल में ही अमेरिका की 50% श्रमिक गिग इकोनॉमी के जरिये रोजगार हासिल करेंगे। 2018

में अमेरिका में गिग इकोनॉमी से जुड़े लोगों ने हर सप्ताह कुल मिलाकर 100 करोड़ घंटे काम किया है। यूरोप की भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है।

इस इकोनॉमी से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ दुनिया की जीडीपी में इसका योगदान भी लगातार बढ़ रहा है। 2018 में दुनिया की जीडीपी 80 लाख करोड़ डॉलर थी, इसमें गिग इकोनॉमी का योगदान 20 लाख करोड़ डॉलर रहा। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं खासकर भारत और चीन में यह तेज गति से बढ़ रहा है।

भारत की स्थिति

भारत के संदर्भ में देखें तो गिग इकोनॉमी के मामले में उसका अपना एक स्थान है। मानव संसाधन फर्म टीमलीज के आँकड़ों के अनुसार दिल्ली इस क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने में तेज गति से आगे बढ़ रही है। इसने अपने अर्थव्यवस्था में 5,60,600 लोगों को रोजगार दिया है। वहीं पिछले वर्ष यह आँकड़ा 2,98,000 था। यदि बंगलुरु का उदाहरण लें तो यहाँ पर गिग इकोनॉमी में शामिल होने वाले प्रवासी श्रमिकों की संख्या लगभग 27% बढ़ने के साथ 1,94,400 की तुलना में 2,52,300 हो गई है। एक अनुमान के अनुसार, भारत में नए रोजगारों का 56% हिस्सा गिग इकोनॉमी कंपनियों द्वारा सृजित किये जा रहे हैं।

हालांकि भारत में गिग अर्थव्यवस्था अभी अपने शुरूआती दौर में है। एक आँकड़े के मुताबिक देश में करीब 10 मिलियन लोग फ्रीलांस के तौर पर काम कर रहे हैं। साल 2018-19 में करीब 13 लाख लोग गिग इकोनॉमी के दायरे में आये। इसके कारण गिग इकोनॉमी में 30 फीसदी की बढ़ोत्तरी देखी जा सकती है।

गिग कर्मचारी और सामाजिक सुरक्षा

भारत के श्रम कानून विधान में मुक्त बाजार व्यवस्था (गिग इकोनॉमी) में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं, जिससे उन्हें कर्मचारियों से जुड़े कुछ अधिकार मिलने लगेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 का प्रस्ताव किया है, जिसमें 'गिग वर्कर्स' और 'प्लेटफॉर्म वर्कर्स' को चिह्नित किया गया है, जिन्हें कभी भी देश के श्रम कानून में पहले शामिल नहीं किया गया था। गिग वर्कर्स में सामान्यतया शेयरिंग अर्थव्यवस्था में काम करने वाले जैसे उबर और ओला के चालक, जोमैटो और स्विगी के डिलिवरी पर्सन आदि आते हैं। टेक प्लेटफॉर्म आने से इस तरह की नौकरियां आई हैं, जहां कर्मचारी किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं होते और वे जितने समय तक चाहें, उतने समय तक काम कर सकते हैं। बहरहाल इस शब्द का इस्तेमाल उच्च कौशल प्राप्त उन कर्मचारियों, जैसे कोडर्स या टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए भी होता है, जो अंशकालिक या फ्रीलांसर के रूप में काम करते हैं।

मसौदा विधेयक के मुताबिक गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को जीवन और अक्षमता कवर, स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा और 'अन्य लाभ' मिलेंगे, जो केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत उनके लिए तय करेगी। बहरहाल गिग वर्कर्स असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होते हैं, इसलिए उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं के तहत लाभ नहीं मिलता है। प्रस्ताव के मुताबिक साथ ही ऐसे कर्मचारियों को ग्रेच्युटी लाभ भी नहीं मिलती है। मसौदा कानून में गिग वर्कर्स को ऐसे कामगारों के रूप में परिभाषित किया गया है जो ऐसी कार्यप्रणाली में काम करते हैं या हिस्सा लेते हैं और ऐसी गतिविधियों से धन कमाते हैं, जो परंपरागत नियोक्ता कर्मचारी संबंध के तहत नहीं आते हैं।

मसौदा कहता है कि इस संहिता के अन्य प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक महिला भी हकदार होगी जो गिग इकोनॉमी में कार्य करती है और उसके नियोक्ता उसकी वास्तविक अनुपस्थिति की अवधि के लिए औसत दैनिक मजदूरी की दर से मातृत्व लाभ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा श्रमिकों के लिए उपलब्ध कानूनों में भी संशोधन कर कई कानूनों का विलय किया जाएगा।

केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी। इसके अलावा केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा असंगठित श्रमिकों के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन करेगी। साथ ही राज्य सरकारें समय-समय पर इस योजना से संबंधित सामाजिक सुरक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।

ड्राफ्ट की आवश्यकता क्यों?

- गिग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी असंगठित क्षेत्र से आते हैं, इसलिए उनके संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की तरह सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं। परिणामस्वरूप उन्हें सामाजिक सुरक्षा की कोई भी योजनाओं का व्यय नहीं मिल पाता है, जैसे कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, वेतन, पेंशन, जीवन बीमा आदि।
- चूँकि भारत में असंगठित क्षेत्र के मजदूर अधिक हैं, इसलिए बिना इनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये इनके जीवन स्तर को ऊँचा नहीं उठाया जा सकता है और यह स्थिति देश और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है।
- अकसर ऐसा देखा जाता है कि असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों की किसी दुर्घटना में क्षति या मृत्यु हो जाती है तो उन्हें सरकारी सुविधायँ नहीं मिलती हैं क्योंकि उनकी पहचान भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए सरकार के समक्ष एक बड़ी-बड़ी चुनौती यह हो जाती है कि वह इन्हें सुविधाएँ कैसे प्रदान करें।
- चूंकि गिग अर्थव्यवस्था के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों का वास्तविक डाटा सरकार के पास नहीं होता है, इसलिए सरकार उनके हित में कोई कारगर योजना नहीं बना पाती है।

गिग इकोनॉमी के फायदे

- आप किसी कंपनी के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिया अपना कार्यस्थल चुन सकते है।
- आप ये काम पार्ट टाइम या फुल टाइम, अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते है।
- पेमेंट समय पर मिलती है।
- वो लोग जो परमानेंट किसी सस्था या कंपनी के कार्य नहीं करना चाहते उनके लिए गिग इकोनॉमी वरदान है।
- भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है वहां गिग इकोनॉमी से बहुत संख्या में युवाओं को रोजगार मिल सकता है।
- इसमें कार्य समय आप खुद तय कर सकते है।
- गिग कर्मचारी होने का बड़ा फायदा यह है कि आपको अपनी मर्जी से काम करने की छूट मिलती है। जब तक कोई प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट हाथ में है, तब तक काम करें, और फिर जब तक मन करें, छुट्टियां ले लें।
- महिलाओं के लिहाज से भी गिग इकोनॉमी काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। दरअसल तमाम सामाजिक कारणों के चलते भारत में महिलाओं पर ढ़ेरों बंदिशें होती हैं और उन्हें बाहर काम करने से रोक दिया जाता है। ऐसे में गिग इकोनॉमी के तहत उन्हें घर बैठे काम का मनचाहा विकल्प मिल रहा है।

गिग इकोनॉमी के कुछ नुकसान

- गिग इकोनॉमी में कार्य करने के लिए किसी

भी पर्सन को अपने-अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होना पड़ता है।

- कंपनियाँ उन्हें ही चुनती हैं जो किसी विषय का ज्ञाता हो।
- इसमें आपको पेमेंट प्रोजेक्ट पूरा होने तक ही मिलेंगे।
- इस प्रकार के अस्थायी जॉब में कोई फिक्स सैलरी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, पेमेंट में उतार-चढ़ाव रहता है जोकि थोड़ा परेशान कर सकता है।
- जहां तक बात गिग इकोनॉमी से हानि की है, तो इससे लंबे समय तक बेरोजगारी तथा अनिश्चित आमदनी का भय सदैव बना रहता है। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सहयोगियों को पेंशन व अन्य परिलब्धियाँ कंपनी द्वारा नहीं प्रदान की जाती हैं। इसका सर्वाधिक प्रभाव अकुशल श्रमिकों पर पड़ता है, क्योंकि उनके लिए कुशल श्रमिकों की अपेक्षा अवसर की उपलब्धता कम है।
- इससे सामाजिक-आर्थिक असमानता बढ़ने का खतरा सदैव बना रहता है, जिससे समावेशी विकास प्रभावित होता है।

आगे की राह

डिजिटल युग के उद्भव के कारण गिग इकोनॉमी की बढ़ती लोकप्रियता से स्पष्ट है कि आने वाले समय में इसका क्षेत्र व्यापक होगा, इसलिए अर्थव्यवस्था की समृद्धि के लिए भारत को भी कौशल विकास पर ध्यान देने हेतु अग्रिम रणनीति पर विचार करना आवश्यक है।

सरकार द्वारा गिग इकोनॉमी के कर्मचारियों के लिए किये जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। इससे इन कर्मचारियों का भविष्य उज्ज्वल होगा और वे अपना योगदान देश के विकास में दे सकते हैं। चूँकि ये कर्मचारी अनुबंधित नहीं होते हैं, इसलिए भी इस तरह के प्रयास इनके लिए अति आवश्यक है जिससे कि संगठित और असंगठित कर्मचारियों के बीच उत्पन्न भेद को कम किया जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

5. राजद्रोह बनाम वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

चर्चा का करण

आईपीसी की धारा 124क न सिर्फ पुलिस को अनावश्यक और असीमित अधिकार देती है बल्कि इसके जरिये व्यवस्था से असहमति जताने वालों को परेशान करने के कई उदाहरण भी रहे हैं। जिसको लेकर हाल ही में धारा 124क की वैधानिकता को लेकर बहस तेज हो गई है।

राजद्रोह का कानून क्या है

यदि कोई व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध बोले गये अथवा लिखे गये शब्दों द्वारा अथवा प्रतीक या चिह्नों द्वारा अथवा दृश्यरूपणों द्वारा घृणा, अपमान अथवा वैमनष्य पैदा करता है या पैदा करने का प्रयास करता है, तो राजद्रोह का अपराध करता है। उल्लेखनीय है कि 'वैमनस्यता' के अंतर्गत देश के प्रति 'निष्ठाहीनता' और 'शत्रुता की भावना' भी शामिल है। इस अपराध के लिए यदि उसका प्रयास सफल हो जाता है तो उसे उम्र कैद तक की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। यदि अपराध का प्रयास असफल रहता है तो उसे तीन वर्ष तक की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।

पृष्ठभूमि

सन 1837 में लॉर्ड टीबी मैकॉले की अध्यक्षता वाले पहले विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता तैयार की जिसमें 1870 में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने धारा 124क को आईपीसी के छठे अध्याय में जोड़ा। 19वीं और 20वीं सदी के प्रारम्भ में इसका इस्तेमाल ज्यादातर प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादियों और स्वतंत्रता सेनानियों के लेखन और भाषणों के खिलाफ हुआ। इससे सम्बन्धित पहला मामला 1891 में अखबार निकालने वाले संपादक जोगेन्द्र चंद्र बोस का था। इसी कानून के तहत 1908 में बाल गंगाधर तिलक को उनके लिखे एक लेख की वजह से 6 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा अखबार में तीन लेख लिखने की वजह से 1922 में महात्मा गांधी को भी राजद्रोह का आरोपी बनाया गया था। तब से अब तक कानूनों में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन ये धारा बनी हुई है और पिछले कुछ सालों में इस धारा को लेकर खूब विवाद भी रहे हैं।

वर्तमान स्थिति

वर्ष 2016 में देश में राजद्रोह के कुल 35 मामले दर्ज हुए और इनमें 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 26 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक आरोपी पर दोष साबित हुआ। ठीक इसी तरह 2016 में राजद्रोह के आरोप में आठ के खिलाफ आरोप पत्र लाया गया, लेकिन साबित नहीं हुआ। 2016 में ही राजद्रोह के आरोप में राजस्थान पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया। वही केरल, मध्य प्रदेश और दिल्ली में चार-चार मामले दर्ज हुए, लेकिन कहीं भी आरोप साबित नहीं हो सका। वर्ष 2015 में राजद्रोह के 30 केस दर्ज हुए जिनमें 73 लोग गिरफ्तार हुए। बिहार में सबसे ज्यादा नौ मामले दर्ज हुए जिनमें 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब तक आरोप पत्र भी नहीं आया। 2014 में देश में राजद्रोह के 47 मामले दर्ज हुए, जिनमें 58 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 16 के खिलाफ आरोप पत्र, लेकिन झारखंड में सिर्फ एक आरोपी पर ही दोष साबित हो सका।

हाल के वर्षों में इस कानून के चर्चित मामलों की बात करें तो वीएचपी नेता प्रवीन तोगड़िया, कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और जेएनयू के छात्र कन्हैया कुमार को इसी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था।

वैधता के पक्ष में तर्क

- आतंकवाद, उग्रवाद और साम्प्रदायिकता जैसी समस्याएँ आज भी बरकरार हैं। कई दफा तो नक्सली और सिम्मी (Students Islamic Movement of India - SIMI) जैसे समूह भी आंतरिक सुरक्षा के समक्ष गंभीर चुनौती पेश करते हैं। इन स्थितियों से निपटने के लिये इस तरह के सख्त कानूनी प्रावधान आवश्यक हो जाते हैं ताकि ऐसी अतिवादी स्थितियों से निपटने में राज्य सक्षम हो सके।
- आज हमारे कानून में बहुत सारी धाराएँ मौजूद हैं जो देश में हिंसा या अशांति के लिये कठोर दंड का प्रावधान करती हैं, फिर भी ये सारी धाराएँ 124क से भिन्न स्थितियों के लिये कारगर हो सकती हैं।
- हालांकि कुछ मामलों में आईपीसी की धारा 124क का दुरुपयोग भी हुआ है किंतु सभी

मामलों के संदर्भ में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। विदित हो कि हरियाणा के विवादित संत रामपाल पर जब आपराधिक मामला दर्ज हुआ तो उसने गिरफ्तारी देने के बजाए सत्ता को खुली चुनौती दी और लोगों को भड़काकर सरकार के खिलाफ माहौल तैयार किया। ठीक इसी तरह तमिल नेता वाइको या फिर कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व के कई अलगाववादी संगठनों ने यदा-कदा भारतीय संघ के विरुद्ध हवा दी है और अलग राष्ट्रीयता की मांग की। इसके अतिरिक्त कई बार नेताओं ने भी धार्मिक भावनाएँ भड़काकर देश में दंगों का माहौल बना कर लोक व्यवस्था को भंग किया है। ऐसे में इनके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर इन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा करना आवश्यक हो जाता है।

- अगर यह कानून पूर्णतया अनावश्यक होता तो विधि आयोग भी इसे हटाने की अनुशंसा जरूर करता, किंतु ऐसा नहीं हुआ है साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वरा भी आईपीसी की धारा 124क को अभी तक असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया है।
- इस कानून के समर्थकों का एक अन्य तर्क यह है कि समस्या धारा 124क प्रावधानों को लेकर नहीं, बल्कि इसके क्रियान्वयन को लेकर है। ऐसे में क्रियान्वयन में समस्या के लिये सीधे कानून को खारिज करना उचित नहीं कहा जा सकता है।

विपक्ष में तर्क

- धारा 124क का विरोध करने वाले लोग मानते हैं कि यह धारा संविधान द्वारा नागरिकों को दिये गए 'वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के अधिकार का उल्लंघन करती है। जानकारों का तर्क है कि जब संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में, विशिष्ट परिस्थितियों में 'वाक् एवं अभिव्यक्ति' की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है, तो धारा 124क की जरूरत ही नहीं होनी चाहिये।
- जब शांति व्यवस्था बिगाड़ने, धार्मिक उन्माद फैलाने और सामाजिक द्वेष पैदा करने जैसे अपराधों के लिए आईपीसी में पहले से ही अलग-अलग धाराओं में सजा का प्रावधान है तो ऐसे में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे इस कानून को खत्म कर दिया जाना चाहिए।
- आलोचकों का यह भी तर्क है कि देश की निचली अदालतें इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करती आई हैं व राज्य सरकारों ने समय-समय पर मनमाने ढंग से इस कानून का गलत इस्तेमाल किया है। ऐसे में भविष्य में इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ लोग केंद्र सरकार से धारा 124क की साफ, सटीक व्याख्या करवाने, तो कुछ इसे पूरी तरह समाप्त किए जाने की मांग कर रहे हैं।
- भारत में इस कानून की नींव रखने वाले ब्रिटेन ने भी 2009 में अपने यहां राजद्रोह के कानून को खत्म कर दिया। ऐसे में वक्त की मांग है कि भारत में भी इसे समाप्त किया जाए।
- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक, 2014 से 2016 तक राजद्रोह के मामलों में 179 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बावजूद इसके 2016 के आखिर तक 70 फीसदी से ज्यादा मामलों में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई वही सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ ही दोष साबित किया जा सका, जो इस कानून के दुरुपयोग की तरफ साफ इशारा करती है।
- यह कानून देश को निम्न मानवाधिकार वाले देशों जैस सऊदी अरब, मलेशिया, ईरान, उज्बेकिस्तान आदि की कतार में लाकर खड़ा कर देता है।
- इस धारा का विरोध करने वाले लोग एक तर्क यह भी देते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में नागरिकों को मिलने वाला सबसे बड़ा अधिकार होता है असहमति का अधिकार। अर्थात् अगर किसी को लगता है कि देश की सरकार या शासन व्यवस्था में कुछ कमियाँ हैं, तो वह उनका विरोध कर सके। लेकिन इस विरोध को देश प्रेम की कसौटी पर मापते हुए लोगों पर राजद्रोह के मामले दर्ज किये जाते हैं।

अभिव्यक्ति की आजादी और राजद्रोह

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतान्त्रिक शासन-प्रणाली की आधारशिला होती है। प्रेस की आजादी से लेकर राजनीतिक भाषण तक सभी वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार माने जाते हैं। किसी व्यक्ति पर राजद्रोह का मामला सिर्फ सरकार, नेता, प्रशासन या अधिकारियों की आलोचना करने के कारण नहीं लगता है, बल्कि हिंसा या हिंसा की आशंका के कारण दर्ज होता है जिसे पूर्णतया गलत नहीं कहा जा सकता है।

उदाहरण के लिए असीम त्रिवेदी ने जब अन्ना के आंदोलन में एक कार्टून बनाया जिसमें संसद भवन को जलाते हुए चित्रित किया गया था। अत: सरकार ने अशांति फैलने की आशंका से इस पर रोक लगाने हेतु असीम त्रिवेदी को गिरफ्तार किया और जन आक्रोश भड़काने के आरोप में उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। ठीक इसी तरह जब अरुंधति रॉय ने कश्मीर के मसले पर भारत सरकार के आधिकारिक मत (Official Stand) के बिल्कुल विपरीत बयान दिया जो भारतीय पक्ष को कमजोर कर अशांति को बढ़ावा देने वाला था तब उसके खिलाफ 124क के तहत कर्रावाई की गई। अत: इन समस्त मामलों में जो राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ वह सिर्फ शासन या नेताओं की आलोचना करने के कारण नहीं, बल्कि व्यापक अशांति और हिंसा की आशंका के कारण हुआ।

दूसरी बात यह भी है कि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, बल्कि इस पर भी युक्तियुक्त निर्बंधन लगे हैं संविधान के अनुच्छेद-19 (2) के तहत सरकार देश की संप्रभुता की रक्षा, देश की निष्ठा की रक्षा, देश हित को बनाए रखने के लिए, विदेशी संबंध को सुरक्षित करने के लिए और सार्वजनिक घोषणा बरकरार रखने के लिए कानून का इस्तेमाल कर अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगा सकती है।

जहाँ भी राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और देश की एकता एवं अखंडता को खतरा उत्पन्न होता है, वहाँ संविधान स्वयं वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन की बातें करता है। हाँ, लेकिन राजद्रोह के प्रावधानों में विधिपूर्ण आलोचना और हिंसा की आशंका तथा आजीवन कारावास जैसी बातें अतिरिक्त विवेचना की माँग पर बल देता है।

सुप्रीम कोर्ट का रुख

इस धारा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर अपने फैसले में साफ किया है कि कोई भी एक्ट या सरकार की आलोचना भर से देशद्रोह का मामला नहीं बनता, बल्कि उस विद्रोह के कारण हिंसा और कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाए तभी देशद्रोह का मामला बनेगा। राजद्रोह से सम्बन्धित सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है।

- सर्वोच्च न्यायाधीश मॉरिस ग्वायर की अध्यक्षता वाले फेडरल कोर्ट ने इस संदर्भ में आदेश दिया था कि राजद्रोह-कानून को सरकार की छवि सुधारने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता।

- 1962 में केदारनाथ बनाम बिहार राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि सरकार की आलोचना या फिर प्रशासन पर टिप्पणी करने भर से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि राजद्रोह के मामले में हिंसा को बढ़ावा देने का तत्व मौजूद होना चाहिए। महज नारेबाजी करना देशद्रोह के दायरे में नहीं आता।
- बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में कहा था कि महज नारेबाजी करना राजद्रोह नहीं है। विदित हो कि दो लोगों ने उस समय खालिस्तान की मांग के पक्ष में नारे लगाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसे राजद्रोह मानने से इन्कार कर दिया था।
- 2003 में उच्चतम न्यायालय ने नजीर खान बनाम दिल्ली सरकार के मामले में स्पष्ट किया था कि राजनैतिक विचारधाराएं और सिद्धांत रखना एवं उनका प्रचार करना नागरिक का मौलिक अधिकार है। उनके शपथ ग्रहण में युद्ध और लड़ाई जैसे शब्द मात्र से इसे समाज को भड़काने वाली घटना से नहीं जोड़ा जा सकता।
- यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही स्थिति स्पष्ट कर दी हो, पर व्यवहार में सरकार और प्रशासन से लेकर निचली अदालतों तक ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की उपेक्षा की है। इसीलिए इस निर्णय के बावजूद भी पिछले पाँच दशकों के दौरान राजद्रोह कानून का धड़ल्ले से मनमाने तरीके से दुरुपयोग होता रहा है।

सरकार का रुख

केंद्र सरकार ने साफ किया है कि वह आईपीसी की धारा 124क यानी राजद्रोह कानून खत्म नहीं करेगी। दरअसल इसकी वजह आज भी देश में राष्ट्र-विरोधी, पृथकतावादी और आतंकवादी तत्वों की मौजूदगी का होना बताया गया है। जहाँ तक राजद्रोह धारा 124क की समीक्षा की बात है तो इसके लिए विधि आयोग ने अपने परामर्श पत्र में इस विषय पर पुनर्विचार करने की बात कही है और जनता के लिये इस विषय पर राष्ट्रीय बहस हेतु विभिन्न मुद्दों को प्रस्तुत किया है।

विधि आयोग का दृष्टिकोण

- विधि आयोग ने अपने परामर्श पत्र में कहा है कि एक जीवंत लोकतंत्र में सरकार के प्रति असहमति और उसकी आलोचना सार्वजनिक बहस का प्रमुख मुद्दा होना चाहिए।
- अनुचित प्रतिबंधों से बचने के लिये मुक्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की सावधानीपूर्वक जाँच किया जाना चाहिये। यदि न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में सजा का प्रावधान है तो सरकार की अवमानना के संदर्भ में भी ऐसा होना चाहिये
- एक ऐसा विचार जो कि सरकार की नीतियों के अनुरूप नहीं है, की अभिव्यक्ति मात्र से व्यक्ति पर राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए।
- आयोग ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में एक ही पुस्तक से गीतों का गायन देशभक्ति का मापदंड नहीं होता है। लोगों को उनके अनुसार देशभक्ति को अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिये।
- इस प्रकार आयोग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124क, जिसके अंतर्गत राजद्रोह का प्रावधान किया गया है, पर पुनः विचार करके उसे संशोधित करने पर बल दिया है।

आगे की राह

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत में अब भी आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद तथा माओवाद आदि का खतरा विद्यमान है। अतः राजद्रोह संबंधी कानून की आवश्यकता है। जहाँ तक कानून के दुरुपयोग की बात है, तो राजद्रोह कानून (Sedition Law) ही क्यों, बल्कि किसी भी कानून का दुरुपयोग आज के समय में संभव है। इसलिये कानून के दुरुपयोग के भय से उसके लाभ से वंचित रह जाना भी सही नहीं होगा। इस आलोक में यदि देखें तो राजद्रोह कानून का उद्देश्य औचित्यपूर्ण नजर आता है, बशर्ते इसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से क्रियान्वित न किया जाए। इस संदर्भ में यहाँ जरूरत है कि धारा 124क के बारे में कानूनन प्रवर्तन एजेंसियों को सही ज्ञान दिया जाए। भविष्य में इस धारा का दुरुपयोग करने वाली एजेंसियों को अर्थदंड देने का प्रावधान किया जाए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका।

■

6. ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज 1990–2017 : एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

हाल ही में 'द लैंसेट चाइल्ड एण्ड अडलसेंट हेल्थ' जर्नल में 'द बर्डन ऑफ चाइल्ड एण्ड मैटरनल मालन्यूट्रिसन एण्ड ट्रेंड्स इन इट्स इंडीकेटर्स इन द स्टेट्स ऑफ इंडिया: ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 1990-2017' नामक रिपोर्ट का प्रकाशन 'इंडिया स्टेट-लेवल डिजीज बर्डन इनीशिएटिव' द्वारा किया गया।

परिचय

'इंडिया स्टेट-लेवल डिजीज बर्डन इनीशिएटिव' भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (ICMR), पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एण्ड इवैल्यूएशन की एक संयुक्त पहल है। इसके अतिरिक्त, इस पहल में कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ एवं संस्थान भी जुड़े हुए हैं। इस पहल के अंतर्गत ही 'द बर्डन ऑफ चाइल्ड एण्ड मैटरनल मालन्यूट्रिसन एण्ड ट्रेंड्स इन इट्स इंडीकेटर्स इन द स्टेट्स ऑफ इंडिया: ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 1990-2017' रिपोर्ट को निर्मित किया गया है और इस रिपोर्ट को 'द लैंसेट चाइल्ड एण्ड अडलसेंट हेल्थ' नामक जर्नल ने प्रकाशित किया है। ध्यातव्य है कि 'द लैंसेट चाइल्ड एण्ड अडलसेण्ट हेल्थ' 'द लैंसेट' का एक विशेष जर्नल है जिसमें बच्चों एवं किशोरों के स्वास्थ्य व कुपोषण आदि के बारे लेख, रिपोर्ट, रिसर्च पेपर इत्यादि प्रकाशित किये जाते हैं। इस विशेष जर्नल को विश्व में बच्चों के प्रति स्वास्थ्य की गंभीरता को देखते हुए सन् 2017 में स्थापित किया गया था।

कुपोषण ने स्वास्थ्य समस्या को गंभीर बना दिया है। आज विश्व में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आधे से अधिक मौतों का कारण कुपोषण बन चुका है। भारत सहित निम्न एवं मध्यम आय वाले राष्ट्रों में यह स्थिति और भी

विकराल रूप में व्याप्त है। इस स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) ने वर्ष 2015 में निर्धारित अपने एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) में से एक कुपोषण की समस्या को समाप्त करने का भी लक्ष्य रखा है। हालांकि इस लक्ष्य की वर्ष 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षा में कहा गया कि एसडीजी के तहत वर्ष 2030 तक कुपोषण के सभी लक्षणों एवं रूपों को समाप्त करना महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य जरूर है, पर वर्तमान में प्रगति के अनुरूप इस लक्ष्य को पाना बहुत कठिन है इसलिए यह जरूरी है कि कुपोषण के लक्षणों एवं रूपों को एक-एक करके प्राथमिकता के आधार पर खत्म किया जाये। इसी के चलते डब्ल्यूएचओ ने 2025 तक कुपोषण के 6 लक्षणों एवं रूपों को खत्म करने की योजना बनायी है।

भारत सरकार की कई योजनाओं एवं प्रयासों के बावजूद देश में कुपोषण की समस्या गंभीर बनी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 'वैश्विक पोषण रिपोर्ट, 2018' में बताया गया था कि भारत में 5 साल से कम आयु के बच्चों में कुपोषण की स्थिति चिंताजनक है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट था कि पूरी दुनिया के 5 साल से कम आयु के कुल कुपोषित बच्चों का एक तिहाई भाग भारत में विद्यमान है। अब सितम्बर, 2019 में लैंसेट में प्रकाशित रिपोर्ट में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति झलकती है।

लैंसेट में प्रकाशित रिपोर्ट की महत्त्वपूर्ण बातें

'द बर्डन ऑफ चाइल्ड एण्ड मैटरनल मालन्यूट्रिसन एण्ड ट्रेंड्स इन इट्स इंडीकेटर्स इन द स्टेट्स ऑफ इंडिया: ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 1990-2017' की महत्वपूर्ण बातों को निम्नांकित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

- इस रिपोर्ट में भारत में बीमारियों के बोझ के पीछे कई कारणों में से शिशु एवं मातृ (Maternal) कुपोषण पर गहन विश्लेषण किया गया है। इस हेतु भारत सरकार की विभिन्न रिपोर्टों एवं अन्य अनुसंधान से डाटा लिया गया है। इस रिपोर्ट में 1990 से 2017 तक भारत के विभिन्न राज्यों में कुपोषण की स्थिति की भी चर्चा की गयी है।
- इस रिपोर्ट में यह भी तुलनात्मक अध्ययन किया गया है कि भारत में 'राष्ट्रीय पोषण मिशन' (एनएनएम) की प्रगति कैसी है और यह मिशन कुपोषण के यूएनओ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर पायेगा या नहीं।
- लैंसेट में प्रकाशित इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 1990 से 2017 के दौरान पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुल मृत्यु दर और कुपोषण के कारण मृत्यु दर में कमी जरूर आयी है, किन्तु पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का सर्वप्रमुख कारक कुपोषण ही बना हुआ है। रिपोर्ट उजागर करती है कि भारत में पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की 1.04 मिलियन मौतों में से करीब दो-तिहाई मृत्यु का कारण कुपोषण ही है।

इस प्रकार लैंसेट में प्रकाशित रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि भारत के सभी राज्यों में कुपोषण, एकीकृत रूप से सभी उम्र की बीमारियों का सबसे बड़ा जोखिम कारक साबित हुआ है। उपर्युक्त के अलावा रिपोर्ट के अन्य महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों को नीचे वर्णित किये गये शीर्षकों के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे।

कुपोषण बर्डन (बोझ): कुपोषण के कारण बीमारियों की संवेदनशीलता काफी अधिक होती है। यदि बच्चे कुपोषित हैं तो स्वास्थ्य समस्या का प्रभाव सात गुना से अधिक होता है। कुपोषण ने लोगों के स्वास्थ्य पर खर्च को बढ़ाने में मदद के साथ बाल मृत्यु दर को भी बढ़ाया है। सन् 2017 में भारत में पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की 68.2% मौतों का कारण कुपोषण ही था। इस प्रकार कुपोषण ने न सिर्फ बच्चों को बल्कि हर उम्र के लोगों पर कमोबेश रूप से प्रभाव डाला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कुपोषण के मामले में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम राज्य काफी संवेदनशील हैं।

विकलांगता समायोजित आयु (DALY): कुल 'विकलांगता समायोजित आयु' (Disability Adjusted Life Year- DALY) में से 17% के लिए कुपोषण को जिम्मेदार माना गया है। ध्यातव्य है कि 'विकलांगता समायोजित आयु' मानव के पूरे जीवन में आयी समग्र बीमारी के बोझ को व्यक्त करने का एक तरीका है। इसे खराब स्वास्थ्य, विकलांगता एवं समय-पूर्व मृत्यु के कारण जीवन में कम हुए वर्षों के रूप में मापा जाता है। लैंसेट की रिपोर्ट में 'विकलांगता समायोजित आयु' के बारे में यह भी बताया गया है कि इसकी भारत के अलग-अलग राज्यों में गंभीरता अलग-अलग प्रकार की है। 2017 में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं असम आते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, त्रिपुरा, नागालैण्ड आदि राज्यों का स्थान आता है। सबसे कम प्रभावित राज्यों की श्रेणी में केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं सिक्किम जैसे राष्ट्रों को रखा गया है।

जन्म के समय कम वजन: रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2017 में 'जन्म के समय कम वजन' (Low Birth Weight- LBW) 21 प्रतिशत के करीब था। किन्तु विभिन्न राज्यों में इसकी स्थिति भिन्न-भिन्न थी। मिजोरम में एलबीडब्ल्यू न्यूनतम 9% और उत्तर प्रदेश में अधिकतम 24% था। भारत के 14 राज्यों में 2010 से 2017 के दौरान एलबीडब्ल्यू में गिरावट दर्ज हुयी है, लेकिन यह गिरावट भारत के 'राष्ट्रीय पोषण मिशन' के एलबीडब्ल्यू के वार्षिक लक्ष्य 11.8% से अभी भी काफी दूर है।

चाइल्ड स्टंटिंग : रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्ष 2017 में चाइल्ड स्टंटिंग का आँकड़ा 39% था, गोवा में यह न्यूनतम 21% और उत्तर प्रदेश में अधिकतम 49% था। इस प्रकार पूरे देश में चाइल्ड स्टंटिंग की समस्या व्याप्त है। चाइल्ड स्टंटिंग की समस्या उन राज्यों में भी गंभीर थी जो 'सशक्त कार्रवाई समूह' (Empowered Action Group) में शामिल हैं। गौरतलब है कि सशक्त कार्रवाई समूह में बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान शामिल हैं। ये राज्य सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के तौर पर जाने जाते हैं। भारत में 1990 से 2017 के दौरान चाइल्ड स्टंटिंग में वार्षिक घटाव की दर 2.6 प्रतिशत रही, जो केरल में अधिकतम 4 प्रतिशत और मेघालय में न्यूनतम 1.2 प्रतिशत के बीच अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग थी। भारत के सभी राज्यों में 2010 से 2017 के दौरान चाइल्ड स्टंटिंग के घटाव की दर काफी सही रही किन्तु यह अभी भी राष्ट्रीय पोषण मिशन के लक्ष्य से दूर है।

चाइल्ड वेस्टिंग: भारत में 2017 में चाइल्ड वेस्टिंग 15.7% थी। हालांकि भारत के कई राज्यों ने इस दिशा में बेहतर कार्य किया है। 1990 से 2017 के दौरान चाइल्ड वेस्टिंग में प्रगति के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की 2030 में चाइल्ड वेस्टिंग 13.4% होगी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं यूनिसेफ के द्वारा निर्धारित लक्ष्य से लगभग 3% अधिक है।

चाइल्ड अंडरवेट: भारत में वर्ष 2017 में चाइल्ड अंडरवेट 32.7 प्रतिशत था। वर्ष 2010 से 2017 के दौरान कमोबेश रूप से भारत के

सभी राज्यों ने चाइल्ड अंडरवेट के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन यह अभी भी राष्ट्रीय पोषण मिशन के लक्ष्य से दूर है।

चाइल्ड स्टंटिंग: इसमें बच्चों की लंबाई उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ पाती है अर्थात् वह बौने रह जाते हैं।

चाइल्ड वेस्टिंग: इसमें बच्चों की लंबाई के अनुसार उनका वजन कम होता है।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त दोनों ही स्थितियों का मुख्य कारण कुपोषण है। यूनिसेफ के अनुसार, स्टंटिंग का मुख्य कारण पोषण तत्त्व विहीन भोजन का सेवन और संक्रमण (Infection) से ग्रस्त रहना है। हाल ही में आयी लैंसेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुपोषण के प्रमुख संकेतकों में 'जन्म के समय कम वजन' (Low Birth Weight) का बीमारियों में सबसे अधिक योगदान है इसके बाद कुपोषण के अन्य संकेतक चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग का स्थान आता है।

चाइल्ड एनीमिया: वर्ष 2017 के दौरान भारत में चाइल्ड एनीमिया 59.7% थी, जबकि वर्ष 2022 तक 'राष्ट्रीय पोषण मिशन' के तहत इसकी दर को 44.7% लाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि वर्ष 2010 से 2017 के दौरान भारत के 16 राज्यों ने चाइल्ड एनीमिया में उल्लेखनीय प्रगति की है।

महिलाओं में एनीमिया : वर्ष 2017 में 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया की दर 54.4% थी। भारत ने अपने राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत उपर्युक्त आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया की दर को घटाकर वर्ष 2022 तक 39.4% लाने का लक्ष्य रखा है।

स्तनपान : वर्ष 2017 में भारत में बच्चों को महिलाओं द्वारा स्तनपान कराने की दर 53.3% थी। वर्ष 2010 से 2017 के दरम्यान 1990 से 2000 के समयकाल के अनुरूप स्तनपान की स्थिति में भारत में सुधार आया। रिपोर्ट में 1990 से 2017 तक के भारत की प्रगति के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2030 तक भारत में स्तनपान की दर 59.3% होगी जो कि डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के निर्धारित लक्ष्य (70%) से 10.7% कम है।

बच्चों का अधिक वजन : लैंसेट की रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2017 में 2 से 4 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों में 'अधिक वजन वाले बच्चों' (Child Overweight) का 11.5% था। वर्ष 1990 से 2017 के दौरान भारत की स्थिति के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2030 तक भारत में अधिक वजन वाले बच्चों का प्रतिशत 17.5% हो जायेगा, जबकि डब्ल्यूएचओ एवं यूनिसेफ का लक्ष्य इसे 3% से भी कम करना है। इस प्रकार रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि उपयुक्त दिनचर्या व खान-पान न होने से भारतीय बच्चों में अधिक वजन, एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है।

सरकारी प्रयास

भारत सरकार, देश में कुपोषण की चुनौती से निपटने हेतु समय-समय पर कई योजनाओं को अमल में लायी है, यथा- एकीकृत बाल विकास योजना (1975), मध्याह्न भोजन योजना (1995), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) इत्यादि। वर्ष 2017 में भारत सरकार ने नयी 'राष्ट्रीय पोषण नीति' जारी की जिसमें जीवन चक्र (Life Cycle) के दौरान कुपोषण को दूर करने हेतु कई उपायों को बताया गया है। अपनी इस रणनीति के तहत भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय पोषण मिशन' (NNM) अथवा 'पोषण अभियान' वर्ष 2018 में शुरू किया। इस अभियान को मॉनीटर करने हेतु 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' शीर्ष निकाय है। इस अभियान के तहत कई लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, यथा- चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, महिला एवं बच्चों में एनीमिया, कुपोषण संबंधित अन्य मुद्दे इत्यादि।

आगे की राह

विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन में बताया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में कुपोषण प्रति वर्ष लगभग 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की चपत लगाता है। इस स्थिति में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु सामूहिक प्रयास की जरूरत पर बल दिया जाना चाहिए। वर्तमान में देखा गया है कि कुपोषण ने धनी एवं निर्धन सभी को समान रूप से प्रभावित किया है। एक तरफ भारत में जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भुखमरी व्याप्त है तो वहीं शहरी एवं धनी लोगों में अधिक वजन के द्वारा कुपोषण ने गंभीर समस्या का रूप लिया है। भारत सरकार को चाहिए कि देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली लगभग एक चौथाई जनसंख्या को अपनी विभिन्न योजनाओं के उचित क्रियान्वयन द्वारा पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाये, जबकि वहीं दूसरी तरफ अधिक वजन आदि जैसी कुपोषण की समस्याओं से निजात पाने हेतु जागरूकता को बढ़ाया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

7. कृषि ऋण साख पर आरबीआई की रिपोर्ट : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी, 2019 में एम.के. जैन (आरबीआई के डिप्टी गवर्नर) की अध्यक्षता में 'आंतरिक कार्य समूह' (Internal Working Group-IWG) का गठन किया था। आईडब्ल्यूजी को 'कृषि साख/ऋण' (Agricultural Credit) और समय-समय पर केन्द्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 'कृषि ऋण माफी' (Farm Loan waiver) योजनाओं का विश्लेषण करना था। आईडब्ल्यूजी ने सितम्बर, 2019 में अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को सौंप दी है, जिसे हाल ही में आरबीआई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस लेख में रिपोर्ट में 'कृषि ऋण' पर किये गए विश्लेषण को ही रखा गया, क्योंकि 'कृषि ऋण माफी' से संबंधित कई लेख 'साप्ताहिक पत्रिका' के पिछले अंकों में दिये जा चुके हैं।

परिचय

भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में कृषि को 'ग्रोथ का इंजन' (Engine of Growth) माना गया है, क्योंकि भारत का आर्थिक विकास कृषि पर निर्णायक रूप से निर्भर करता है। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और यहाँ अभी भी आधे से अधिक आबादी कृषि एवं इससे संबद्ध क्षेत्रों से संलग्नित है।

2011 की जनगणना में बताया गया है कि आर्थिक गतिविधियों में कुल 481.7 मिलियन लोग कार्यरत हैं जिसमें से 55 प्रतिशत कृषि एवं उससे सम्बद्ध क्षेत्रों में संलग्नित हैं। इन 55 प्रतिशत लोगों में 118.7 मिलियन किसान हैं (जिनके पास भूमि का मालिकाना हक है) तथा 144.3 मिलियन लोग काश्तकार एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं। 2015-16 में भारत के श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कार्यरत कुल लोगों में 46.1 प्रतिशत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में संलग्नित हैं जबकि 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' (आईएलओ) का कहना है कि 2018 में भारत में 44 प्रतिशत लोग ही कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में

कार्यरत थे। उपर्युक्त के अलावा भारत में कृषि क्षेत्र को समझने हेतु निम्नांकित तथ्यों को देखा जा सकता है-

- 2015-16 की कृषि जनगणना में बताया गया है कि ऑपरेटेड एरिया (Operated Area) 157.14 मिलियन हेक्टेयर है जबकि ऑपरेशन होल्डिंग 146 मिलियन हेक्टेयर है। उल्लेखनीय है कि ऑपरेटेड एरिया के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि (Cultivated land) एवं गैर कृषि योग्य भूमि (Non Cultivated Land) दोनों आते हैं। ऑपरेशनल होल्डिंग (Operational Holding) में ऐसी कृषि योग्य भूमि आती है जिस पर किसी किसान का मालिकाना हक होता है।
- भारत में सीमांत और लघु खेतों में कृषि योग्य भूमि का भाग 44.58 प्रतिशत है। ध्यातव्य है कि सीमांत खेत एक हेक्टेयर से कम और लघु खेत 2 हेक्टेयर से कम के होते हैं।
- 'सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC), 2011' के अनुसार भारत के लगभग 56 प्रतिशत परिवार भूमिहीन हैं।
- भारत की जीडीपी में 1950 में कृषि क्षेत्र का योगदान 52% था, इसके बाद 1990 में यह गिरकर 30 प्रतिशत हो गया और 2010 में यह मात्र 20 प्रतिशत रह गया है। 2010 के बाद भी कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान लगातार गिर ही रहा है। वर्ष 2018-19 में कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्रों का भारत के कुल जीवीए में 14.4% (2011-12 के आधार मूल्य पर) का ही योगदान रह गया है।
- भारत में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत वृहद तौर पर चार गतिविधियों को शामिल किया जाता है, वे हैं- फसल (Crop), पशुधन (Livestock), वानिकी (Forestry) एवं मत्स्य पालन (Fisheries)। सरकार ने इन गतिविधियों के विकास हेतु समय-समय पर कई उल्लेखनीय प्रयास किये हैं। अनाज में उत्पादन को बढ़ाने हेतु 1960 के दशक के अंत से लेकर 1980 के दशक के प्रारंभ तक हरित क्रांति का प्रथम चरण चलाया गया (जबकि हरित क्रांति का द्वितीय चरण वर्तमान में प्रगति पर है)। 1970 के दशक में दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु श्वेत क्रांति लायी गयी। कपास का उत्पादन बढ़ाने हेतु जीन क्रांति 21वीं सदी की शुरूआत में आयी और मत्स्य उत्पादन हेतु नीली क्रांति 1970 के दशक से शुरू होकर 21वीं सदी के शुरूआत तक चली। इन सब क्रांतियों का परिणाम यह रहा कि भारत कृषि उत्पादों में न सिर्फ आत्मनिर्भर बना बल्कि वह एक निर्यातक देश भी बन गया।

कृषि साख/ऋण

भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि साख या ऋण पर अपनी रिपोर्ट में काफी विश्लेषण किया है। आरबीआई की रिपोर्ट में कृषि साख से संबंधित विभिन्न समयकाल में चलाई गयीं नीतियाँ एवं उनके प्रभाव तथा असमानताओं को दिखाया गया है। भारत में कृषि साख या ऋण से संबंधित विकासक्रम को आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में तीन चरणों में बाँटा है-

- **प्रथम चरण (1951-1969):** भारत सरकार ने 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरूआत की और इसमें प्राथमिक क्षेत्र को प्रधानता प्रदान की। राष्ट्रीय क्रेडिट परिषद् ने 1960 के दशक में इस बात पर काफी जोर दिया था कि बैंकों को प्राथमिक क्षेत्र (यथा- कृषि एवं लघु उद्यम आदि) में ऋण को उपलब्ध कराना चाहिए। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद आरबीआई ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं को खोलने पर काफी जोर दिया। आजादी के बाद से 1969 तक कृषि ऋण कॉपरेटिव क्षेत्र से ज्यादा बाँटा जाता था।
- **द्वितीय चरण (1970-1990):** बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद कृषि ऋण में सहकारी इकाईयों के अलावा वाणिज्यिक बैंकों ने अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करायी। इस चरण (1970 से 1990 तक) में कृषि ऋण हेतु सरकार द्वारा कई उल्लेखनीय प्रयास हुए, यथा- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम (1976), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की एक अधिनियम के तहत स्थापना आदि। नाबार्ड ने कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन हेतु 'स्वयं सहायता समूहों' (SHGs) पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया।
- **तृतीय चरण (1991 के बाद):** आरबीआई की रिपोर्ट में कृषि साख के तृतीय चरण को आर्थिक सुधारों के बाद से वर्तमान तक लिया गया है। आर्थिक सुधारों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर काफी ध्यान केन्द्रित किया गया। सन् 1992-93 के दौरान नाबार्ड द्वारा 'एसएचजी- बैंक लिंकेज प्रोग्राम' (SHG-Bank Linkage Programme) शुरू किया गया। 1995 में नाबार्ड (NABARD) द्वारा 'ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि' (RIDF) का गठन किया गया। 1998 में 'किसान क्रेडिट कार्ड' (KCC) की योजना लायी गयी। बाद में सरकार ने कृषि साख से संबंधित अन्य योजनाएँ भी लायी और सन् 2008 में भारी मात्रा में कृषि ऋण को भी माफ किया।

भारत सरकार के उपर्युक्त प्रयासों से जहाँ एक तरफ किसानों द्वारा गैर-संस्थागत कृषि ऋण लेने की प्रवृत्ति घटी, वहीं दूसरी तरफ संस्थागत ऋण ने कृषि जीडीपी में उल्लेखनीय योगदान दिया, हालांकि समय-समय पर संस्थागत ऋण का कृषि जीडीपी में योगदान के ग्राफ में परिवर्तन भी देखने को मिले किन्तु अंततः संस्थागत ऋण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने का ही प्रयास किया। हाल ही में प्रकाशित आरबीआई की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि संस्थागत ऋण सभी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 60 फीसद सीमांत और लघु किसान सरकार की तमाम वित्तीय समावेशन की योजनाओं के बावजूद भारतीय बैंकिंग सिस्टम से दूर है। बाकी बचे लगभग 40 प्रतिशत किसान बैंकिंग सिस्टम से जुड़े जरूर हैं पर उनमें से लगभग 30 प्रतिशत किसान बैंकों से कृषि ऋण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भारत में जितने भी किसान कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्रों में संलग्नित हैं उनमें से लगभग 10 प्रतिशत किसान ही किसी तरह संस्थागत कृषि ऋण का लाभ उठा पा रहे हैं। आरबीआई की रिपोर्ट में इसके कारणों एवं समाधान का उल्लेख किया गया है।

संस्थागत कृषि ऋण उपलब्ध न होने के कारण

भारत में किसानों द्वारा बैंकिंग या अन्य संस्थागत वित्तीय प्रणाली से कृषि ऋण को न प्राप्त कर पाने के कई कारण हैं, जो निम्नलिखित हैं-

- भारत में अभी भी काफी जनसंख्या अशिक्षित है और यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में और भी दयनीय हालत में है। शिक्षा के अभाव के कारण किसान, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों में जाने से डरता है और यदि वह इन संस्थानों में पहुँच गया तो इन संस्थानों से कृषि ऋण प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया को नहीं समझ पाता है।
- बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थान कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु किसानों से कई प्रकार के दस्तावेज की माँग करते हैं, जिससे किसान को कई बार बैंकों एवं अन्य सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया में उसका समय व धन बर्बाद होने के

साथ-साथ कई दिनों की दिहाड़ी या मजदूरी मारी जाती है।

- बैंकों की अपेक्षा स्थानीय साहूकार एवं अन्य अनौपचारिक संगठन किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराते हैं। यही कारण है कि भारत में अभी भी छोटे व मझोले किसान वृहद स्तर पर गैर-संस्थागत कृषि ऋण ले रहे हैं।
- भारत सरकार ने सन् 2008 में 'डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम' (DILRMP) जरूर शुरू किया था किन्तु इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन उचित ढंग से नहीं हो पाने के कारण कृषि योग्य भूमि के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण वृहद् स्तर पर नहीं हो पाया है जिसके कारण बैंकिंग अधिकारियों को किसान क्रेडिट कार्ड एवं अन्य योजनाओं के तहत काश्तकारों (Tenant Farmers) को कृषि ऋण देने में असुविधा होती है। कई बड़े किसान इस लूप होल का फायदा उठाकर एक ही जमीन के टुकड़े पर अलग-अलग बैंकों से कई बार आसान ब्याज दरों पर कृषि ऋण प्राप्त कर लेते हैं।
- भारत में जनसंख्या के दबाव के चलते भूमि की सापेक्षिक रूप से कमी है। यहाँ पर बहुत कम किसानों के पास जमीन का मालिकाना हक है, ज्यादातर लोग बटाईदार, लीज पर भूमि लेकर कृषि करने वाले भूमिहीन खेतिहर मजदूर आदि के रूप में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में संलग्नित हैं। प्रोफेसर के.एन.राज द्वारा किये गये एक अध्ययन से यह पता चलता है कि भारत में 80% से अधिक काश्तकारी (यथा- बटाई में कृषि करना, लीज/पट्टे पर कृषि करना आदि) अनौपचारिक है। इस कारण काश्तकार (यथा- बटाईदार आदि) के पास कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं जिस कारण उन्हें बैंकों से ऋण उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। बैंक इन काश्तकारों को ऋण उपलब्ध कराने से काफी कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऋण की इनसे रिकवरी काफी कठिन कार्य है।
- समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने कृषि ऋण माफी योजनाओं को काफी जोर-शोर से लागू किया है। इन योजनाओं ने धीरे-धीरे किसानों से वोट पाने का एक हथियार का रूप ले लिया है। इसकी वजह से किसानों में बैंकों एवं अन्य सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर वापस न करने की संस्कृति ने विकास किया है जिस कारण उपर्युक्त संस्थान किसानों को ऋण देने से कतराते हैं क्योंकि वर्तमान में बैंकों की एनपीए समस्या विकराल रूप ले रही है।
- भारत में सहकारी कृषि को लेकर भी कोई विशेष सफलता देखने को नहीं मिली है। केवल 2 प्रतिशत किसान ही इससे जुड़ पाये हैं। भारत में इसकी विफलता के पीछे कई कारणों को उत्तरदायी माना गया है, यथा- जागरूकता एवं शिक्षा का अभाव, सहकारिता में लाभों एवं मजदूरियों का व्यावहारिक निर्धारण में कठिनाई, सहकारी समितियों के पंजीकरण में विलम्ब, गैर कार्यकारी (Non Executive) नेतृत्व का अभाव इत्यादि। उल्लेखनीय है कि सहकारी कृषि में कृषि ऋण की रिकवरी की दर अन्य की अपेक्षा अधिक है, अत: इसमें बैंक ऋण उपलब्ध कराने से कम कतराते हैं।

सहकारी कृषि (Cooperative Farming)

सहकारी कृषि में स्वामित्व को बदले बिना संबंधित किसानों द्वारा आपस में मिलकर कृषि कार्य किया जाता है। इस संदर्भ में उनके द्वारा संबंधित राज्य के 'सहकारिता अधिनियम' के तहत एक समिति (Society) का पंजीकरण करवाया जाता है।

गैर-संस्थागत कृषि ऋण से हानि

वर्तमान में भारत में कृषि लागत काफी अधिक है और उसकी एवज में किसान को अपनी फसल बेचकर आनुपातिक रूप से कम लाभ प्राप्त होता है। ऐसे में यदि किसान बैंक एवं अन्य औपचारिक वित्तीय संस्थानों से सस्ती ब्याज दरों पर कृषि ऋण नहीं लेगा तो उसकी कृषि लागत अपेक्षाकृत अधिक हो जायेगी लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि कई कारणों की वजह से किसान बैंकों एवं अन्य संस्थागत वित्तीय संस्थानों से ऋण नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए किसान साहूकार एवं अन्य अनौपचारिक संगठनों से उच्च ब्याज दरों पर कृषि ऋण लेने को मजबूर हो जाते हैं। इस स्थिति में किसान द्वारा फसल से लाभ कमाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, अत: वह अपने पुराने ऋण को चुकाने हेतु और अधिक मात्रा में गैर-संस्थागत ऋण लेता है तथा फिर वह धीरे-धीरे ऋण जाल के एक दुष्चक्र में फँस जाता है, जहाँ से उसका निकलना लगभग असंभव होता है। ऐसी स्थिति में वह अपनी पैतृक सम्पत्ति या फिर भूमि बेचने के लिए मजबूर हो जाता है और कभी-कभी किसान द्वारा आत्महत्या भी कर ली जाती है।

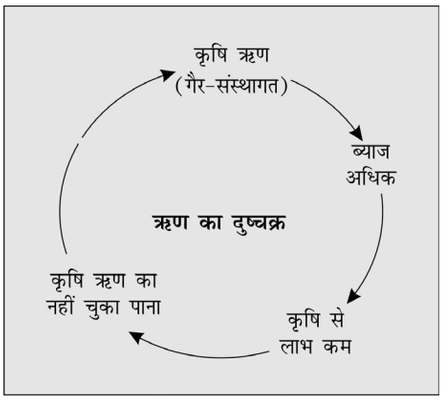

सुझाव

कृषि क्षेत्र में व्याप्त रुग्णता को कम करने एवं संस्थागत कृषि ऋण को उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित बातों पर गौर किया जा सकता है-

- कृषि ऋण को किसानों द्वारा आसानी से प्राप्त करने और बैंकों द्वारा भी ऋण की रिकवरी अपेक्षाकृत अधिक होने का उत्तम विकल्प विशेषज्ञों द्वारा 'सहकारी कृषि' को माना गया है। सहकारी कृषि के तहत चार-पाँच छोटे-छोटे किसान मिलकर बैंकों के पास कृषि ऋण की माँग करते हैं, अत: बैंक भी ऋण देने हेतु प्रोत्साहित होते हैं क्योंकि ग्रुप का यदि एक किसान ऋण नहीं दे पाता है तो अन्य किसान उसकी मदद करते हैं, यदि वह जान-बूझकर ऐसा कर रहा है तो वे उस पर नैतिक दबाव बनाते हैं। इस प्रकार सहकारी कृषि से न केवल छोटे खेतों को बड़े खेतों में बदला जा सकता है बल्कि कृषि कार्य को संगठित भी किया जा सकता है।
- नीति आयोग द्वारा इस बात का सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकारें लीजिंग (Leasing) अथवा पट्टे को लागू करके न केवल कृषि ऋण एवं छोटे खेतों की समस्या से निपट सकती हैं बल्कि कृषि से जुड़ी विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से कृषि कार्य करने वाले व्यक्ति तक पहुँचाया जा सकता है। लीजिंग के अंतर्गत, एक अनुबंध के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को कृषि कार्य के लिए निर्धारित समय के लिए निर्धारित प्रतिफल के आधार पर दे सकता है। इस अनुबंध में यह स्पष्ट रूप से वर्णित रहता है कि भू-स्वामी का भू-स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा।
- लीजिंग से कृषि ऋण के अलावा फसल बीमा, अकाल सहायता, डायरेक्ट बेनीफिट

ट्रांसफर (डीबीटी) आदि को वास्तविक रूप से कृषि कार्य करने वाले तक पहुँचाया जा सकता है।

- जो लोग वास्तविक रूप से कृषि कार्यों में संलग्न हैं और उनके पास भूमि का मालिकाना नहीं है, सरकार को ऐसे लोगों को हथबंदी (सीलिंग) की प्रक्रिया द्वारा भूमि उपलब्ध कराना चाहिए। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। लोगों के पास भूमि उपलब्ध होने से वह संस्थागत कृषि ऋण विभिन्न कृषि आगतों (Inputs) हेतु प्राप्त कर सकते हैं और साहूकार के चंगुल से बच सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ हथबंदी को संवैधानिक आधार, अनुच्छेद 39 (b) के आधार पर प्रदान करते हैं। भारत जैसे राष्ट्रों में यदि 'समानता और दक्षता' (Equality and Efficiency) में यदि कोई टकराहट होती है तो समानता के मूल्य को वरीयता देकर समाज का विकास करना चाहिए।
- सरकार को 'डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम' (DILRMP) में तीव्रता लानी चाहिए ताकि भू-अभिलेखों का पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण हो सके, इससे बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने में आसानी होगी।
- सरकार भूमिहीन कृषकों के लिए भी कई योजनाएँ लाती हैं लेकिन इन योजनाओं के प्रति जागरूकता की कमी के चलते लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं, जैसे- वर्तमान में 'किसान बंधन योजना' के तहत बैंकों को स्पष्ट दिशा-निर्देश है कि एक लाख तक ऋण में किसान को किसी भी तरह की भूमि बंधन हेतु मजबूर न किया जाये। किसान बंधन योजना के तहत भूमिहीन खेतिहर मजदूर, बटाईदार एवं अन्य काश्तकार लाभान्वित हो सकते हैं। अत: सरकार को ऐसी योजनाओं को जोर-शोर से प्रचारित करना चाहिए।

आगे की राह

भारत में अधिकांश किसान सीमांत और लघु प्रकार के हैं। वे बाजार कीमतों पर आधुनिक कृषि आगतों (Inputs) को खरीदने में असमर्थ हैं। अत: इस हेतु सरकार को उन्हें न सिर्फ कृषि ऋण उचित ब्याज दरों में उपलब्ध कराना होगा बल्कि कृषि सब्सिडी, कृषि बीमा आदि का भी बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि भारत में यदि कृषि उत्पादकता बढ़ाना है तो केवल पूँजीगत सुधारों से ही काम नहीं चलेगा, सरकार को कृषि क्षेत्र के अन्य संरचनात्मक सुधार (यथा-भूमि सुधार आदि) और तकनीकी सुधार की तरफ ध्यान देना होगा। इस प्रकार सरकार को यदि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है तो कृषि एवं इससे संबद्ध क्षेत्रों के उन्नयन हेतु संतुलित नीति बनानी होगी और कृषि सुधारों को सामाजिक न्याय व खाद्य सुरक्षा आदि से भी जोड़कर देखना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

1. ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और तकनीक : संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

प्र. ग्रामीण भारत को सशक्त करने के लिए विज्ञान और तकनीक के महत्त्व को रेखांकित करते हुए इसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों का वर्णन करें।

उत्तर:

संदर्भ

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समावेश सभी नागरिकों की मेधा व सामर्थ्य का उपयोग कर सामाजिक विकास को तेजी से आगे बढ़ाता है। साथ ही, देश की आर्थिक उन्नति भी सुनिश्चित होती है।

परिचय

- भारत में विकास का मार्ग और सफर दोनों चुनौतियों से भरे हैं। यहां जलवायु, भौगोलिक स्थिति, खानपान, संस्कृति जैसी अनेक स्तरों पर विविधता देखने को मिलती हैं जो कई बार विकास में बाधक होती है।

ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार की विभिन्न तकनीक

- **अस्त्र (ASTRA):** 1970 के दशक में ग्रामीण भारत की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रयत्न देखने को मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विज्ञान एवं तकनीकी अनुप्रयोग के अंग्रेजी में संक्षिप्ताक्षर 'अस्त्र' का इस हेतु प्रयोग किया गया था।
- **स्टेम और सीएसआर:** साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पर फोकस रखते हुए शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना 'स्टेम' कार्यक्रम का मूलमंत्र है।
- **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना:** ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी दूर करने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े कौशलों का विकास करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है।
- **तारा योजना:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार के सीड अनुभाग के अंतर्गत एक योजना 'तारा' (TARA- टेक्नोलॉजीकल एडवांसमेंट फार रुरल एरियाज) को संचालित किया जाता है।

चुनौतियाँ

- ग्रामीण भारत का विकास निरन्तर हो रहा है परन्तु इसकी गति अत्यंत मध्यम रही है। दुनिया भर में, यह स्वीकार किया गया है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी गरीब और अमीर के बीच के अंतर को पाटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किन्तु भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के साथ-साथ जागरूकता का अभाव पाया जाता है जिससे गाँवों का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। गौरतलब है कि शहर के साथ-साथ गांवों में भी इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल फोन के प्रयोग में तेजी आई है परंतु उनमें तकनीकी सृजन या नवाचार की प्रवृत्ति के विकास की दर बहुत धीमी या नगण्य है।

निष्कर्ष

- भारत के संदर्भ में यह बात तो तय है कि ग्रामीण विकास से होकर ही राष्ट्रीय विकास का लक्ष्य पूरा हो सकता है। वहीं विज्ञान और तकनीक के समावेश के द्वारा ग्रामीण समुदाय, युवाओं, महिलाओं, किसानों, वंचितों तथा दिव्यांग-जनों को साथ लेकर ग्रामीण विकास का सपना पूरा किया जाना संभव है। ■

2. सरकार द्वारा वित्तपोषित एनजीओ अब आरटीआई के दायरे में

प्र. भारत में एनजीओ को आरटीआई कानून में शामिल करने से क्या फायदे होंगे? साथ ही इनसे संबंधित उभरने वाले मुद्दों की भी जाँच करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि सरकार से पैसे लेने वाले गैर सरकारी संगठन (Non Governmental Organisation) सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी देने के लिए बाध्य हैं।

परिचय

- करीब चौदह साल पहले जब सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ था, तब इसका मकसद यही था कि सरकार और उसकी मदद से चलने वाले संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता लाई जाए, ताकि जनता का हित सुनिश्चित हो सके।

आरटीआई एक्ट के दायरे में एनजीओ को लाने की आवश्यकता क्यों

- देश भर में ऐसे गैर सरकारी संगठनों की संख्या काफी बढ़ी है जिन्हें सरकारी महकमों से अनुदान लेने में कोई हिचक नहीं होती, लेकिन उसके ब्यौरे में पारदर्शिता बरतना उन्हें जरूरी नहीं लगता। बल्कि इस कानून से मुक्त होने की उम्मीद में ही शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने वाले कुछ एनजीओ, कई स्कूल-कॉलेज और संगठनों ने शीर्ष अदालत में दावा किया था कि एनजीओ आरटीआई कानून के दायरे में नहीं आते हैं। हालांकि सूचना का अधिकार कानून में यह प्रावधान मौजूद है कि सरकार से सहायता लेने वाले एनजीओ और अन्य संस्थानों को अपनी आय से संबंधित सारी जानकारी अपनी वेबसाइटों पर सार्वजनिक करनी होंगी।

चुनौतियाँ

- गैर-सरकारी संगठन राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होना बहुत दुर्लभ होता है। इसके कई कारण होते हैं। सरकारों, अन्य संस्थानों, कारोबारी और औद्योगिक घरानों के अलावा अन्य स्रोतों से लिया जाने वाला चंदा इसकी प्रमुख वजह माना जाती है।

आगे की राह

- गैर सरकारी संगठन समुदायों को सबल बनाते हैं, इसलिये उनके दमन की नहीं बल्कि उन्हें समर्थन देने की आवश्यकता है। ■

3. अफगान शांतिवार्ता की विफलता और उसके भावी परिणाम

प्र. अंतरा-अफगान वार्ता के विफल होने के बाद अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने में अमेरिका एवं अन्य पक्षकारों को किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? साथ ही अफगानिस्तान में भारत के हितों को भी बताएँ।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान नेताओं के साथ 'कैंप डेविड' में होने वाली गोपनीय बैठक को रद्द कर शांति वार्ता के फिर से शुरू होने की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

वार्ता से पीछे क्यों हटा अमेरिका

- अमरीका ने तालिबान की यह शर्त मान ली थी कि वार्ता में अफगान सरकार को शामिल नहीं करना है। ऐसे में 15 महीने की वार्ता में अमरीका वह हासिल नहीं कर सका, जिसकी उसे उम्मीद थी।
- अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कुछ और भी कारण बताते हैं। उनका मानना है कि समझौते पर दस्तखत के लिए चुना गया समय भी राजनीतिक दृष्टि से ट्रंप प्रशासन को मुश्किल में डाल सकता था।

अंतरा-अफगान संवाद और पेंच

- अमेरिका चाहता है कि तालिबान इसकी गारंटी दे कि वह किसी भी आतंकवादी समूहों को बाहरी देश पर हमले में अफगानिस्तान की जमीन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगा क्योंकि इसी तालिबान का अफगानिस्तानी भू भाग में अल कायदा से हुए गठजोड़ के बाद अमेरिका को 2001 में यहां जमे रहने पर विवश कर दिया था।

अफगानिस्तान में आगामी राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा

- अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने जून 2019 में अफगानिस्तान के अपने दौरे के दौरान यह संकेत दिया था कि उनका देश चाहता है कि राष्ट्रपति चुनाव के पहले ही तालिबान से कोई समझौता हो जाए। हालांकि तालिबान आगामी राष्ट्रपति के निर्वाचन समेत देश की सभी चुनावी प्रक्रियाओं को लगातार खारिज करता आया है।

भारत के हित

- भारत पहले ही अफगानिस्तान में अरबों डॉलर के लागत वाले कई मेगा प्रोजेक्ट्स को पूरा कर चुका है और कुछ पर अभी भी काम चल रहा है। भारत ने अब तक अफगानिस्तान को लगभग तीन अरब डॉलर की सहायता दी है जिसके तहत वहाँ संसद भवन, सड़कों और बांध आदि का निर्माण हुआ है। वहां कई मानवीय व विकासशील परियोजनाओं पर वह अभी भी काम कर रहा है।

आगे की राह

- अफगानिस्तान का मामला बहुत पुराना और पेचीदा है। समय की मांग है कि शांति के लिए चर्चा होनी चाहिए। तीन बड़े पक्षकार- अमरीका, तालिबान और अफगान सरकार के लिए जरूरी है कि आपसी विश्वास को बढ़ाया जाए। ■

4. गिग कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता

प्र. गिग इकोनॉमी क्या है? गिग कर्मचारियों के लिए सरकार ने जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है वह इनके सामाजिक सुरक्षा को कितना प्रभावी बनाएगा? चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गिग कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया है जिससे कि उनकी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके।

गिग इकोनॉमी का परिचय

- गिग का अर्थ है प्रत्येक असाइनमेंट के लिए पहले से निर्धारित भुगतान राशि। गिग इकोनॉमी में प्रति असाइनमेंट के आधार पर पैसा मिलता है। यहां व्यक्ति अपनी सहूलियत के अनुसार काम कर सकते हैं।

भारत की स्थिति

- भारत के संदर्भ में देखें तो गिग इकोनॉमी के मामले में उसका अपना एक स्थान है। मानव संसाधन फर्म टीमलीज के आँकड़ों के अनुसार दिल्ली इस क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने में तेज गति से आगे बढ़ रही है।

गिग कर्मचारी और सामाजिक सुरक्षा

- भारत के श्रम कानून विधान में मुक्त बाजार व्यवस्था (गिग इकोनॉमी) में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं, जिससे उन्हें कर्मचारियों से जुड़े कुछ अधिकार मिलने लगेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 का प्रस्ताव किया है, जिसमें 'गिग वर्कर्स' और 'प्लेटफॉर्म वर्कर्स' को चिह्नित किया गया है, जिन्हें कभी भी देश के श्रम कानून में पहले शामिल नहीं किया गया था।

ड्राफ्ट की आवश्यकता क्यों?

- गिग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी असंगठित क्षेत्र से आते हैं, इसलिए उनके संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की तरह सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं। परिणामस्वरूप उन्हें सामाजिक सुरक्षा की कोई भी योजनाओं का व्यय नहीं मिल पाता है, जैसे कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, वेतन, पेंशन, जीवन बीमा आदि।

गिग इकोनॉमी के फायदे

- भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है वहां गिग इकोनॉमी से बहुत संख्या में युवाओं को रोजगार मिल सकता है।
- गिग कर्मचारी होने का बड़ा फायदा यह है कि आपको अपनी मर्जी से काम करने की छूट मिलती है। जब तक कोई प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट हाथ में है, तब तक काम करें, और फिर जब तक मन करें, छुट्टियां ले लें।

गिग इकोनॉमी के कुछ नुकसान

- जहां तक बात गिग इकोनॉमी से हानि की है, तो इससे लंबे समय तक बेरोजगारी तथा अनिश्चित आमदनी का भय सदैव बना रहता है। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सहयोगियों को पेंशन व अन्य परिलब्धियाँ कंपनी द्वारा नहीं प्रदान की जाती हैं।

आगे की राह

- डिजिटल युग के उद्भव के कारण गिग इकोनॉमी की बढ़ती लोकप्रियता से स्पष्ट है कि आने वाले समय में इसका क्षेत्र व्यापक होगा, इसलिए अर्थव्यवस्था की समृद्धि के लिए भारत को भी कौशल विकास पर ध्यान देने हेतु अग्रिम रणनीति पर विचार करना आवश्यक है। ■

5. राजद्रोह बनाम वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

प्र. राजद्रोह से आप क्या समझते हैं? क्या आईपीसी की धारा 124क वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- आईपीसी की धारा 124क न सिर्फ पुलिस को अनावश्यक और असीमित अधिकार देती है बल्कि इसके जरिये व्यवस्था से असहमति जताने वालों को परेशान करने के कई उदाहरण भी रहे हैं। जिसको लेकर हाल ही में धारा 124क की वैधानिकता को लेकर बहस तेज हो गई है।

राजद्रोह का कानून क्या है

- यदि कोई व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध बोले गये अथवा लिखे गये शब्दों द्वारा अथवा प्रतीक या चिह्नों द्वारा अथवा दृश्यरूपणों द्वारा घृणा, अपमान अथवा वैमनष्य पैदा करता है या पैदा करने का प्रयास करता है, तो राजद्रोह का अपराध करता है।

वैधता के पक्ष में तर्क

- आतंकवाद, उग्रवाद और साम्प्रदायिकता जैसी समस्याएँ आज भी बरकरार हैं। कई दफा तो नक्सली और सिम्मी (Students Islamic Movement of India - SIMI) जैसे समूह भी आंतरिक सुरक्षा के समक्ष गंभीर चुनौती पेश करते हैं। इन स्थितियों से निपटने के लिये इस तरह के सख्त कानूनी प्रावधान आवश्यक हो जाते हैं ताकि ऐसी अतिवादी स्थितियों से निपटने में राज्य सक्षम हो सके।

विपक्ष में तर्क

- धारा 124क का विरोध करने वाले लोग मानते हैं कि यह धारा संविधान द्वारा नागरिकों को दिये गए 'वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के अधिकार का उल्लंघन करती है। जानकारों का तर्क है कि जब संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में, विशिष्ट परिस्थितियों में 'वाक् एवं अभिव्यक्ति' की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है, तो धारा 124क की जरूरत ही नहीं होनी चाहिये।

अभिव्यक्ति की आजादी और राजद्रोह

- वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतान्त्रिक शासन-प्रणाली की आधारशिला होती है। प्रेस की आजादी से लेकर राजनीतिक भाषण तक सभी वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार माने जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का रुख

- सर्वोच्च न्यायाधीश मॉरिस ग्वायर की अध्यक्षता वाले फेडरल कोर्ट ने इस संदर्भ में आदेश दिया था कि राजद्रोह-कानून को सरकार की छवि सुधारने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता।
- 1962 में केदारनाथ बनाम बिहार राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि सरकार की आलोचना या फिर प्रशासन पर टिप्पणी करने भर से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता।

विधि आयोग का दृष्टिकोण

- विधि आयोग ने अपने परामर्श पत्र में कहा है कि एक जीवंत लोकतंत्र में सरकार के प्रति असहमति और उसकी आलोचना सार्वजनिक बहस का प्रमुख मुद्दा होना चाहिए।

आगे की राह

- निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि भारत में अब भी आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद तथा माओवाद आदि का खतरा विद्यमान है। अत: राजद्रोह संबंधी कानून की आवश्यकता है। ■

6. ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज 1990 – 2017 : एक विश्लेषण

प्र. कुपोषण ने बच्चों व महिलाओं से लेकर समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया है और अब इसने धीरे-धीरे एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या का रूप धारण कर लिया है। कुपोषण के विविध लक्षणों या रूपों को स्पष्ट करते हुए, इससे निपटने हेतु मौलिक उपायों पर चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में 'द लैंसेट चाइल्ड एण्ड अडलसेंट हेल्थ' जर्नल में 'द बर्डन ऑफ चाइल्ड एण्ड मैटरनल मालन्यूट्रिसन एण्ड ट्रेंड्स इन इट्स इंडीकेटर्स इन द स्टेट्स ऑफ इंडिया: ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 1990-2017' नामक रिपोर्ट का प्रकाशन 'इंडिया स्टेट-लेवल डिजीज बर्डन इनीशिएटिव' द्वारा किया गया।

लैंसेट में प्रकाशित रिपोर्ट की महत्त्वपूर्ण बातें

- इस रिपोर्ट में भारत में बीमारियों के बोझ के पीछे कई कारणों में से शिशु एवं मातृ (Maternal) कुपोषण पर गहन विश्लेषण किया गया है।

इस हेतु भारत सरकार की विभिन्न रिपोर्टों एवं अन्य अनुसंधान से डाटा लिया गया है। इस रिपोर्ट में 1990 से 2017 तक भारत के विभिन्न राज्यों में कुपोषण की स्थिति की भी चर्चा की गयी है।

- कुल 'विकलांगता समायोजित आयु' (Disability Adjusted Life Year-DALY) में से 17% के लिए कुपोषण को जिम्मेदार माना गया है। ध्यातव्य है कि 'विकलांगता समायोजित आयु' मानव के पूरे जीवन में आयी समग्र बीमारी के बोझ को व्यक्त करने का एक तरीका है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2017 में 'जन्म के समय कम वजन' (Low Birth Weight- LBW) 21 प्रतिशत के करीब था। किन्तु विभिन्न राज्यों में इसकी स्थिति भिन्न-भिन्न थी।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्ष 2017 में चाइल्ड स्टंटिंग का आँकड़ा 39% था, गोवा में यह न्यूनतम 21% और उत्तर प्रदेश में अधिकतम 49% था। इस प्रकार पूरे देश में चाइल्ड स्टंटिंग की समस्या व्याप्त है।
- भारत में वर्ष 2017 में चाइल्ड अंडरवेट 32.7 प्रतिशत था।

सरकारी प्रयास

- भारत सरकार, देश में कुपोषण की चुनौती से निपटने हेतु समय-समय पर कई योजनाओं को अमल में लायी है, यथा- एकीकृत बाल विकास योजना (1975), मध्याह्न भोजन योजना (1995), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) इत्यादि। वर्ष 2017 में भारत सरकार ने नयी 'राष्ट्रीय पोषण नीति' जारी की जिसमें जीवन चक्र (Life Cycle) के दौरान कुपोषण को दूर करने हेतु कई उपायों को बताया गया है।

आगे की राह

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन में बताया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में कुपोषण प्रति वर्ष लगभग 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की चपत लगाता है। इस स्थिति में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु सामूहिक प्रयास की जरूरत पर बल दिया जाना चाहिए। वर्तमान में देखा गया है कि कुपोषण ने धनी एवं निर्धन सभी को समान रूप से प्रभावित किया है। ■

7. कृषि ऋण साख पर आरबीआई की रिपोर्ट : एक अवलोकन

प्र. भारत में गैर-संस्थागत कृषि ऋणों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से नुकसान पहुँचाया है? इससे उबरने हेतु मौलिक सुझावों की चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी, 2019 में एम.के.जैन (आरबीआई के डिप्टी गवर्नर) की अध्यक्षता में 'आंतरिक कार्य समूह' (Internal Working Group-IWG) का गठन किया था। आईडब्ल्यूजी को 'कृषि साख/ऋण' (Agricultural Credit) और समय-समय पर केन्द्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 'कृषि ऋण माफी' (Farm Loan waiver) योजनाओं का विश्लेषण करना था।

परिचय

- 2011 की जनगणना में बताया गया है कि आर्थिक गतिविधियों में कुल 481.7 मिलियन लोग कार्यरत हैं जिसमें से 55 प्रतिशत कृषि एवं उससे सम्बद्ध क्षेत्रों में संलग्नित हैं। इन 55 प्रतिशत लोगों में 118.7 मिलियन किसान हैं (जिनके पास भूमि का मालिकाना हक है) तथा 144.3 मिलियन लोग काश्तकार एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं।

संस्थागत कृषि ऋण उपलब्ध न होने के कारण

- भारत में अभी भी काफी जनसंख्या अशिक्षित है और यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में और भी दयनीय हालत में है। शिक्षा के अभाव के कारण किसान, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों में जाने से डरता है और यदि वह इन संस्थानों में पहुँच गया तो इन संस्थानों से कृषि ऋण प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया को नहीं समझ पाता है।

गैर-संस्थागत कृषि ऋण से हानि

- वर्तमान में भारत में कृषि लागत काफी अधिक है और उसकी एवज में किसान को अपनी फसल बेचकर आनुपातिक रूप से कम लाभ प्राप्त होता है। ऐसे में यदि किसान बैंक एवं अन्य औपचारिक वित्तीय संस्थानों से सस्ती ब्याज दरों पर कृषि ऋण नहीं लेगा तो उसकी कृषि लागत अपेक्षाकृत अधिक हो जायेगी लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि कई कारणों की वजह से किसान बैंकों एवं अन्य संस्थागत वित्तीय संस्थानों से ऋण नहीं ले पा रहे हैं।

सुझाव

- कृषि ऋण को किसानों द्वारा आसानी से प्राप्त करने और बैंकों द्वारा भी ऋण की रिकवरी अपेक्षाकृत अधिक होने का उत्तम विकल्प विशेषज्ञों द्वारा 'सहकारी कृषि' को माना गया है। सहकारी कृषि के तहत चार-पाँच छोटे-छोटे किसान मिलकर बैंकों के पास कृषि ऋण की माँग करते हैं, अत: बैंक भी ऋण देने हेतु प्रोत्साहित होते हैं क्योंकि ग्रुप का यदि एक किसान ऋण नहीं दे पाता है तो अन्य किसान उसकी मदद करते हैं, यदि वह जान-बूझकर ऐसा कर रहा है तो वे उस पर नैतिक दबाव बनाते हैं।

आगे की राह

- भारत में अधिकांश किसान सीमांत और लघु प्रकार के हैं। वे बाजार कीमतों पर आधुनिक कृषि आगतों (Inputs) को खरीदने में असमर्थ हैं। अत: इस हेतु सरकार को उन्हें न सिर्फ कृषि ऋण उचित ब्याज दरों में उपलब्ध कराना होगा बल्कि कृषि सब्सिडी, कृषि बीमा आदि का भी बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

समान नागरिक संहिता

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता तैयार किए जाने पर बल दिया और अफसोस जताया कि सर्वोच्च अदालत के 'प्रोत्साहन' के बाद भी सरकार द्वारा इस मकसद को हासिल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

1.2 गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे मामले में सामने आयी है जिसमें यह सवाल उठा था कि गोवा के निवासियों का अधिकार पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867 से नियंत्रित होगा या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 से नियंत्रित होगा।

पृष्ठभूमि

2.1 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़े भाग-चार में संविधान के अनुच्छेद 44 में संविधान निर्माताओं ने उम्मीद की थी कि राज्य पूरे भारत में समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करेगा, लेकिन आज तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

क्या है समान नागरिक संहिता

3.1 समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम।

3.2 इस वक्त हमारे देश में धर्म और परंपरा के नाम पर अलग नियमों को मानने की छूट है जैसे यदि कोई व्यक्ति हिंदू है तो उसका विवाह, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार आदि हिंदू व्यक्तिगत विधि से शासित होगा और यदि मुस्लिम है तो मुस्लिम व्यक्तिगत विधि से।

3.3 यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर किसी समुदाय विशेष के लिए अलग से नियम नहीं होंगे।

गोवा में समान नागरिक संहिता

4.1 गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कुछ सीमित अधिकारों के संरक्षण को छोड़कर समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों पर लागू होता है।

4.2 दरअसल, 1961 में भारत में शामिल होने के बाद गोवा, दमन और दीव के प्रशासन के लिए भारतीय संसद ने कानून पारित किया- गोवा, दमन और दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962 और इस कानून में भारतीय संसद ने पुर्तगाल सिविल कोड 1867 को गोवा में लागू रखा। इस तरह से गोवा में समान नागरिक संहिता लागू हो गई।

4.3 गोवा में लागू समान नागरिक संहिता के अंतर्गत वहां पर उत्तराधिकार, दहेज और विवाह के संबंध में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लिए एक ही कानून है। इसके साथ ही इस कानून में ऐसा प्रावधान भी है कि कोई माता-पिता अपने बच्चों को पूरी तरह अपनी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते।

4.4 इसमें निहित एक प्रावधान यह भी है कि यदि कोई मुस्लिम अपनी शादी का पंजीकरण गोवा में करवाता है तो उसे बहुविवाह की अनुमति नहीं होगी।

लॉ कमीशन का रूख

5.1 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने लॉ कमीशन को मामले पर रिपोर्ट देने के लिए कहा था। पिछले साल 31 अगस्त को लॉ कमीशन ने यूनिफार्म सिविल कोड और पर्सनल लॉ में सुधार पर सुझाव दिए।

5.2 लॉ कमीशन ने कहा, कि अभी समान नागरिक संहिता लाना मुमकिन नहीं है। इसकी बजाय मौजूदा पर्सनल लॉ में सुधार किया जाए तथा मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता में संतुलन बनाया जाए।

5.3 लॉ कमीशन ने कहा कि पारिवारिक मसलों से जुड़े पर्सनल लॉ को संसद कोडिफाई करने (लिखित रूप देने) पर विचार करे व सभी समुदायों में समानता लाने से पहले एक समुदाय के भीतर स्त्री-पुरुष के अधिकारों में समानता लाने की कोशिश हो

जम्मू -कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (Public Saftey Act-PSA) के तहत नजरबंद किया गया है।

1.2 गौरतलब है कि 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी को भारतीय सैनिकों द्वारा मार गिराने के बाद कश्मीर घाटी में विरोध प्रदर्शनों हुए जिससे सरकार ने पीएसए के तहत 550 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया था।

अधिनियम का इतिहास

2.1 पूर्व मुख्यमंत्री और फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला लकड़ी तस्करों के खिलाफ इस अधिनियम को एक निवारक के रूप में लाए थे, जिसके तहत बिना किसी मुकदमे के दो साल तक जेल की सजा देने का प्रावधान किया गया था।

2.2 1990 के दशक की शुरूआत में जब राज्य में उग्रवाद भड़का तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) पुलिस और सुरक्षा बलों के काम आया।

2.3 गौरतलब है कि 2011 में, पीसीए में बदलाव किया गया। इसमें न्यूनतम आयु को 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। हालिया दशकों से दौरान इसका इस्तेमाल, अलगाववादियों और पत्थरबाजों के खिलाफ किया जा रहा है।

सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम

3.1 यह अधिनियम मात्र संभागीय आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश से लागू होता है।

3.2 यह अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के समान ही है, जिसका प्रयोग अन्य राज्य सरकारों द्वारा नजरबंदी के लिये किया जाता है। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को दो साल तक की गिरफ्तारी या नजरबंदी की अनुमति देता है।

3.3 PSA के तहत हिरासत की एक आधिकारिक समिति द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है और इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

3.4 अगर किसी व्यक्ति के काम से सार्वजनिक व्यवस्था को बनाये रखने में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसे एक वर्ष की प्रशासनिक हिरासत में लिया जा सकता है।

3.5 सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) की धारा 22 के तहत कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अच्छी मंशा से काम करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

कितना कठोर है यह अधिनियम

3.6 साल 2018 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और यह प्रावधान जोड़ा गया कि जम्मू-कश्मीर के बाहर भी किसी व्यक्ति को पीएसए (PSA) के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है।

4.1 सामान्य पुलिस हिरासत के विपरीत, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिये गए व्यक्ति को हिरासत के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रशासनिक नजरबंदी के आदेश को केवल हिरासत में लिये गए व्यक्ति के रिश्तेदारों द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है।

पीएसए लगने के बाद की स्थिति

5.1 किसी व्यक्ति के गिरफ्तारी के 5 दिनों के भीतर जिले का जिला मजिस्ट्रेट उसे लिखित रूप में हिरासत के कारणों के बारे में सूचित करता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इस कार्य में 10 दिन भी लग सकते हैं।

5.2 हालाँकि यदि जिला मजिस्ट्रेट को लगता है कि यह सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा तो उसे यह भी अधिकार है कि वह उन तथ्यों का खुलासा न करे जिनके आधार पर गिरफ्तारी या नजरबंदी का आदेश दिया गया है।

5.3 जिला मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी या नजरबंदी का आदेश सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इस बोर्ड में 1 अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं एवं इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश ही हो सकता है।

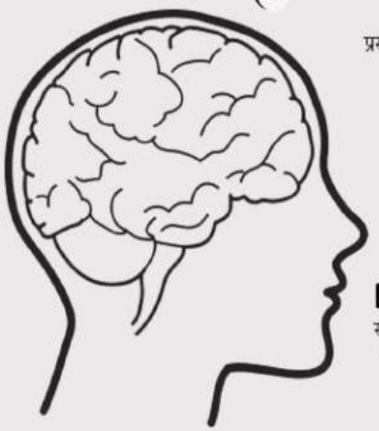

ई-सिगरेट

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में सरकार ने भारत में ई-सिगरेट (E- Cigarette) पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सरकार ने ई-सिगरेट की बिक्री, उत्पादन, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, स्टोरेज और विज्ञापन पर भी रोक लगाई है।

पृष्ठभूमि

2.1 मई 2019 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने एक श्वेत पत्र जारी करते हुए कहा कि ENDS उत्पादों के सेवन से डीएनए खराब हो रहे हैं, कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। इसके अलावा सेल्युलर, मॉलीक्यूलर और इम्युनोलॉजिकल टॉक्सिसटी फेफड़े, दिल और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी हो रही हैं।

ई-सिगरेट का आविष्कार

3.1 2003 में चीनी फार्मासिस्ट होन लिक ने ई-सिगरेट बनाया था, जिसके बाद चीन की ही कंपनी गोल्डन ड्रैगन ने बाकी देशों में इसकी बिक्री शुरू कर दी। भारत में ई-सिगरेट नाथुला-पास, नेपाल समेत अन्य व्यापारिक रुटों से आया।

क्या होती है ई-सिगरेट

4.1 ई-सिगरेट एक खास प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जिसको बैटरी के जरिए चलाया जाता है। लोग इस डिवाइस के माध्यम से बिना तंबाकू के पदार्थों को इनहेल (Inhale) करते हैं।

4.2 इस गैजेट को साधारण सिगरेट और तंबाकू के बदले इस्तेमाल किया जाता है। वहीं, ये डिवाइस अपने उपभोक्ताओं को तंबाकू और ई-सिगरेट के स्वाद जैसा महसूस कराते हैं। इस गैजेट का आकार और रूप असली सिगरेट की तरह होता है।

4.3 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में निकोटीन लिक्विड जलता नहीं, इसलिए इससे धुआं नहीं बनता बल्कि वो गर्म होकर भाप बनता है। इसलिए इसे पीने वाला भाप खींचता है न कि धुआं।

ई-सिगरेट से नुकसान

5.1 ई-सिगरेट को लेकर आईसीएमआर ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, ई-सिगरेट लोगों के डीएनए को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ ही लोगों को ब्रोथ, फेफड़े समेत हार्ट की गंभीर बीमारियां होती हैं।

5.2 वहीं, जो महिलाएं ई-सिगरेट या ई-हुक्के का सेवन करती हैं, उनको प्रेगनेंसी से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

5.3 ई-सिगरेट से निकलने वाले धुएं में बहुत अधिक निकोटिन पाया जाता है।

भारत में ई-सिगरेट का बाजार

6.1 भारत में ई-सिगरेट का बाजार अभी छोटा था, लेकिन इसके बड़ी तेजी से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही थी। 2017 में देश में ई-सिगरेट का बाजार करीब 107 करोड़ का था। लेकिन उम्मीद जताई जा रही थी कि 2022 तक इसमें 60 फीसदी का इजाफा हो जाएगा।

6.2 सिएंट एंड स्ट्रैटिक इंटेलिजेंस के अध्ययन के अनुसार 2024 तक भारत में ई-सिगरेट का बाजार बढ़कर 322.54 करोड़ का हो जाता। भारत में ई-सिगरेट का बाजार हर साल 26.4 फीसदी की दर से बढ़ रहा था।

इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ENDS)

7.1 ENDS एक प्रकार की डिवाइस होती है जो एक विलय को ऊष्मा प्रदान करके एरोसोल का निर्माण करती हैं, इसमें फ्लेवर होते हैं। ई-सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) का एक प्रमुख प्रोटोटाइप है।

7.2 यह डिवाइस जलती नहीं है और न ही यह तम्बाकू का उपयोग करती है। यह डिवाइस विलय को वाष्पीकृत करती है, जिसे उपभोक्ता श्वास के साथ अन्दर लेता है। इसके विलय में निकोटीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इत्यादि का उपयोग किया जाता है।

प्रतिबंध से किसे होगा फायदा

8.1 सरकार का मानना है कि इस प्रतिबंध से युवाओं, किशोरों और बच्चों की सेहत ठीक रहेगी। साथ ही ई-सिगरेट की आदत खत्म होगी। नए अध्यादेश से देश में तंबाकू का उपयोग कम होगा। इससे आर्थिक लाभ होगा और बीमारियां कम होंगी।

इन देशों में है प्रतिबंध

9.1 विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ब्राजील, मेक्सिको, उरुग्वे, बहरीन, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में ENDS पर प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है।

यूएनसीसीडी कॉप-14

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में भारत ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण प्रतिरोध सभा (UNCCD) के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कॉप के 14वें अधिवेशन की मेजबानी की है। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद बढ़ते रेगिस्तान, सूखे और भूमि के क्षरण को रोकना है।

1.2 भारत ने मरूस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन (यूएनसीसीडी) के 14वें सत्र (कॉप 14) को संबोधित करते हुए कहा कि 2015 और 2017 के बीच भारत में पेड़ और जंगल के दायरे में 8 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है।

कॉप क्या है?

2.1 यह UNCCD की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और 197 देश (ईयू सहित) इस निकाय के सदस्य हैं।

2.2 कॉप को सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में कन्वेंशन द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें यूरोपीय संघ जैसे सरकारी और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन शामिल हैं।

2.3 इसके पहले कॉप ने तेरह सत्र आयोजित किए थे। यह वर्ष 1997 से शुरू हुआ जो शुरूआत के तीन वर्षों तक प्रतिवर्ष आयोजित होता रहा और वर्ष 2001 से प्रत्येक दो वर्ष पर आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2017 में चीन के ऑर्डोस में कॉप 13 का आयोजन किया गया था।

2.4 कॉप का एक मुख्य कार्य पार्टियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना है कि वे अपनी प्रतिबद्धताओं को कैसे पूरा कर रहे हैं। कॉप इन रिपोर्टों के आधार पर सिफारिशें करता है। इसमें कन्वेंशन में संशोधन करने या नए एनेक्स को अपनाने की शक्ति भी है।

2.5 इस तरह, कॉप कन्वेंशन को वैश्विक परिस्थितियों और राष्ट्रीय जरूरतों के बदलाव के रूप में मार्गदर्शन कर सकता है।

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण प्रतिरोध सभा

3.1 साल 1994 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण प्रतिरोध सभा (UNCCD) का गठन किया गया था। इसके तहत मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए दस्तावेजों को जमा करने और इसके लिए कदम उठाने का मकसद तय हुआ था।

3.2 साथ ही भूमि प्रबंधन के जरिए 196 देशों को साथ लेकर इस समस्या को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3.3 कॉप हर दो साल में ऐसा अधिवेशन आयोजित करता है जिसमें पिछले कार्यों की समीक्षा और आगे के कदमों को बारे में फैसले लिए जाते हैं।

भारत में मरुस्थलीकरण

4.1 पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार जमीन के क्षरण से देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30 प्रतिशत प्रभावित हो रहा है। भारत ने पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, 2015 में स्वैच्छिक रूप से बोन चुनौती पर स्वीकृति दी थी।

4.2 बोन चुनौती एक वैश्विक प्रयास है। भारत ने कहा था कि 13 मिलियन हेक्टेयर गैर-वनीकृत एवं बंजर भूमि पर साल 2020 तक और अतिरिक्त 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर साल 2030 तक वनस्पतियां उगाई जायेंगी।

'उम्मीद' पहल

चर्चा का कारण

1.1 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने उम्मीद (Unique Methods of Management and Treatment of Inherited Disorders - UMMID) पहल का शुभारंभ किया तथा निदान (राष्ट्रीय वंशानुगत रोग प्रबंधन) केंद्रों का उद्घाटन किया। इन केन्द्रों की स्थापना के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

'उम्मीद' क्या है?

2.1 'उम्मीद' के द्वारा नवजात शिशुओं के माता-पिता को जागरुक किया जायेगा और उन्हें अपने बच्चों को आनुवांशिक बीमारियों से बचाने के लिए बताया जायेगा।

2.2 इसके साथ ही निदान (National Inherited Diseases Administration- NIDAN) केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। इन केन्द्रों की स्थापना के लिए देश के 115 जिलों की पहचान की गई है। इन केन्द्रों में परिजनों को काउंसलिंग, टेस्टिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी

2.3 इसके अलावा कई क्लिनिकल जेनेटिक्स में ज्यादा से ज्यादा प्रयोगशाला कर्मियों को प्रशिक्षण देने की योजना है, ताकि 'उम्मीद' अभियान के अगले चरण में आकांक्षी जिलों (Aspirational Districts) के अस्पतालों में आनुवंशिक बीमारियों का पता लगाने के लिए अधिक संख्या में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की जांच की जा सके।

2.4 मानव आनुवंशिकी (Human Genetics) में कुशल चिकित्सकों को बढ़ावा देना भी इसका लक्ष्य है।

आवश्यकता क्यों

3.1 जन्मजात और आनुवंशिक रोग भारत में बहुत बड़ा स्वास्थ्य संबंधी बोझ बनते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए तथा उपयुक्त और कारगर आनुवंशिक परीक्षण एवं परामर्शी सेवाओं की जरूरत को महसूस करते हुए डीबीटी ने उम्मीद पहल का शुभारंभ किया है जो परहेज इलाज से बेहतर है (Prevention is Better than Cure) की अवधारणा पर आधारित है।

3.2 भारत के शहरी क्षेत्रों में जन्मजात विकृतियां और आनुवंशिक विकार नवजात शिशुओं में मृत्युदर का तीसरा सबसे बड़ा आम कारण है। बहुत बड़ी आबादी और उच्च जन्म दर तथा बहुत से समुदायों में सजातीय विवाहों का पक्ष लिए जाने के मद्देनजर भारत में आनुवंशिक विकारों का प्रचलन बहुत अधिक है।

लाभ

4.1 इस पहल से उन बच्चों की जान बचाई जा सकती है जो घातक आनुवंशिक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। साथ ही, इससे सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं को सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा

4.2 वर्ष 2022 तक 75 नये मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे। दिल्ली, जोधपुर, हैदराबाद और कोलकाता में इन केन्द्रों ने काम करना शुरु कर दिया है। दिल्ली स्थिति लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एयर फोर्स रिसर्च सेंटर में इन केन्द्रों की स्थापना की गई है।

4.3 भारत सरकार ने अपनी नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 में रोगों के निदान की बजाय वेलनेस को ज्यादा महत्व दिया है। 'उम्मीद' पहल आनुवंशिक रोगों की रोकथाम को बढ़ावा देकर वेलनेस प्राप्त करने की दिशा में काम करेगी।

अरामको तेल कंपनी पर ड्रोन हमले

अरामको तेल कंपनी

2.1 अरामको सऊदी अरब की राष्ट्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कंपनी है। यह राजस्व के मामले में दुनिया में कच्चे तेल की सबसे बड़ी कंपनी है।

2.2 मौजूदा समय में कच्चे तेल के इस जॉयंट प्लेयर से बड़े-बड़े देशों का इकोनॉमिक परिदृश्य प्रभावित हुआ है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की मानें तो अरामको ने सालाना कमाई के मामले में 2018 में ऐपल और गूगल कंपनी अल्फाबेट के मुकाबले बाजी मार ली है।

चर्चा का कारण

1.2 गौरतलब है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने तेल कंपनी अरामको के दो ठिकानों पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली। जानकारों का मानना है कि हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है।

1.1 हाल ही में सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको के ठिकानों पर ड्रोन हमले के बाद अमरीका ने वहां सेना भेजने की घोषणा की है। गौरतलब है कि सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको के दो बड़े ठिकानों- अबकीक़ और ख़ुरैस पर ड्रोन हमले हुए थे जिसके कारण अस्थाई तौर पर इन दोनों जगहों पर तेल उत्पादन प्रभावित हुआ है।

प्रभाव

3.1 विश्व के प्रमुख तेल बाजार के सबसे बड़े भंडार पर हुए ड्रोन हमलों के कारण से निकट भविष्य में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इसका प्रभाव करीब-करीब पूरी दुनिया पर पड़ेगा।

3.2 सबसे ज्यादा प्रभाव उन देशों पर पड़ेगा, जो सऊदी अरब से सीधे तेल आयात करते हैं। इस हमले की वजह से कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ेंगी। विश्लेषकों के अनुसार, अगर उत्पादन लंबे समय तक बंद रहा तो तेल संकट गहरा भी सकता है।

भारत पर असर

4.1 यह हमला न केवल मध्य एशिया में अस्थिरता पैदा करेगा, बल्कि अमेरिका और ईरान के मध्य तनाव में और अधिक वृद्धि करेगा। साथ ही वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में वृद्धि होगी।

हमले के वैश्विक मायन

5.1 अरामको पर ड्रोन हमले से तेल की क़ीमतों में उछाल आ गया है। बीते कुछ दशकों में ये सबसे तेज उछाल है और इसने मध्य-पूर्व में एक नए संघर्ष का ख़तरा पैदा कर दिया है।

5.2 इस हमले से सऊदी अरब के कुल उत्पादन और दुनिया की 5 प्रतिशत तेल आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा। भारत क़रीब 83 प्रतिशत तेल आयात करता है। भारत विश्व में तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक है।

5.3 पहले भारत अपने तेल के आयात का 10 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा ईरान से ख़रीदता था। लेकिन इस साल की शुरूआत में अमरीका ने परमाणु समझौते से अलग होने के बाद भारत समेत कई देशों पर यह दबाव बनाया कि वो ईरान से तेल ख़रीदना बंद कर दें।

5.4 फिलहाल भारत अपना ज्यादातर कच्चा तेल और कुकिंग गैस इराक़ और सऊदी अरब से ख़रीदता है। सऊदी अरब से तेल सप्लाई बाधित होने की स्थिति में भारत में तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं और इसके अभी और महंगे होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

5.5 भारत के लिए सऊदी तेल संयत्रों पर हमला चिंता का विषय बन सकता है। सऊदी अरब की अरमाको के साथ भारत की अहम डील है और रिलायंस के भी बिजनस में 20 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी है। इसके साथ ही अरामको महाराष्ट्र में एक बड़ी रिफाइनरी में भी सहभागी है।

भारत में ड्रोन नीति

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में देश की राजधानी में राष्ट्रपति भवन के पास ड्रोन उड़ाने के आरोप में दो विदेशी नागरिकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

ड्रोन क्या है

2.1 ड्रोन (Drone) के कई अलग-अलग अर्थ हैं। यह अंग्रेजी शब्द ड्रान से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'नर मधुमक्खी' ऐसा इसलिए क्योंकि उड़ते वक्त छोटा ड्रोन कमोबेश इसी तरह दिखता है। इसके लिए एक अन्य शब्द यूएवी (Unmanned Aerial Vehicle- UAV) का प्रयोग होता है जिसका अर्थ है मानव रहित विमान।

2.2 ड्रोन अपने आकार, दायरे, स्थिरता और भार उठाने की क्षमता के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। इनमें आमतौर पर स्थिर पंख, रोटर रहते हैं और ये बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं।

भारत में ड्रोन के लिए गाइडलाइन

3.1 DGCA की 2017 की पॉलिसी के अनुसार आम लोगों को अपने घर के आस-पास ड्रोन उड़ाने की इजाजत तो दे दी गई है और कुछ मामलों में वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए स्पष्ट नियमों का अभाव है।

3.2 उदाहरण के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल डिलिवरी, फोटोग्राफी के लिए हो सकता है। लेकिन इसका प्रोसेस कैसे लागू होगा और क्या किया जाएगा इसके बारे में अभी कोई बात नहीं की गई है।

3.3 DGCA के अनुसार रिहायशी इलाकों में बिना अनुमति के ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। साथ ही एयरपोर्ट या हैलिपैड के 5 किलोमीटर के आस-पास ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। इसके अलावा सेंसिटिव जोन या हाईप्रोफाइल सिक्योरिटी वाले इलाके में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता।

3.4 तटीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मिलिट्री और स्ट्रेटजिक लोकेशन्स, सभी राज्यों में स्थित सचिवालय आदि के 50 किलो मीटर के दायरे में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है।

3.5 इसके साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों में भी पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता।

3.6 ड्रोन उड़ाने वाला कम से कम 18 साल या उससे ऊपर का होना चाहिए,

3.7 ड्रोन जिनका वजन 250 ग्राम से 2 किलो के बीच होता है और कैमरा ऑपरेट करते हैं उन्हें उड़ाने के लिए कम से कम पुलिस की इजाजत की जरूरत होती है और जिन ड्रोन का वजन 2 किलो से ज्यादा होता है या फिर जो 200 फिट से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते हैं उन्हें लाइसेंस, फ्लाइट प्लान के साथ-साथ पुलिस की इजाजत और कई मामलों में DGCA की इजाजत की भी आवश्यकता होती है।

ड्रोन इस्तेमाल के क्षेत्र

4.1 गौरतलब है कि खेती से लेकर स्मार्ट सिटी के सर्वे तक ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल भारतीयों के काफी काम आ रहा है। शायद यही कारण है कि भारत में ड्रोन स्टार्टअप कंपनियां बढ़ रही हैं।

4.2 राहत और बचाव अभियान की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।

4.3 कई मौकों पर ड्रोन के इस्तेमाल से आपदा राहत एजेंसियों को सहायता मिली है। इसका उदहारण केरल में देखने को मिला जहाँ विनाशकारी बाढ़ की भयावहता की स्थिति जानने के लिये भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया।

4.4 सांप्रदायिक हिंसा के दौरान व कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल भी हो रहा है।

4.5 मछुआरों के लिए भारत के समुद्रतट पर मछलियों का पता लगाना हो या पूरे भारत के संरक्षित क्षेत्रों में गैर-कानूनी ढंग से शिकार करने वाले शिकारियों पर निगरानी रखनी हो, इस सम्बन्ध में ड्रोन काफी उपयोगी है।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. समान नागरिक संहिता

प्र. समान नागरिक संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़े संविधान के भाग-5 के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है।
2. गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कुछ सीमित अधिकारों के संरक्षण को छोड़कर सभी निवासियों पर समान नागरिक संहिता लागू होती है।
3. समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 3

उत्तर: (c)

व्याख्या: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़े संविधान के भाग-चार के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में संविधान निर्माताओं ने उम्मीद की थी कि राज्य पूरे भारत में समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करेगा, लेकिन आज तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कुछ सीमित अधिकारों के संरक्षण को छोड़कर समान नागरिक संहिता सभी निवासियों पर लागू होता है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 व 3 सही हैं। ■

2. जम्मू -कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम

प्र. जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह अधिनियम मात्र संभागीय आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश से लागू होता है।
2. पीएसए के तहत हिरासत की एक आधिकारिक समिति द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है और इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
3. जिला मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार या नजरबंदी का आदेश सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना होता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2 (d) केवल 3

उत्तर: (d)

व्याख्या: यह अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के समान ही है, जिसका प्रयोग अन्य राज्य सरकारों द्वारा नजरबंदी के लिये किया जाता है। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को दो साल तक की गिरफ्तारी या नजरबंदी की अनुमति देता है। अगर किसी व्यक्ति के काम से सार्वजनिक व्यवस्था को बनाये रखने में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसे एक वर्ष की प्रशासनिक हिरासत में लिया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी या नजरबंदी का आदेश सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इस बोर्ड में 1 अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं एवं इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश ही हो सकता है। ■

3. ई-सिगरेट

प्र. ई-सिगरेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ई-सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) का एक प्रमुख प्रोटोटाइप है।
2. ई-सिगरेट से निकलने वाले धुएँ में बहुत कम निकोटिन पाया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या: हाल ही में सरकार ने भारत में ई-सिगरेट (E- Cigarette) पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सरकार ने ई-सिगरेट की बिक्री, उत्पादन, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, स्टोरेज और विज्ञापन पर भी रोक लगाई है। ई-सिगरेट एक खास प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जिसको बैटरी के जरिए चलाया जाता है। लोग इस डिवाइस के माध्यम से बिना तंबाकू के पदार्थों को इनहेल (Inhale) करते हैं। ई-सिगरेट से निकलने वाले धुएं में बहुत अधिक निकोटिन पाया जाता है। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। ■

4. यूएनसीसीडी कॉप-14

प्र. यूएनसीसीडी कॉप-14 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह UNCCD की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और 197

देश (ईयू सहित) इस निकाय के सदस्य हैं।

2. कॉप का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या: हाल ही में भारत ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण प्रतिरोध सभा (UNCCD) के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कॉप के 14वें अधिवेशन की मेजबानी की है। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद बढ़ते रेगिस्तान, सूखे और भूमि के क्षरण को रोकना है। कॉप को इस सभा के सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में कन्वेंशन द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें यूरोपीय संघ जैसे सरकारी और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन शामिल हैं। कॉप हर दो साल में ऐसा अधिवेशन आयोजित करता है जिसमें पिछले कार्यों की समीक्षा और आगे के कदमों को बारे में फैसले लिए जाते हैं। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। ■

5. 'उम्मीद' पहल

प्र. 'उम्मीद' पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. 'उम्मीद' के द्वारा नवजात शिशुओं के माता-पिता को जागरुक किया जायेगा और उन्हें अपने बच्चों को आनुवंशिक बीमारियों से बचाने के लिए बताया जायेगा।
2. मानव आनुवंशिकी (Human Genetics) में कुशल चिकित्सकों को बढ़ावा देना भी इसका लक्ष्य है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'उम्मीद' (Unique Methods of Management and Treatment of Inherited Disorders - UMMID) पहल का शुभारंभ किया तथा निदान (राष्ट्रीय वंशानुगत रोग प्रबंधन) केंद्रों का उद्घाटन किया। इन केन्द्रों की स्थापना के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही निदान केन्द्रों की स्थापना 'उम्मीद' पहल के तहत की जाएगी। इन केन्द्रों की स्थापना के लिए देश के 115 जिलों की पहचान की गई है। इन केन्द्रों में परिजनों को काउंसलिंग, टेस्टिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

6. अरामको तेल कंपनी पर ड्रोन हमले

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अरामको सऊदी अरब की राष्ट्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कंपनी है। यह राजस्व के मामले में दुनिया में कच्चे तेल की सबसे बड़ी कंपनी है।
2. अरामको महाराष्ट्र में एक बड़ी रिफाइनरी में भी सहभागी है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको के ठिकानों पर ड्रोन हमले के बाद अमरीका ने वहां सेना भेजने की घोषणा की है। गौरतलब है कि सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको के दो बड़े ठिकानों-अबकीक और खुरैस पर ड्रोन हमले हुए थे, जिसके कारण अस्थाई तौर पर इन दोनों जगहों पर तेल उत्पादन प्रभावित हुआ है। फिलहाल भारत अपना ज्यादातर कच्चा तेल और कुकिंग गैस इराक और सऊदी अरब से खरीदता है। सऊदी अरब से तेल सप्लाई बाधित होने की स्थिति में भारत में तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं और इसके अभी और महंगे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

7. भारत में ड्रोन नीति

प्र. भारत में ड्रोन नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. डीजीसीए के अनुसार कुछ शर्तों के साथ आम लोगों को अपने घर के आस-पास ड्रोन उड़ाने की इजाजत है।
2. डीजीसीए के अनुसार एयरपोर्ट या हैलिपैड के 5 किलोमीटर के आस-पास ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता।

उपुर्यक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: तटीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मिलिट्री और स्ट्रेटजिक लोकेशन्स, सभी राज्यों में स्थित सचिवालय आदि के 50 किलो मीटर के दायरे में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों में भी पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ मिलकर 'STIMEX' नामक त्रिपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है?

-सिंगापुर और थाईलैंड

2. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 2019 मनाया गया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?

-15 सितम्बर

3. हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस गैस से संचालित रॉकेट इंजन विकसित करने की योजना बना रहा है?

-मीथेन

4. हाल ही में किस अभिनेता को सर्वसम्मति से भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड के लिए चुना गया है?

-अमिताभ बच्चन

5. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया?

-ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड

6. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया?

-150वीं

7. हाल ही में लद्दाख के किस नृत्य को 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स' में शामिल किया गया है?

-शोंडोल

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक नीति की अनिश्चितता निवेश को किस प्रकार प्रभावित करती है? टिप्पणी कीजिए।

2. भारत सरकार द्वारा द्विव्यांग-जनों के सशक्तिकरण हेतु किये जा रहे प्रयासों की व्याख्या करें, साथ ही इनके सामाजिक पुनर्वास संबंधी चुनौतियों की भी चर्चा करें।

3. भारत सरकार द्वारा ग्रामीण भारत में स्वच्छ पर्यावरण और साफ-सफाई हेतु किये जा रहे प्रयासों की चर्चा करें, साथ ही इस संबंध में आने वाली समस्याओं का भी वर्णन करें।

4. पोषण को मानव विकास, गरीबी कम करने और आर्थिक विकास के लिए सबसे किफायती माना जाता है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा किये गये पोषण अभियान की व्याख्या कीजिए।

5. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि ''भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में असीमित विकास की संभावनाएँ हैं?'' अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

6. कुलभूषण जाधव मामले का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताएँ कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिये गए हालिया निर्णय से भारत के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं, साथ ही निर्णय के महत्त्व पर भी प्रकाश डालें।

7. भारत में एफडीआई प्रवाह 2018-19 में पूर्व वर्षों की तुलना में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, किन्तु फिर भी यह संतोषजनक नहीं है। ऐसे कौन से कारक हैं जिससे एफडीआई में बाधा आ रही है?

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. कृषि वैज्ञानिकों ने पेश की गेहूँ की नयी किस्म 'करन वंदना'

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के करनाल स्थित गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान केन्द्र ने गेहूँ की एक नई किस्म 'करन वन्दना' पेश की है। यह किस्म रोग प्रतिरोधी क्षमता रखने के साथ-साथ अधिक उपज देने वाली है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूँ की यह किस्म उत्तर-पूर्वी भारत के गंगा तटीय क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त है। वर्षों के अनुसंधान के बाद विकसित 'करन वन्दना' अधिक पैदावार देने के साथ गेहूँ 'ब्लास्ट' नामक बीमारी से भी लड़ने में सक्षम है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह किस्म पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की कृषि भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु में खेती के लिए उपयुक्त है। उनके अनुसार जहां गेहूँ की अन्य किस्मों से औसत उपज 55 क्विन्टल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जाती है वहीं 'करन वन्दना' से 64.70 क्विन्टल प्रति हेक्टेयर से भी अधिक की पैदावार हासिल की जा सकती है। संस्थान के निदेशक डॉ. ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, ''गेहूँ की इस नई किस्म ('करन वन्दना'-डीबीडब्ल्यू 187) में रोग से लड़ने की कहीं अधिक क्षमता है। साथ ही इसमें प्रोटीन के अलावा जैविक रूप से जस्ता, लोहा और कई अन्य महत्वपूर्ण खनिज मौजूद हैं जो आज पोषण आवश्यकताओं की जरूरत के लिहाज से इसे बेहद उपयुक्त बनाता है।'' उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर धान में 'ब्लास्ट' नामक एक बीमारी देखी जाती थी लेकिन पहली बार दक्षिण पूर्व एशिया में और अभी हाल ही में बांग्लादेश में गेहूँ की फसल में इस रोग को पाया गया था और तभी से इस चुनौती के मद्देनजर विशेषकर उत्तर पूर्वी भारत की स्थितियों के अनुरूप गेहूँ की इस किस्म को विकसित करने के लिए शोध कार्य शुरु हुआ जिसके परिणामस्वरूप 'करन वन्दना' अस्तित्व में आया। इसमें इस किस्म में इस रोग के साथ कई रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पाई गई है। उन्होंने बताया कि इस नई किस्म के गेहूँ की बुवाई के बाद फसल की बालियां 77 दिनों में निकल आती है और कुल 120 दिनों में यह पूरी तरह से तैयार हो जाता है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केन्द्र के साथ मिलकर स्थानीय किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम से जिले के राखूखोर गांव की प्रशिक्षण लेने वाली एक महिला किसान (श्रीमती कोल्ला देवी, पत्नी-अर्जुन) ने इस बीज की खेती कर लगभग 80 क्विन्टल प्रति हेक्टेयर गेहूँ का उत्पादन कर सबको चकित कर दिया। निदेशक डॉ सिंह ने कहा कि संस्थान की ओर इस किस्म को पश्चिमी भारत में भी खेती के लिए सिफारिश की जायेगी। ■

2. भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) को लेकर बड़ा फैसला किया है। आरबीआई ने बीबीपीएस का दायरा बढ़ाते हुए इसे उन सेक्टर्स में भी लागू करने का फैसला किया है जहां पर बार-बार बिलों का भुगतान करना पड़ता है। इनमें स्कूल फीस, बीमा प्रीमियम, नगर निगम टैक्स समेत कई प्रकार के बिल भुगतान शामिल हैं।

बीबीपीएस का दायरा बढ़ाने को लेकर आरबीआई ने एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि बीबीपीएस का दायरा बढ़ाकर इसमें सभी श्रेणियों के बिलों का भुगतान शामिल किया गया है। हालांकि, इसमें प्रीपेड रिचार्ज को शामिल नहीं किया गया है। बीबीपीएस नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के तहत काम करता है। सर्कुलर में कहा गया है कि अभी तक बीबीपीएस से डायरेक्ट टू होम (डीटीएच), बिजली, गैस, टेलीकॉम और पानी के बिलों का भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध थी।

इन सेवाओं के लिए किया गया विस्तार

बीबीपीएस की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस सुविधा का बार-बार चुकाए जाने वाले बिलों के भुगतान के लिए विस्तार किया गया है। इसमें बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड, स्कूल फीस, ईएमआई और निगमों के कर को शामिल किया गया है। जानकारों का कहना है कि रिजर्व बैंक के इस फैसले से भारत बिल पे के प्रयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी और इससे उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ■

3. राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए)

वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विभिन्न समकक्ष भर्ती के साथ-साथ सरकार में कुछ पदों की भर्ती को सुव्यवस्थित करना। सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट

(CET) आयोजित करने के लिए एक नई राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) की स्थापना की जाएगी, जिसमें अनुमानित 2.5 करोड़ उम्मीदवार प्रतिवर्ष आते हैं। एनआरए इन सभी भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा, जो वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (आईबीपीएस) द्वारा आयोजित की जाती हैं। यह बाद में मुख्य परीक्षाओं का संचालन करने के लिए संबंधित भर्ती एजेंसियों को योग्य उम्मीदवारों की सूची को अग्रेषित करेगा। इस प्रस्ताव के पीछे मूल विचार मुख्य परीक्षा के लिए भेजने से पहले एक पात्रता परीक्षा के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करना है। सरकार में अधीनस्थ-पद के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। प्रारंभिक भर्ती परीक्षा आयोजित करने से, एसएससी और आईबीपीएस के बोझ को कम करना। ■

4. इंटरनेट का इस्तेमाल निजता के अधिकार का हिस्सा

हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि इंटरनेट (Internet) का इस्तेमाल करना संविधान (Constitution) में प्रदत्त शिक्षा के अधिकार (Right to Education) और निजता के अधिकार (Right to privacy) का हिस्सा है। इसके साथ ही अदालत ने उस छात्रा को कॉलेज के हॉस्टल में फिर से प्रवेश देने का निर्देश दिया जिसे मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोकटोक का विरोध करने पर निकाल दिया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम और तरीकों पर रोक लगाकर अनुशासन नहीं थोपा जाना चाहिए। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद ने पाया है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करना एक मौलिक आजादी है और यह शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने का भी एक जरिया है। इसके अलावा हमारे संविधान के अनुच्छेद-21 में व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है।

केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई भी नियम या निर्देश जो छात्रों के इस अधिकार को हानि पहुंचाता है, उसे कानूनन इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी और पढ़ाई के घंटों में इसे जमा करवाने का निर्देश पूरी तरह से गैरजरूरी है। अदालत ने यह भी कहा कि अनुशासन लागू करते वक्त मोबाइल फोन के सकारात्मक पहलू को देखना भी जरूरी है।

इसके अलावा अदालत ने याचिकाकर्ता की बात को स्वीकार करते हुए माना कि मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर इंटरनेट की उपलब्धता को रोकना बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संविधान की धारा 19(1)(a) के अंतर्गत उल्लंघन है। अदालत ने यह स्वीकार किया कि विद्यार्थियों के द्वारा मोबाइल फोन या लैपटॉप का उपयोग कर इंटरनेट की सुविधा तक पंहुचना, उनके लिए ज्ञान प्राप्त करने का ही एक रास्ता है।

अनुच्छेद 21, जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का प्रतीक है, वह अधिकार है जिससे अन्य सभी अधिकार निकलते हैं। जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के बिना, अन्य सभी मौलिक अधिकार बिल्कुल निरर्थक होंगे। अनुच्छेद 21 के तहत उल्लिखित जीवन केवल जीने या सांस लेने की शारीरिक क्रिया को नहीं दर्शाता है। भारतीय संविधान में इसका और भी गहरा अर्थ है जो इसके साथ और भी कई अधिकारों को जोड़ता है, जैसे-

मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार; आजीविका का अधिकार; स्वास्थ्य का अधिकार; प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार; गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का अधिकार; विदेश जाने का अधिकार; एकान्तता का अधिकार; एकान्त कारावास के खिलाफ अधिकार; विलंबित निष्पादन के खिलाफ अधिकार; आश्रय का अधिकार; हिरासत में मृत्यु के खिलाफ अधिकार; सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार; तथा कुछ भी और सब कुछ जो एक गरिमापूर्ण जीवन के मापदंड को पूरा करता है, इत्यादि। ■

5. 'द इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक' 2019

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट 'द इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019' में कहा गया है कि दुनियाभर में प्रवासियों की संख्या करीब 27.2 करोड़ पर पहुंच गई है। इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की उम्र, लिंग और मूल देश तथा दुनिया के सभी हिस्सों के आधार पर संख्या बताई गई है।

कुल प्रवासियों की संख्या दुनिया की आज की आबादी का 3.5% है, जबकि 2000 में यह 2.8 % थी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया के आधे प्रवासी सिर्फ 10 देशों में रहते हैं।

नौकरी, उद्योग, व्यापार जैसे कारणों की वजह से अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में रहने वाले भारतियों की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में जन्मे 1.75 करोड़ लोग अलग-अलग देशों में रहते हैं।

2019 में भारत 1.75 करोड़ की प्रवासी आबादी के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के मामले में सबसे ऊपर पहुंच गया है। गौरतलब है कि भारत ने 2019 में 51 लाख अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों को देश में जगह दी है। हालांकि, यह 2015 के 52 लाख आंकड़ों से कम है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों को अपने यहां जगह देने वाले देशों में सबसे ऊपर यूरोप और उत्तरी अमेरिका हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में यूरोप में 8.2 करोड़ और उत्तरी अमेरिका में 5.9 करोड़ प्रवासी रह रहे हैं। 2010 के मुकाबले 2019 में प्रवासियों की संख्या 5.1 करोड़ पर पहुंच गई।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने दावा किया है कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय हैं। रिपोर्ट के अनुसार 15.6 मिलियन से अधिक भारतीय विदेश में रहते हैं।

विदित हो कि समस्त विश्व के नेताओं ने वर्ष 2030 तक प्रवासियों के अधिकारों के संरक्षण और मनाव तस्करी को समाप्त करने की बात कही है। ■

6. अरुणाचल के विजयनगर एएलजी पर उतरा एएन–32 विमान

अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर स्थित एडवांस लैंडिंग ग्राउंड (एएलजी) के रनवे पर भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान एएन-32 ने सफलतापूर्वक लैंड किया। ईस्टर्न एयर कमांड के आफिसर कमांडिंग इंचार्ज एयर मार्शल आरडी माथुर और ईस्टर्न कमांड के जनरल आफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने आठवें उन्नत लैंडिंग ग्राउंड का उद्घाटन किया।

राज्य में आठवां एएलजी विजयनगर में भारत-चीन सीमा पर चांग्लांग जिले में स्थित है। यह ग्राउंड 2016 से आपरेशन में नहीं था। पुनर्निर्माण के बाद बुधवार को इसका उद्घाटन किया गया। अरुणाचल प्रदेश में कुल आठ उन्नत लैंडिंग ग्राउंड बनाए गए हैं। लैंडिंग ग्राउंड को भारतीय सेना के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। वायु सेना के अधिकारियों ने बताया कि एएन-32 युद्धपोत की लैंडिंग सफल रही।

बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश की चीन सीमा पर देश के अन्य हिस्सों के साथ पुनर्निर्मित रनवे का उपयोग सैन्य विमानन के लिए किया जाएगा। रनवे की मरम्मत एक कठिन काम था। इसमें जोरहाट एयरफोर्स अथॉरिटी की मदद ली गई।

ज्ञातव्य है कि अरुणाचल प्रदेश के अन्य सात लैंडिंग ग्राउंड के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। ये लैंडिंग ग्राउंड अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट, मेचुका, वालोंग, टूटिंग, जीरो और एक तवांग के निकट स्थित है। इसे शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा। विजयनगर में इस लैंडिंग ग्राउंड के साथ कोई सड़क संपर्क नहीं है। इसलिए सभी निर्माण सामग्री को हेलीकॉप्टर के जरिए जोरहाट से ले जाया गया। जीओसी प्रभारी पूर्वी कमान लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने स्थानीय निवासियों से बुधवार को रनवे का उद्घाटन करने के बाद बातचीत की।

विजयनगर

राज्य के सुदूर कोने में विजयनगर स्थित है। यह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चीन और म्यांमार के साथ लगती सीमा के काफी करीब है। ■

7. खराब टायरों का डंपयार्ड बनने की दिशा में भारत

हाल ही में बेकार और खराब हो चुके टायरों को जलाकर सस्ता ईंधन बनाने वाली 270 अवैध औद्योगिक ईकाइयों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कार्रवाई का आदेश दिया है। पीठ ने संबंधित राज्यों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को कहा है कि वह ऐसी औद्योगिक ईकाइयों से न सिर्फ पर्यावरण उपकर वसूले बल्कि इस तरह की औद्योगिक ईकाइयों से वायु और जल प्रदूषण से बचाव संबंधी आदेशों का अनुपालन भी करवाए।

जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 19 सितंबर को सीपीसीबी की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद यह आदेश दिया है। पीठ ने सीपीसीबी से 30 नवंबर, 2019 से पहले आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

सीपीसीबी की ओर से एनजीटी में दाखिल की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 19 राज्यों में कुल 637 ऐसी औद्योगिक ईकाइयां हैं जो सस्ते टायरों को गलाकर ईंधन तैयार करती हैं। इसमें 251 यूनिट प्रदूषण से बचाव के नियमों का पालन करती हैं जबकि 270 ईकाइयां ऐसी हैं जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मानक संचालन नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। वहीं, 116 यूनिट बंद की जा चुकी है। वहीं, एनजीटी ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर भी गौर करने के बाद कहा है कि एक वर्ष के भीतर औद्योगिक ईकाइयों की तकनीकी में बदलाव होना चाहिए। केवल ऐसी कंटिनुअस टायर पाइरोलाइसिस यूनिट को ही इस काम की इजाजत होनी चाहिए। साथ ही रिएक्टर एयर टाइट होना चाहिए। पीठ ने कहा है कि सीपीसीबी उचित आदेश जारी करे। पीठ ने कहा कि दूसरे देशों से सस्ते और खराब टायरों के आयात को लेकर भी गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। ताकि भारत ऐसे खतरनाक प्रदूषण फैलाने वाले बेकार टायरों का डंपयार्ड न बनने पाए। इसके अलावा टायरों को गलाने की प्रक्रिया में शामिल मजदूरों की सुरक्षा के मद्देनजर भी गाइडलाइन बननी चाहिए।

गैर सरकारी संस्था सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवॉयरमेंट (सेफ) की ओर से विक्रांत तोंगड़ ने एनजीटी से मांग की थी कि न सिर्फ खत्म हो चुके टायरों का प्रबंधन होना चाहिए बल्कि नियमों और मानकों के तहत इनका निपटारा किया जाना चाहिए। सेफ ने अपनी दलील में कहा था कि वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण भविष्य में खराब और बेकार होकर कचरा बन जाने वाले टायरों की संख्या में और वृद्धि हो सकती है।

सीपीसीबी की ओर से 2016 में जारी गाइडलाइन और रिपोर्ट के हवाले से याचिका में कहा गया है कि 2015 में करीब 86 लाख वाहन इस्तेमाल लायक नहीं बचे। यह सभी वाहन कबाड़ बन गए और इनका टायर भी कचरे की भेंट चढ़ गया। अनुमान है कि देश में 2025 तक 2.19 करोड़ वाहनों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ है कि इतनी बड़ी संख्या में वाहन कबाड़ बन जाएंगे। गैर सरकारी संस्था चिंतन की एक अन्य रिपोर्ट- सर्कुलेटिंग टायर्स इन द इकोनॉमी में भी कहा गया है कि भारत में सालाना नए वाहनों के पंजीकरण का दर 125 फीसदी बढ़ गया है। वहीं, 2035 तक वाहनों की संख्या में बड़ी वृद्धि का अनुमान है। इस अनुमान के मुताबिक 2035 तक देश में 8.01 करोड़ यात्री वाहनों के साथ 23.64 करोड़ नए दोपहिया वाहन सड़कों पर जुड़ जाएंगे। ऐसे में यह डर भी लाजिमी है कि वाहनों की इतनी बड़ी संख्या से हमें टायर का कचरा भी बड़ा मिलेगा। ■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. ईआरएसएस, ई-बीट बुक व ई-साथी एप

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में पहली एकीकृत ERSS, E-Beat Book, E-SAATHI App का लोकार्पण किया जिससे अब चण्डीगढ में आम नागरिक को आपातकाल में सहायता के लिये अलग-अलग नम्बर याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी।
- इसके लिए नयी सेवा एमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम डायल 112 पर सभी तरह की सहायता आम जनता के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी।
- महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्भया फंड के अंतर्गत इस तरह के एप को जनता के लिए उपलब्ध कराया है ताकि महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों मे कमी लाई जा सके।
- जब तक आम जनता इस आपातकालीन सेवा डायल 112 के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं हो जाती तब तक पुराने आपातकालीन सेवा 100, 101, 108 भी चालू रखे जाएंगे।
- भविष्य में अन्य सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे कि यातायात (1073) महिला हेल्प लाइन (1091, 181) बाल हेल्प लाइन (1098), व आपदा प्रबंधन सहित अन्य सेवाओं को भी इस आपातकालीन सेवा डायल 112 से जोड़ दिया जाएगा।
- आज तक आपातकाल सहायता के लिए 20 से अधिक आपात नम्बर जनता की सुविधा के लिए चल रहे थे। कई बार नंबर व्यस्त रहने के कारण मिल नहीं पाता था लेकिन अब यह सेवा शुरू होने से इन सभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- ई-बीट बुक सिस्टम के तहत हर "ई-बीट बुक" के ईंचार्ज को एंडरॉइड फोन दिये गये हैं, जिसके अन्दर बीट-इंचार्ज के पास पूरी पुलिसिंग का रिकार्ड होगा एवं इस फोन पर एक क्लिक करते ही पूरे शहर से जुड़ी हर जानकारी जैसे कि बाजार, आभूषण विक्रेता, शराब के ठेके, वरिष्ठ नागरिकों की सूची, पीजी क्षेत्र के अच्छे, बुरे नागरिकों के बारे में जानकारी बीट ईंचार्ज को मिल जायेगी।
- इस पर अपराधियों के बारे में पूरा रिकार्ड दर्ज होगा। आम नागरिक गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से अपने मोबाईल पर ई-साथी एप डाउनलोड कर सकता है, जिससे कि कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि, नशा-बिक्री, जुआ-सट्टेबाजी आदि की जानकारी पुलिस को आसानी से दे सकेगा।
- इसके अतिरिक्त "ई-साथी एप" से आम जनता को बिना थाने में गए "आपकी पुलिस आपके द्वार" योजना के तहत पासपोर्ट सत्यापन, किरायेदार सत्यापन, नौकर सत्यापन, चरित्र सत्यापन आदि सेवाओं की अपने क्षेत्र के थाना-अध्यक्ष को सूचना देनी होगी और उनके एक बटन दबाते ही सम्बंधित थानाध्यक्ष उनके दिए हुए समय पर बीट सिपाही भेजकर वाँछित सेवा प्रदान करेगा।
- इसके लिये नागरिकों को एक बटन दबाकर सम्बंधित एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा। इस प्रोद्योगिकी तकनीकी कुशलता से एक ओर जहां बीट सिपाही सशक्त और सक्षम होगा वही ये सीसीटीएनएस और ईआरएसएस से पूर्णत: समायोजित व अनुकुल होगा।

2. नीट योजना

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के बेहतर परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए एक नई पीपीपी योजना, नेशनल एजुकेशनल एलायंस फॉर टेक्नोलॉजी (नीट) की घोषणा की है।
- इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल करना है ताकि अध्ययन को विद्यार्थी की जरूरत के अनुसार अधिक व्यक्तिगत और रुचिकर बनाया जा सके।

- विद्यार्थियों को विविधता प्रदान करने और शिक्षा को उनके अनुरूप बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास की आवश्यकता है। अनेक स्टार्ट-अप कंपनियां इसे विकसित कर रही हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऐसे प्रयासों की पहचान करके उन्हें एक साझा मंच के तहत लाना चाहती है ताकि विद्यार्थी आसानी से इस तक पहुंच सकें।
- युवाओं को शिक्षित करना एक राष्ट्रीय प्रयास है और मंत्रालय का एक पीपीटी मॉडल के जरिये ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने वाली एडटेक कंपनियों के साथ राष्ट्रीय संबंध विकसित करने का प्रस्ताव है।
- मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करेगा कि आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को बड़ी संख्या में स्वतंत्र रूप से समाधान उपलब्ध हो। मंत्रालय एक राष्ट्रीय नीट मंच बनाएगा और उसका रखरखाव करेगा जहां एक स्थान पर तकनीकी समाधान उपलब्ध हों।
- एडटेक कंपनियां समाधान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगी और नीट पोर्टल के जारिये शिक्षार्थियों का पंजीकरण करेंगी। वे अपनी नीति के अनुसार शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र होंगी। राष्ट्रीय हित के लिए उनके योगदान के रूप में, उन्हें एनईएटी पोर्टल के जरिये समाधान के लिए कुल पंजीकरण का 25% तक मुफ्त कूपन देने की पेशकश करनी होगी। मंत्रालय सामाजिक/आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़े छात्रों को अध्ययन के लिए मुफ्त कूपन वितरित करेगा।
- एआईसीटीई एनईएटी कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। इस योजना को मंत्रालय द्वारा गठित एक सर्वोच्च समिति के मार्गदर्शन में चलाया जाएगा। एडटेक समाधानों के मूल्यांकन और चयन के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाएगा। तैयार संक्षिप्त सूची की एडटेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- शिक्षकों और छात्रों के लिए एनईएटी समाधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय द्वारा जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। मंत्रालय का नवंबर 2019 की शुरुआत में एनईएटी को शुरू करने और उसे चलाने का प्रस्ताव है।

3. कूलिंग एक्शन प्लान

- विश्व ओजोन दिवस, 2019 के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि विश्व ओजोन दिवस पर पूरे विश्व का ध्यान ओजोन परत को बचाने के महत्व की तरफ आकर्षित होता है।
- वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार भारत मार्च, 2019 में समग्र 'कूलिंग एक्शन प्लान' शुरू करने वाले देशों में शामिल हो गया है। इसके तहत आवासीय और व्यापारिक इमारतों, कोल्डा-चेन, रेफ्रीजिरेशन, यातायात और उद्योगों के लिए परिशीतन समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
- 'कूलिंग एक्शिन प्लान' के अंतर्गत परिशीतन की मांग में कटौती करने में मदद मिलेगी, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उत्सर्जन में कमी आएगी। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री अंतोनियो गुतरेस ने भारत के 'कूलिंग एक्शन प्लान' की सराहना करते हुए कहा है कि सभी देशों को इसी तरह की योजना का विकास करना चाहिए।
- भारत के 'कूलिंग एक्शन प्लान' का उद्देश्य निम्नलिखित है-
  - सभी क्षेत्रों में 2037-38 तक कूलिंग की मांग में 20 से 25 प्रतिशत कटौती करना
  - वर्ष 2037-38 तक रेफ्रीजरेशन की मांग में 25 से 30 प्रतिशत तक की कमी करना
  - वर्ष 2037-38 तक कूलिंग ऊर्जा आवश्यकताओं को 25 से 40 प्रतिशत तक कम करना,
  - कूलिंग और संबंधित क्षेत्रों को अनुसंधान के लिए मान्य करना
  - वर्ष 2022-23 स्किल इंडिया मिशन के साथ सेवा क्षेत्र के 1,00,000 तकनीशियनों को प्रशिक्षित करना इत्यादि।

4. लीप और अर्पित

- मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने नई दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग (पीएमएमएमएनएमटीटी) के तहत लीडरशिप फॉर अकादमीशियंस प्रोग्राम (लीप)-2019 और एनुअल रीफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग (अर्पित)-2019 को लॉन्च किया।
- गौरतलब है कि शिक्षक शिक्षा प्रणाली की बुनियाद है और अर्पित ऐसा बड़ा मंच है, जहां शिक्षक अपने क्षेत्र में होने वाले आधुनिक विकासों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी शिक्षण खूबियों का विकास कर सकते हैं।
- बेहतर नतीजों के लिए इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षकों की भागीदारी को बढ़ाया जाये। इसके अलावा अर्पित कार्यक्रम के प्रति अधिक से अधिक शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए प्रभावशाली कार्यप्रणाली बनाए जाने की जरूरत है।

- यदि हम शिक्षा के स्तर में सुधार करना चाहते हैं तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में नई चीजों पर ध्यान देना होगा। हमारे पास दृष्टि और मिशन है, हमें बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।
- हमें हर तीसरे महीने में विश्लेषण करना चाहिए ताकि विश्व में हम पीछे न रह जाएं। हमें मूल्यांकन करना होगा, ताकि हम विश्व रैंकिंग में आगे चलकर बेहतर काम कर सकें।
- लीप कार्यक्रम के जरिये प्रशासनिक क्षमताओं और संगठनों के लिए नेतृत्व का विकास कर सकते हैं। इसके लिए नेतृत्व करने वालों पर यह दायित्व है कि वे संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाएं।
- स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कृत्रिम बौद्धिकता के पाठ्यक्रमों को औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए।
- गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिसंबर, 2018 में शिक्षण में वार्षिक रिफ्रेशर कार्यक्रम लॉन्च किया था। अर्पित (एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग) एक ऑनलाइन पहल है जिसके द्वारा एमओओसी (मूक) प्लेटफॉर्म स्वयं का उपयोग करके 15 लाख उच्च शिक्षा के शिक्षक ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्रों (एनआरसी) की पहचान की गई जो ऑनलाइन प्रशिक्षण सामग्री को तैयार करने में सक्षम है।

5. मार्गदर्शन और मार्गदर्शक माध्यम से सुविधा

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की अनेक पहलों का शुभारंभ किया।
- इन पहलों में मार्गदर्शन और मार्गदर्शक माध्यम से सुविधा, डिप्लोमा कोर्सों के लिए मॉडल पाठ्यक्रम, आकांक्षी महिला उद्यमियों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन उत्प्रेरक (डब्ल्यूएडब्ल्यूई समिट 2019) और समस्त फेकल्टी का फीडबैक शामिल हैं।
- इस अवसर पर श्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि 'डब्ल्यूएडब्ल्यूई समिट 2019' एक बेहतरीन पहल है क्योंकि महिलाओं के अपने हाथों में ही कौशल है और इससे वे अधिक सशक्त बनेंगी और प्रेरित होंगी। उन्होंने बताया कि यह डब्ल्यूएडब्ल्यूई शिखर सम्मेलन नवंबर-दिसंबर 2019 में आयोजित किया जाएगा।
- इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और भारतीय अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान (आईआईडब्ल्यूएम) जयपुर में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह सम्मेलन युवा स्नातकों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जाने वाली गतिविधियों की एक शृंखला का हिस्सा होगा।
- श्री निशंक ने कहा कि हमें विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर रहने की जरूरत है। इसलिए ऐसी पहलों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा को दुनियाभर में शीर्ष पर ले जाने के मार्ग को आसान बनाया गया है। इस प्रतिस्पर्धी युग में बेहतर सूझबूझ के लिए छात्रों को तैयार करने हेतु नए पाठ्यक्रमों का सृजन आवश्यक हो गया है। डिप्लोमा कोर्सों के लिए मॉडल पाठ्यक्रम इस दिशा में किया गया एक प्रयास है।
- उन्होंने आगे कहा कि मार्गदर्शन और मार्गदर्शक के माध्यम से सुविधा जुटाना भी एक बहुत अच्छी पहल है, जिसमें शीर्ष संस्थान अन्य संस्थानों को सलाह देंगे ताकि वे अपनी रैंकिंग में सुधार करके परामर्श देने वाले संस्थानों की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का अनुसरण कर सकें। श्री निशंक ने कहा कि शिक्षक (मार्गदर्शक) अन्य संस्थानों का उनकी बेहतरी के लिए मार्गदर्शन करेंगे।
- श्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि संकाय योजना के समस्त फीडबैक से शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी होगी। यह योजना छात्रों और शिक्षकों दोनों को ही प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इन योजनाओं को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया है और ये नए भारत के सृजन में योगदान देंगी।

6. कॉर्पोरेट टैक्स में कमी

- सरकार आयकर अधिनियम 1961 और वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2019 में कुछ संशोधन करने के लिए कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 लेकर आई है। विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम में एक नया प्रावधान डाला गया है, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रभावी होगा।
- यह किसी भी घरेलू कंपनी को 22% की दर से आयकर का भुगतान करने का विकल्प देता है। इसके लिए शर्त यह है कि वह किसी तरह की छूट/प्रोत्साहन नहीं लेंगे।
- सरचार्ज और उपकर को मिलाकर कंपनियों के लिए प्रभावी कर की दर 25.17% होगी। ऐसी कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की आवश्यकता भी नहीं होगी।
- विनिर्माण क्षेत्र में ताजा निवेश को आकर्षित करने और सरकार की 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम में एक नए प्रावधान को शामिल किया गया है। यह वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रभावी होगा।

- ऐसी कोई भी नई घरेलू कंपनी जो 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित हुई हो, उसे नए निवेश को शामिल करने की अनुमति होगी। उसके पास 15% की दर से कर चुकाने का विकल्प होगा। यह लाभ उन कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो किसी तरह की छूट/प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठाती हैं और उनका उत्पादन 31 मार्च, 2023 या उससे पहले शुरू हो जाएगा।
- सरचार्ज और उपकर मिलाकर इन कंपनियों के लिए प्रभावी कर की दर 17.01% होगी। ऐसी कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की आवश्यकता भी नहीं होगी।
- एक कंपनी जो रियायती कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुनती है और कर छूट/प्रोत्साहन का लाभ उठाती है, वे पूर्व-संशोधित दर पर ही कर का भुगतान करती रहेगी। हालांकि, ये कंपनियां अपने कर छूट की अवधि समाप्त होने के बाद रियायती कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकती हैं।
- विकल्प चुनने के बाद वे 22% की दर से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे और एक बार इस्तेमाल करने के बाद इस विकल्प को वापस नहीं लिया जा सकता है। ऐसी कंपनियों जो छूट/प्रोत्साहन का लाभ उठाना जारी रखती हैं, उन्हें राहत प्रदान करने के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है।
- पूंजी बाजार में धन के प्रभाव को स्थिर बनाए रखने के लिए वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 द्वारा बढ़ाया सरचार्ज कंपनी में शेयरों की बिक्री अथवा इक्विटी फंड यूनिट की बिक्री अथवा प्रतिभूति लेनदेन कर के लिए उत्तरदायी व्यवसायिक ट्रस्ट की एक इकाई को एक व्यक्ति, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी द्वारा होने वाले पूंजीगत लाभ पर प्रभावी नहीं होगा।
- बढ़ा हुआ सरचार्ज विदेशी पोर्टफोलियो वाले निवेशकों (एफपीआई) द्वारा डेरिवेटिव्स समेत किसी भी प्रतिभूति की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ पर भी लागू नहीं होगा।
- जुलाई 2019 से पहले शेयरों के बायबैक का ऐलान करने वाली सूचीबद्ध कंपनियों को राहत पहुंचाने के क्रम में यह फैसला लिया गया है कि उन्हें शेयरों के बायबैक पर लगने वाला कर नहीं देना होगा।
- सरकार ने सीएसआर के तहत होने वाले 2% के खर्च को विस्तार देने का भी फैसला किया है। अब 2% सीआरआर राशि केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा किसी एजेंसी अथवा केंद्र व राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा वित्तपोषित इनक्यूबेटर्स पर भी खर्च की जा सकेगी।
- इसके साथ ही एसडीजी को प्रोत्साहन करने के मकसद से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं मेडिसिन के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले सरकारी विश्वविद्यालयों, आईआईटी, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त संस्थाओं (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आईसीएआर, आईसीएमआर, सीएसआईआर, डीएई, डीआरडीओ, डीएसटी के संरक्षण में स्थापित) के लिए भी योगदान दे सकेंगे।

7. वियना में एनसीजी विश्वम कैंसर केयर कनेक्ट का शुभारंभ

- परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ. के.एन व्यास ने आईएईए के 63वें आम सम्मेलन से इतर 17 सितंबर, 2019 को एनसीजी विश्वम कैंसर केयर कनेक्ट का विएना में शुभारंभ किया।
- इसके आधार पर नेशनल कैंसर ग्रिड (एनसीजी) की स्थापना हुई और टाटा मेमोरियल सेंटर ने इसका प्रबंधन किया।
- इसमें भारत से 183 हितधारक हैं और इसे कैंसर अस्पतालों और विदेशों के अन्य संबंधित संस्थानों के लिए खोला गया है।
- एनसीजी का उद्देश्य कैंसर के इलाज में असमानता को दूर करना है। एनसीजी 'विश्वम' से वैश्विक स्तर पर यही भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है।
- इस कनेक्ट के लाँच होने के तुरंत बाद 11 देशों ने इसमें अपनी दिलचस्पी जाहिर की। श्रीलंका और बांग्लादेश के अस्पतालों में वीडियो विदेशों के लिए एनसीजी की पेशकश के बारे में वीडियो संदेश के माध्यम से इस कनेक्ट की सराहना की।
- सदस्य देशों ने कैंसर के इलाज में आए अंतर को पाटने के लिए इसे एक व्यापक पैकेज की संज्ञा दी। एनसीजी विश्वम कैंसर के कनेक्ट का आधिकारिक 'लोगो' भी इस अवसर पर जारी किया गया।
- इस लोगो में तीन सी - कैंसर, केयर और कनेक्ट को एक मिट्टी का दीपक बनाते हुए दर्शाया गया है। इस दीपक की ज्योति लाल बिंदु द्वारा दर्शायी गई है।
- यह लाल बिंदु कुमकुम का भी प्रतीक है। जबकि इसका ओरिएन्टेशन एक आंख का प्रतिनिधित्व करता है। दीपक समृद्धि और जीवन को दर्शाता है, जबकि दीपक की लौ आत्मज्ञान के माध्यम से स्वतंत्रता की प्रतीक है।

OOO

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. कृषि क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ

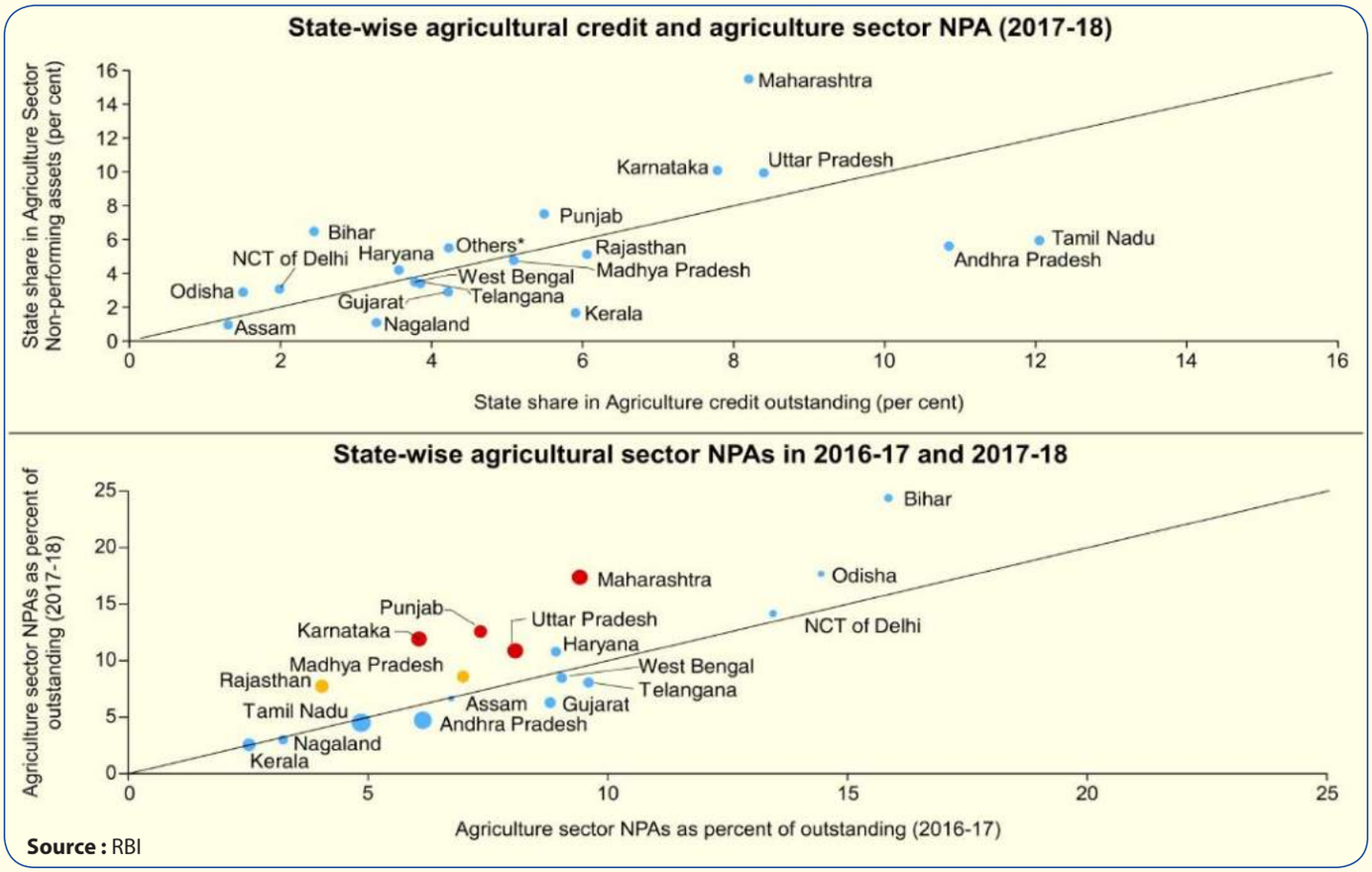

Source : RBI

महत्वपूर्ण तथ्य

- हाल के दिनों में कृषि ऋण माफी लगातार सुर्खियों में बनी रही है। किसी भी ऋण माफी का पहला प्रभाव ऋण देने वाली संस्थाओं के तुलन पत्रों (Balance sheet) पर पड़ता है- चाहे वे औपचारिक हों अथवा अनौपचारिक। सामान्यत: ऋण माफी का प्रभाव सर्वाधिक रूप से बैंकों पर पड़ता है।
- इसके अलावा इससे राज्यों का राजस्व व्यय घाटा भी बढ़ जाता है। इस घाटे की भरपाई वित्त बाजार व्यवस्था से अतिरिक्त उधार लेकर की जाती है, जिससे केवल राज्यों के लिए ही नहीं अपितु पूरी अर्थव्यवस्था के लिए समस्याएँ बढ़ जाती हैं।
- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2019 को पेश किया जिसमें कहा गया है कि 2016-17 और 2017-18 के दौरान एनपीए (NPA) स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। इसका कारण संभवत: कुछ राज्यों द्वारा कृषि माफी, को माना जा सकता है।
- उपर्युक्त चित्र से पता चलता है कि 2017-18 में एनपीए की कुल हिस्सेदारी में महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार जैसे राज्यों का योगदान सर्वाधिक है। अन्य शब्दों में कहें तो एनपीए के सर्वाधिक मामले इन्हीं राज्यों में दर्ज किए गए हैं।
- इसके अलावा चित्र पर नजर डालें तो पाएंगे कि तमिलनाडु, केरल, आंध्रप्रदेश और नागालैण्ड में एनपीए का स्तर अपेक्षाकृत अन्य राज्यों से कम है।
- आंकड़ों से पता चलता है कि 2017-18 और 2018-19 में विभिन्न राज्यों द्वारा कृषि ऋण माफी करने के पश्चात् वहाँ के बैंकों के एनपीए स्तर में वृद्धि हुई है।

2. कृषि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कृषि ऋण

महत्वपूर्ण तथ्य

- कृषि-जीडीपी (Agri-GDP) में कृषि ऋण वितरण (Agri Credit Outstanding) का अनुपात 1950-51 में 0.6 प्रतिशत था जो 1971-72 में बढ़कर 9.81 प्रतिशत हो गया।
- 1950 से 1980 के दौरान कृषि-जीडीपी में वृद्धि का प्रमुख कारण 1969 में किया गया बैंकों का राष्ट्रीयकरण था।

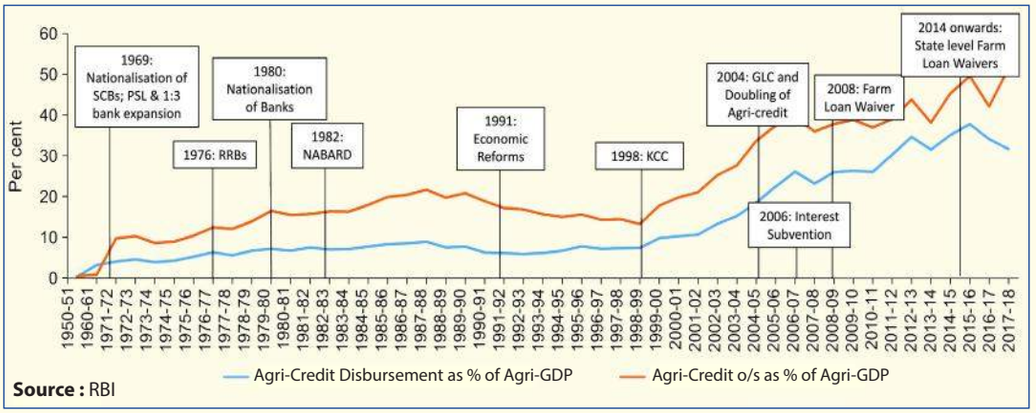

Source : RBI

- इसके अलावा 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (Regional Rural Bank) की स्थापना का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा जिसने कृषि ऋण की उपलब्धता को प्रभावशाली तरीके से देश में पहुँचाया।
- हालांकि इसके विपरीत कृषि ऋण अनुपात 1990-91 से गिरना शुरु हुआ और यह 1998-99 में गिरकर 13.34 प्रतिशत तक हो गया। 1999 के पश्चात कृषि ऋण अनुपात में वृद्धि हुई और 2006-07 में यह 39.55 प्रतिशत तक पहुँच गया। गौरतलब है कि किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card-KCC) ने किसानों को उनकी ऋण की आवश्यकताओं (कृषि संबंधी खर्चों) की पूर्ति के लिए पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान की।
- गौरतलब है कि 2004-05 में शुरु की गई अन्य नीतिगत पहलों (Policy initiatives) ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद के वर्षों में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति के बावजूद यह 2015-16 में 49.63 प्रतिशत और 2017-18 में 51.56 प्रतिशत हो गया। इस चित्र से पता चलता है कि कृषि-ऋण वितरण और कृषि ऋण अदायगी की प्रवृत्ति काफी हद तक समान है, हालांकि कभी-कभी दोनों के बीच विचलन भी देखने को मिला है। इसका एक कारण कृषि ऋण माफी हो सकती है जिसने उधारकर्ता के पुनर्भुगतान व्यवहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया।

3. संस्थागत एवं गैर-संस्थागत स्रोतों से कृषि ऋण

महत्वपूर्ण तथ्य

- 1950 के दशक में ग्रामीण कृषि ऋण की जरुरतों को किसानों द्वारा गैर-संस्थागत (Non-Institutional) स्रोतों विशेषकर बड़े पैमाने पर स्थानीय धन-उधार दाताओं के माध्यम से पूरा किया जाता था।
- हालांकि विभिन्न सरकारी नीतियों के आगमन से इस परिदृश्य को बदल दिया गया, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों ने अहम भूमिका निभाई।

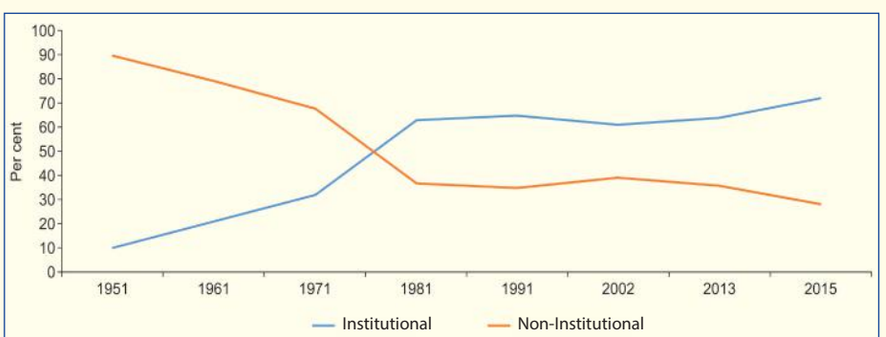

Source: AIDIS 2013 and NAFIS 2016-17.

- वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के प्रमुख स्रोत बन गए। एआईडीआईएस (AIDIS) की रिपोर्ट के अनुसार, 1951 में गैर-संस्थागत स्रोत जो किसानों को ऋण उपलब्ध कराते थे का ऋण अंश कृषक परिवारों के ऊपर लगभग 90 प्रतिशत था लेकिन इसके बाद 1981 में उनकी हिस्सेदारी घटकर 37 प्रतिशत हो गई।
- गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने की दर में यह गिरावट देखी गई। यह 1981 के बाद से लगातार जारी रहा जो 1991 में 35 प्रतिशत तक पहुँच गया था। हालांकि इसके बाद 2002 में इस पैटर्न के उलट 39 प्रतिशत की उच्चतर हिस्सेदारी हुई जो क्रमशः 2013 में फिर से घटकर 36 प्रतिशत पर आ गया। इसके बाद पुनः 2015 में गिरकर यह 20 प्रतिशत तक आ गया।
- एनएएफआईएस (NAFIS) रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार गैर-संस्थागत स्रोतों द्वारा कृषि में ऋण उपलब्ध कराने की दर 28 प्रतिशत थी। इसके विपरीत कृषि में संस्थागत ऋण का हिस्सा 1951 में 10.2 प्रतिशत से बढ़कर 1981 में 63 प्रतिशत हो गया। इसके बाद संस्थागत स्रोतों द्वारा ऋण का हिस्सा 1981 से 2013 के दौरान 63 से 65 प्रतिशत के आस-पास ही रहा। एनएएफआई इस के अनुसार 2015 में संस्थागत स्रोतों द्वारा ऋण उपलब्धता लगभग 72 प्रतिशत थी। एनएएफआईएस रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार कृषक परिवार अब विभिन्न संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त कर रहे हैं जिसमें एनबीएफसी/एमएफआई (NBFC/MFI) वित्तीय कंपनियाँ, वित्तीय निगम (Financial Corporation, भविष्य निधि (Provident Fund) बीमा, रिश्तेदार, दोस्त, साहूकार, जमींदार आदि शामिल हैं। इसके अलावा अन्य स्रोतों के माध्यम से कृषक ऋण प्राप्त कर रहे हैं।

4. कृषक परिवारों को कृषि ऋण वितरण

महत्वपूर्ण तथ्य

- एनएएफआईएस (All India Rural Financial Inclusion Survey-NAFIS) के अनुसार संस्थागत स्त्रोतों से घरेलू कृषकों द्वारा ऋण अर्जित करने को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकता थी। इस संदर्भ में 61 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त कर रहे हैं।
- हालांकि चिंता का विषय यह है कि अभी भी 30 लगभग प्रतिशत कृषक परिवार गैर-संस्थागत स्त्रोतों से क्रेडिट या उधार ले रहे हैं। इसका कारण पता लगाने की आवश्यकता है, कि क्यों 30 प्रतिशत कृषक परिवार संस्थागत ऋण स्रोतों के संपर्क से बाहर हैं।
- इसका संभावित कारण यह हो सकता है कि कृषकों द्वारा अर्जित ऋण कृषि के लिए न होकर निजी उपयोग के लिए हो अथवा इसमें संभवत: वे लोग हो सकते हैं जो किरायेदार किसान, बटाईदार या भूमिहीन मजदूर हों।

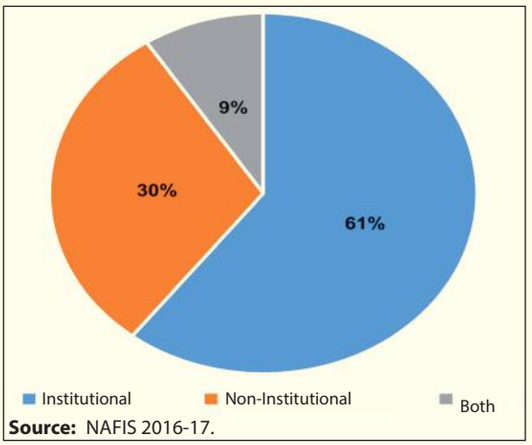

Source: NAFIS 2016-17.

- गौरतलब है कि 9 प्रतिशत ऐसे लोग भी हैं जो संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोतों दोनों से ऋण प्राप्त कर रहे है।
- ज्ञातव्य है कि किसान किसी न किसी रूप में लगभग सभी वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करके आज बकायेदार की श्रेणी में हैं। बकायेदारों को ऋण न देने की नीति के कारण वह अब इन वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में असमर्थ है। परंतु जब उसे अपने किसी अन्य कार्य, सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन हेतु किसी न किसी रूप में धन की आवश्यकता होती है तब वह बाध्य होकर उसी साहूकार के पास ऋण प्राप्ति के लिए जाता है जिससे मुक्ति दिलाने के लिए सरकार प्रयासरत है।

5. राज्य कृषि जीडीपी (प्रतिशत) के संदर्भ में कुल कृषि ऋण वितरण

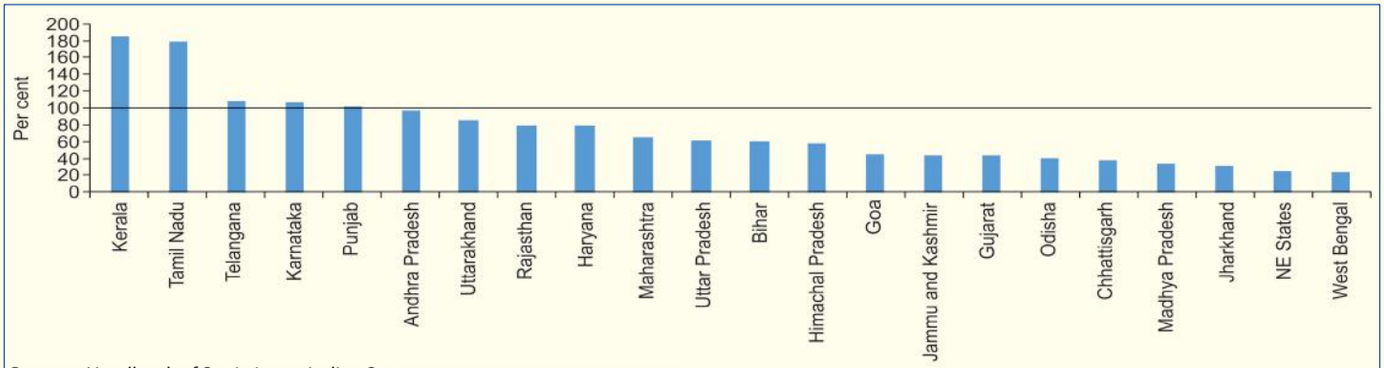

Source: Handbook of Statistics on Indian States.

महत्वपूर्ण तथ्य

- कृषि ऋण की असमानता का क्षेत्रवार विश्लेषण करने पर देखेंगे कि विभिन्न राज्यों में कृषि-ऋण की दर अलग अलग है।
- कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें कृषि ऋण की दर लगभग एक समान है, किंतु उत्तर पूर्व के सभी आठ राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा) का कृषि और संबंध ऋण क्षेत्रों में मामूली हिस्सेदारी है।
- गौरतलब है कि केन्द्रशासित प्रदेशों जो मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र हैं, जहाँ कृषि और संबद्ध गतिविधि के क्षेत्र बहुत सीमित हैं, वे कृषि ऋण की हिस्सेदारी में शामिल नहीं हैं। इसलिए केन्द्रशासित प्रदेशों को कृषि ऋण से संबंधित विश्लेषणों से बाहर रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।
- चित्र का विश्लेषण करने पर पाएंगे कि कुछ राज्य कृषि-जीडीपी से ज्यादा कृषि ऋण प्राप्त कर रहे हैं, जो गैर कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण की संभावना को दर्शाता है। यह क्षेत्रीय असमानता की समस्या को भी उजागर करता है अर्थात केन्द्रीय, पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले राज्यों को कृषि-जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बहुत कम कृषि-ऋण या क्रेडिट मिल रहा है।
- गौरतलब है कि नाबार्ड द्वारा आरआईडीएफ (Rural Infrastructure Development-RIDF) का निर्माण किया गया है जिसका मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में लगी परियोजनाओं जैसे- सिंचाई, सड़क और अन्य क्षेत्र के कार्यों को संपन्न कराने का है।

6. छोटे एवं सीमांत किसानों की जनसंख्या (प्रतिशत में) एवं कृषि ऋण खाता

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह चार्ट राज्यवार तुलनात्मक स्थिति को दिखना है जिसमें लघु एवं सीमांत किसानों की जनसंख्या का प्रतिशत एवं ऋण खातों की संख्या शामिल है। विश्लेषण से पता चलता है कि विभिन्न राज्यों के छोटे एवं सीमांत किसानों की एक बड़ी जनसंख्या की ऋण खातों तक पहुँच नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्यों में जिस अनुपात में छोटे एवं सीमांत किसान हैं, उस अनुपात में उनके पास ऋण खातों (Loan accounts) की सुविधा नहीं है।

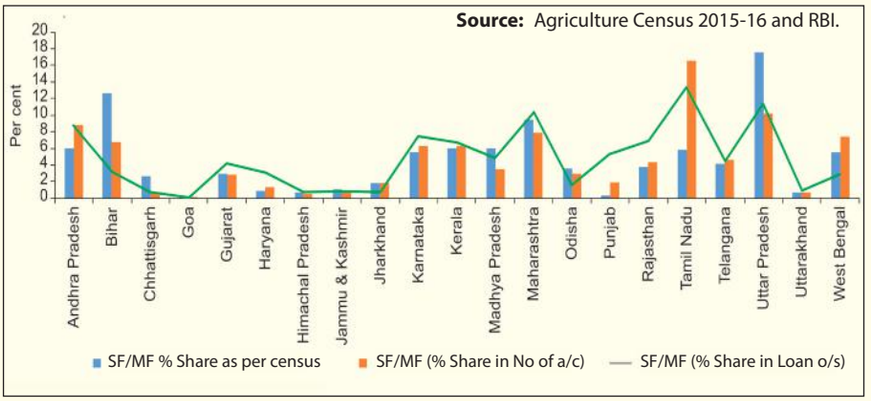

- तमिलनाडु एक ऐसा राज्य हैं जहाँ पर छोटे एवं सीमांत किसानों की संख्या लगभग 6 प्रतिशत है, जबकि कुल ऋण खातों की संख्या पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ 17 प्रतिशत ऋण खाते, इन्ही 6 प्रतिशत किसानों के पास हैं। इसी प्रकार आंध्रप्रदेश में सीमांत एवं लघु किसानों की तुलना में बैंक ऋण खातों की संख्या तमिलनाडु के बाद देश में सर्वाधिक है।
- इसके अलावा बिहार, झारखण्ड, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहाँ कृषि ऋण खातों की संख्या व सीमांत व छोटे किसानों की जनसंख्या (प्रतिशत) में अंतर पाया जाता है।

7. किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या

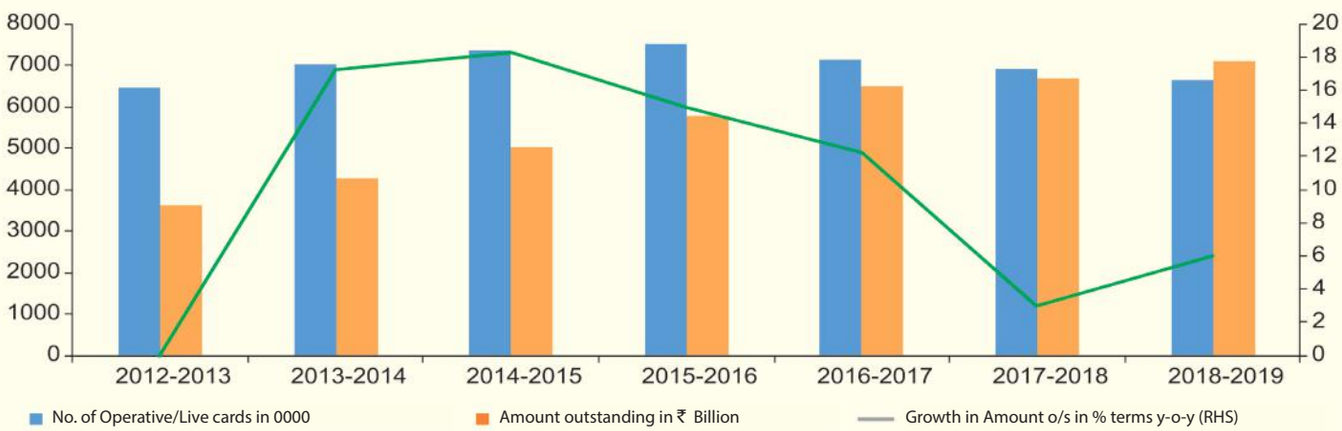

Source: RBI and NABARD. 2018-19 figures are provisional.

महत्वपूर्ण तथ्य

- किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit card Scheme),1998 में शुरू की गई जिसका उद्देश्य किसानों को बैंकों के माध्यम से एकल खिड़की (Single Window) द्वारा ऋण की आवश्यकता (कृषि संबंधी खर्चो) की पूर्ति हेतु पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करना है।
- 2019 के आँकड़ों के अनुसार भारत में कुल 66.2 मिलियन किसान क्रेडिट कार्ड खाता चालू स्थिति में हैं और कृषि जनगणना 2015-16 के अुनसार मालिकाना हक रखने वाले (Land Holdings) की संख्या 145 मिलियन थी, जिसका अर्थ है कि केवल 45 प्रतिशत किसान ही केसीसी का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि ऐसी संभावना है कि एक किसान के पास 1 से अधिक केसीसी है, जिससे इसकी वास्तविक कवरेज का पता नहीं चल पाता है।
- एनएएफआईएस (NAFIS) सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार 4.6 प्रतिशत कृषक घरों में एक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड हैं। इसके अलावा सर्वेक्षण में कहा गया है कि सभी कृषक परिवारों को शामिल किया जाए तो पाएंगे कि 10.5 प्रतिशत कृषक परिवारों के पास वैध किसान क्रेडिट कार्ड हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि बैंकों द्वारा उचित कदम उठाये जाएँ ताकि केसीसी धारकों की संख्या की वास्तविक गणना हो सके।
- विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान सब्सिडी नीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे कृषि में स्थायी तरीके के समग्र व्यवहार्यता में सुधार हो सके।

ध्येय IAS®

most trusted since 2003

सामान्य अध्ययन
PREMIUM BATCH
(हिन्दी माध्यम)

Complete Preparation for IAS Prelims & Mains

3rd OCTOBER | 2:30 PM

सामान्य अध्ययन
FOCUS MAINS BATCH
(हिन्दी माध्यम)

Complete Preparation for PCS Mains

3rd OCTOBER | 5:45 PM

सामान्य अध्ययन
FOCUS PRELIMS BATCH
(हिन्दी माध्यम)

Complete Preparation for IAS & PCS Prelims

4th OCTOBER | 11:30 AM

0532-2260189, 8853467068

2nd & 3rd Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj

www.dhyeyaias.com facebook.com/dhyeya1 Dhyeya IAS Student Portal

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJRAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40